राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३१ वां दिवस [संख्या २१

गुरुवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, गृह, यातायात एवं पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १८४

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८५

श्री जयसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८६

श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

जल प्रदाय योजना, बीकानेर

१८७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर शहर में माह फरवरी, १९६२ में सार्वजनिक नल लगवाये गये थे ?

(२) यदि हां, तो कहां कहां पर और किन किन तारीखों को ?

(३) राज्य सरकार ने नल लगवाने की स्वीकृति कब दी ? क्या यह सत्य है कि गत २३, २४ और २५ फरवरी को रात और दिन मजदूरों से काम करवाया गया ?

Page No. 2

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) सूची संलग्न है।

(३) यह कार्य डिपार्टमेंट की स्वीकृति से कराया जा सकता है और गवर्नमेन्ट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं, मजदूरों से विभाग द्वारा रात को कोई काम नहीं लिया गया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपने बताया कि सार्वजनिक नल लगाने के लिये गवर्नमेन्ट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, डिपार्टमेन्ट स्वयं लगा सकता है; यह किस आधार पर है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो उनके अधिकार की बात है कि जब पब्लिक की मांग आवे तो डिपार्टमेन्ट पर्मिशन दे देता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो पानी का खर्चा है वह अगर डिपार्टमेन्ट ने नल लगाया है तो सरकार वहन करेगी या जितने नल लगाये जावेंगे उसके लिए खर्चा होगा उसके लिये जिम्मेदार नहीं है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : खर्चा तो सरकार वहन करेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : खर्चा सरकार वहन करेगी तो आपके उत्तर के अनुसार डिपार्टमेंट नल लगवा सकता है तो फिर कितने स्टेन्ड लगाने की इजाजत दी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : २० की।

श्री मुरलीधर व्यास : पब्लिक ने कितनों की मांग की?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मांग कितने की की, इसका पता नहीं। लेकिन जहां जहां आवश्यकता थी और मोहल्लेवालों ने बताया वहां २० की इजाजत दे दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इससे २ वर्ष पहले मन्त्री महोदय ने स्वयं ३५ पब्लिक श्रम से स्टेन्ड लगाने की स्वीकृति दी थी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि २४ और २५ को पब्लिक स्टेन्ड लगाये गये और मजदूरों से रात दिन काम लिया गया?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर इस चीज को प्रमाणित कर दिया जाय कि २५ को चुनाव होने वाले थे और छुट्टी थी तो भी पी० डब्लू० डी० के मजदूरों से रात-दिन काम लिया गया है—अगर यह साबित हो जाय तो क्या गलत खबर देनेवालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिपार्टमेन्ट के मजदूरों ने कनेक्शन देने का काम किया है। पब्लिक स्टेन्ड लगाने का अगर काम किया हो तो जानकारी दीजियेगा, मैं जांच करवाऊंगा।

Page No. 3

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है वह "नहीं" की आई है। मेरा पूछना यह है कि यदि यह प्रमाणित कर दिया जाय कि पी० डब्लू० डी० के वर्कर्स से चुनावों के एक, दो दिन पहले छुट्टी होते हुए भी काम लिया गया है, चुनावों में नल लगाये गये हैं, रात और दिन उनसे काम लिया गया है नल लगायेंगे तो वोट मिल जायेंगे....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वोट तो माननीय सदस्य को मिल चुके।

श्री मुरलीधर व्यास : यह साबित कर दिया जाय तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी जिन्होंने आपके पास इस प्रकार की सूचना भेजी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि मोहल्लेवालों ने लगाये हैं, डिपार्टमेंट के मजदूरों ने काम नहीं किया, अगर आप जांच कराना चाहेंगे तो जरूर की जायगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इस प्रकार के पब्लिक स्टेन्ड्स लगाने के ऑर्डर कितने दिनों से पैन्डिंग में पड़े हुए थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि चुनावों के दिनों में क्यों लगाये ?

श्री अध्यक्ष : इसी बारे में तो प्रश्न किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला : इलेक्शन के दिन नहीं लगाने चाहिये तो रातोंरात मजदूरों से काम लेकर क्यों लगाये ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय मना कर रहे हैं कि रातोंरात नहीं लगाया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : २३ और २४ को लगाये गये, यह तो मंजूर करते हैं....

श्री विजयसिंह झाला : २० लगाये गये, यह तो मन्जूर करते है न ?

प्रश्न संख्या १८८

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मणप्रसाद।

विद्युत् वितरण

१८९ **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सकराय सु.): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- (१) दौसा से बांदीकुई जो बिजली की लाइन अभी अभी ले जाई गई है क्या वह तहसील सिकराय के क्षेत्र में हो कर गई है ?

(२) क्या इस लाइन के समीप जो तहसील सिकराय के गांव रेंटा, डुब्बी, सिकन्दरा, मोजपुरा, गिरधरपुरा, आदि बड़े बड़े आते हैं उन गांवों को भी इस लाइन से बिजली दी जा सकेगी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार गीजगढ़, सिकराय, मानपुर, आदि बड़े बड़े कस्बे जो इस तहसील के हैं उनमें भी बिजली देने का इरादा रखती है ?

(५) यदि हां, तो इन कस्बों को बिजली कब तक दी जा सकेगी ?

Page No. 4

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां, अगर विद्युत शक्ति की प्रचुर मांग हुई।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) यह इन गांवों की विद्युत शक्ति की पोटेन्शियेलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फन्ड्स पर अवलम्बित है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका, बीकानेर

१६० **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर नगर पालिका के चुनाव किन कारणों से स्थगित किये गये ?

(२) चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद कब कब अवधि बढाई गई और क्यों ?

(३) दिनांक १८-३-६१ को सदन में मंत्री महोदय द्वारा चुनाव का आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी चुनाव क्यों नहीं करवाये गये ?

(४) क्या अब चुनाव करवाने के संबंध में समस्त प्रारम्भिक कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो कितने अर्से में सारी कार्यवाही पूरी कर चुनाव कराये जायेंगे ?

उप-मंत्री स्वायत्त, शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) बीकानेर नगरपालिका के चुनाव स्थगन करने का मुख्य कारण परिषद् की सीमा वृद्धि करके गंगाशहर व भीनासर की नगरपालिकाओं को उक्त सीमा में मिलाना था।

(२) नगर परिषद् की अवधि चुनाव अवधि के समाप्त होने पर तीन बार, ४-४-६० से ३-८-६० तक, ४-८-६० से २८-२-६१ तक और १-३-६१ से ३०-९-६१ तक बढ़ाई गई। उन अवधियों के बढ़ाने का कारण यह था कि नगर परिषद्, बीकानेर के चुनाव पूरे नहीं हो पाये थे।

(३) बीकानेर नगर गंगाशहर व भीनासर नगरपालिकाओं की सीमा तक फैल गया है। अतः भीनासर व गंगाशहर नगरपालिकाओं को प्रशासनिक तथा विकास के दृष्टिकोण से बीकानेर परिषद् में मिलाने के कारण चुनाव नहीं कराये गये।

(४) चुनाव की प्रारम्भिक कार्यवाहियां बाकी हैं। चुनाव सम्पूर्ण होने में लगभग १० माह और लगेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो इसका टाइम बार बार एक्सटेन्ड किया है वह कुल मिला कर कितने वर्ष का हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : तारीखें बताई हैं, जोड़ लगा लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अवधि बढाने की आखिर कोई न कोई सीमा तो होगी न कि कितने साल तक अवधि बढा सकते हैं और इसकी सीमा से अधिक अवधि बढा दी है क्या?

(श्री मुरलीधर व्यास)

कानून में जो अवधि बढ़ाने की सीमा रखी गई है उससे अधिक अवधि कैसे बढ़ाई गई ?

श्री दौलतराम सारण : सीमा से अधिक कब बढ़ाई ?

श्री मुरलीधर व्यास : १० महीने और लगने का फरमाया तो क्या कारण है कि १० महीने और लगेंगे, जब कि पहले ही नोटिफिकेशन निकल गया गंगाशहर और भीनासर को बीकानेर को परिषद् में मिलाने का ? अब तो चुनाव कराने का सवाल है, इसमें भी बाधा है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये। जितने ओब्जेक्शन्स आये उन पर विचार करके कलेक्टर ने गवर्नमेंट को भेजा। कलेक्टर ने अपना रिमार्क उस पर नहीं लिखा था, इसलिये १६-३-६२ को कलेक्टर को दुबारा लिखा है कि वह अपनी सम्मति इस पर भेजे, क्योंकि कलेक्टर की उस पर सम्मति नहीं आई थी। यह हो जाने के बाद में वार्ड बनाये जायेंगे। फाइनल नोटिफिकेशन के बाद चुनाव की दूसरी कार्यवाहियां की जायेंगी। इस सबमें इतना समय लगना सम्भव है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो नोटिफिकेशन निकाल दिया, पूरी रिपोर्ट आ चुकी है तो नोटिफिकेशन की अवधि के अन्दर अन्दर ऐतराज आये या बाद में आये ?

श्री दौलतराम सारण : जो ओब्जेक्शन्स अवधि के भीतर आते हैं उन्हीं पर विचार किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये कौनसी तारीख को आपके पास आये ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं नहीं बता सकता कि कौनसी तारीख को आये।

श्री अध्यक्ष : कानून के अन्तर्गत कितने समय तक अवधि बढ़ाई जा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : ४ साल तक।

श्री अध्यक्ष : वह तो कार्यकाल है। बढ़ाई कितनी जा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : एक साल तक।

श्री अध्यक्ष : वह अवधि बढ़ाने का समय पूरा हो गया है या नहीं। बात यह है कि सारी कार्यवाही इल्लीगल करार हो सकती है इस आधार पर।

श्री दौलतराम सारण : बोर्ड पहले कब बना, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आखिर गवर्नमेंट को यह बताने की पोजीशन में तो होना चाहिए कि कितने समय तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। जब भी चाहा अवधि बढ़ा दी जाती है और उसके पूरा होते ही फिर अवधि बढ़ादी जाती है, तो आखिर इसकी लिमिट तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : All extensions cannot exceed in all one year.

Page No. 6

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It may be irrelevant; but in the case of Dungarpur thiee has been no election for the last four years.

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : There was a law that we could extend has upto one year. Now an amendment been made and now the Government can extend even more than that.

श्री अध्यक्ष : That is what we want to know. Is there any limit to that or not ?,

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जब बोर्ड की अवधि समाप्त हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। अवधि समाप्त होने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का सवाल नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि अवधि समाप्त होने के बाद कितने अर्से तक एक्सटेन्शन दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि बोर्ड को खत्म करना और दूसरा यह कि उसको एक्सटेन्ड करना।

श्री भैरोंसिंह : कितनी अवधि है कानून के माफिक जितनी अवधि तक किसी भी रूप में एक्सटेन्शन दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यही तो कहा गया है मन्त्री महोदय से कि यह ध्यान में रख कर यह सारा कार्य करें।

श्री भैरोंसिंह : एक्सटेन्शन कितने समय तक के लिये किया जा सकता है, this is the point at issue.

श्री मुरलीधर व्यास : चौथी दफा अवधि बढ़ा दी गई है। गंगाशहर, भीनासर को मिलाने का प्रश्न है। मन्त्री महोदय की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि चुनाव करा दिये जायेंगे; पर अभी तक चुनाव कराये नहीं और अब मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि ओब्जेक्शन्स के ऊपर और सीमा बढ़ा सकते हैं........

श्री अध्यक्ष : Order ! order !! आप भाषण नहीं दें। सारे फैक्ट्स आ चुके हैं। कानून में अवधि है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : वह कितनी है, आखिर ? माननीय अध्यक्ष, वह समाप्त हो गई है और सरकार कानून की खिलाफवर्जी कर रही है।

श्री अध्यक्ष : They will face the consequences.

श्री मथुरादास माथुर : I cannot state here on the floor of the House whether we are going according to law. If we are not, that will be ultra vires. We willl further examine this question in the light of what you have said.

श्री अध्यक्ष : And, if necessary, amend the law also !.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : May I know what exactly is the legal

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह):

position ? Is the Government going to extend the term of a Municipality year after year ? I cannot understand this. It cannot be democracy whatever else it may be.

श्री मुरलीधर व्यास : आया आम चुनावों के पहले...

श्री मथुरादास माथुर : I will examine the legal position and inform the house when the question hour is finished.

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट इस पोजीशन में नहीं है कि एक्सटेन्शन के पावर्स हैं उसकी सीमा कहां तक है और कहां तक बढ़ा सकती है, यह बता दें ?

श्री दौलतराम सारण : चार वर्ष की अवधि है..

श्री भैरोंसिंह : उसकी अवधि समाप्त होने तक कितने समय के लिए एक्सटेन्ड किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री विजयसिंह झाला ।

सड़क निर्माण

१६१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की उदयपुर डिविजन में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण की कोई-योजना है ?

(२) यदि हां, तो किस, २ जगह तथा अभी तक उनका कितना २ कार्य हो चुका है ?

उप-मंत्री, सर्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी आया नहीं है, अगली टर्न पर दे दूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर): अब भी सुनाई नहीं दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : सुनाई नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : वे समय चाहते हैं इसके लिए ।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

अस्पताल की स्थापना

१६२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बूंदी जिले में आयुर्वेदिक औषधालय कितने हैं तथा डिस्पेन्सरियां कितनी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि लाखेरी से कापरेन तक १ लाख को जनसंख्या के बीच सरकारी अस्पताल नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता अस्पताल खुलवाने की एक लम्बे अर्से से मांग करती आ रही है ?

(४) यदि हां, तो अब सरकार अस्पताल कब तक खोलने का इरादा रखती है ?

Page No. 8

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) बूंदी जिले में २२ आयुर्वेदिक औषधालय हैं तथा २ अस्पताल, २ प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र एवं ६ डिस्पेन्सरियां हैं।

(२) जी हां। सरकारी अस्पताल नहीं है, वैसे काप्रेन में एक सरकारी डिस्पेन्सरी अवश्य मौजूद है तथा लाखेरी में एक आयुर्वेदिक औषधालय भी स्थित है। इसके अलावा २६ बैड्स का एक एलोपेथिक अस्पताल सीमेन्ट फैक्टरी, लाखेरी की ओर से भी स्थित है।

(३) जनता अस्पताल खुलवाने की मांग सन् १९६० से कर रही है।

(४) मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में अभी इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस बूंदी जिले की तीन लाख जनता के लिए आपने एक आयुर्वेदिक औषधालय बताया, तो क्या वह उपयुक्त है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रश्न जो पूछा वह सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से पूछिये।

श्री अध्यक्ष : बूंदी की ३ लाख की आबादी के लिए एक ही आयुर्वेदिक औषधालय होना बताया तो क्या वह पर्याप्त है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक सीमेन्ट फैक्टरी की ओर से भी चल रहा है, वह भी

...साद शर्मा : क्या आयुर्वेदिक औषधालय में २५०) रु० की दवाइयां होना साल भर के लिए पर्याप्त समझा जाता है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह मेरे डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैंने जवाब दिया है। यह प्रश्न पूछना है तो नोटिस चाहिये और सम्बन्धित मन्त्री महोदय से ही पूछिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको जांच कराना चाहिये था कि दवाई क्यों न मिले। यह दुर्भाग्य है जनता का कि उसको दवाई भी न मिले। महरबानी करके यहां पर इसको बढाया जाना चाहिये। लाखेरी में म्युनिसिपेलिटी ने बहुत बड़ी इमारत दे दी है और 'ए' श्रेणी का उसको बढ़ाय जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या १९३

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

पाटन से डिप्टी कलेक्टर का हैडक्वार्टर चला जाना

१९४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में पाटन से मजिस्ट्रेटी खत्म कर दी गई है? और इस कारण सारी जनता को न्याय पाने के लिए बूंदी जाना पड़ता है।

(२) क्या यह सही है कि पाटन में कुछ

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वर्षों पहले डिप्टी कलेक्टर का हैडक्वार्टर कायम किया हुआ था ?

(३) यदि हां, तो यहां से मजिस्ट्रेटी हटाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या सरकार सस्ता न्याय देने की दृष्टि से पाटन में डिप्टी कलेक्टर का हैडक्वार्टर कायम करने का इरादा रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) **:** (१) यह सही है कि दिनांक १-१०-१९५४ से पाटन में मजिस्ट्रेट का न्यायालय समाप्त कर दिया गया। जनता की सुविधा के लिये बूंदी के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रति माह में कुछ दिन पाटन में न्यायालय करते हैं।

(२) राजस्थान बनने से पूर्व बूंदी रियासत में पाटन में डिप्टी कलक्टर का हैडक्वार्टर था।

(३) मजिस्ट्रेट का न्यायालय प्रशासकीय कारण से हटाया गया था।

(४) जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जनता कई बार तारीख पेशियों पर जाती है और उनको बूंदी भी जाना पड़ता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास कार्यवाही के जितने केसेज हैं उनमें तारीख पेशियां बदल देता है जिससे एक एक मुकदमा पांच पांच, छः छः वर्ष तक चलता रहता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) **:** पाटन और बूंदी में कितनी दूरी है ?

श्री मथुरादास माथुर : १५-२० मील के बीच होगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सही आधार क्या मानते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई शिकायत नहीं है। आप तथ्य और नाम देंगे हम उसको देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह तथ्य और उन्होंने अपना नाम दे दिया तो क्या उसको उपयुक्त नहीं समझते ?

श्री मथुरादास-माथुर : सिर्फ यह कह देना कि लोगों को तकलीफ है, यह पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप यह न बतायें कि किन किन तारीखों को बदल दिया गया और जनता को इस प्रकार से यह तकलीफ हुई तब तक जांच कैसे कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जांच नहीं करा सकती है कि कितने केसेज़ में एडजोर्नमेंट दिया गया, कितनी बार दिया गया और कितने केसेज़ में फैसले दिये गये ? एक एम० एल०-ए० के लिए यह पोसीबल नहीं है कि वह इस प्रकार के तथ्य ला सके। गवर्नमेन्ट को खुद इसकी जांच करनी चाहिये कि कितने केसेज़ में फैसले हुए और कितने में एडजोर्नमेन्ट हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : कोर्ट्स का

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्सपेक्शन कलेक्टर खुद करते हैं और वक्तन फ वक्तन हाईकोर्ट द्वारा होता है। जिस मजिस्ट्रेट की अदालत में एडजोर्नमेन्ट ज्यादा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उनको अपना परफॉर्मेन्स देना पड़ता है और उनको देखने से ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती है कि जिससे अलार्म होना पड़े।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : डिप्टी कलेक्टर का जो हैडक्वार्टर हटा दिया गया तो जनता इस बात की मांग कर रही है, क्या उसको वापिस कायम किया जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : डिप्टी कलेक्टर था जब बूंदी रियासत थी और राजधानी बूंदी थी। अब नहीं रह सकती।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां बारी बारी से आता था और अब हटा दिया है तो वापिस इसको क्यों नहीं कायम करते ?

श्री मथुरादास माथुर : पाटन में इतने केसेज़ का नम्बर गिर गया था कि वहां पर इन्डिपेन्डेन्ट मजिस्ट्रेट रखना आवश्यक नहीं था।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको यह मालूम नहीं है कि मजिस्ट्रेटी नैनवा में लगा दी गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : दो जगह नहीं रखी जा सकती है। नैनवा से हटा कर पाटन कर दिया जाय, क्या आप यह चाहते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दोनों जगह।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसी व्यवस्था कर दें कि कुछ दिनों के लिए पाटन में आ जाय।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह : एक मजिस्ट्रेट की अदालत को कायम रखने के लिए कितने केसेज़ जरूरी समझते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कम से कम ५०० ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : निम्बाहेड़ा ऐसी जगह....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर प्लीज़ !!!

हनुमानगढ़–सूरतगढ़ बस रूट

१६५. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक बस रूट के परमिट दिये हुए हैं ? अगर हां, तो कितने ?

(२) क्या कभी हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक गत १२ महीनों में उक्त बसें सवारी लेकर पहुंची हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। इस मार्ग पर ३ परमिट दिये हुए हैं।

(२) सन् १९६२ में नाली का पानी

(श्री हरिश्चन्द्र)

आ जाने के कारण व कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ियां केवल पीलीभंगा तक ही आती जाती है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : जो रूट मंजूर किये हैं उन पर चलती हैं या दूसरों पर?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि पीलीभंगा तक चलती हैं।

श्री श्योपतसिंह : तीन रूट दिये हैं जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक के हैं, लेकिन पीलीभंगा तक भी दिये हैं क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : पीलीभंगा तक जाती हैं।

श्री श्योपतसिंह : पीलीभंगा से हनुमानगढ़ तक नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष : यही मंत्री महोदय मंजूर कर रहे हैं कि सूरतगढ़ तक मंजूर किये हैं लेकिन बरसात के दिनों में पीलीभंगा तक जाती हैं।

श्री श्योपतसिंह : हनुमानगढ़ से पीलीभंगा तक कोई मंजूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ तक की मंजूरी है।

श्री श्योपतसिंह : हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ दिया है वह फतहगढ़ होकर दिया है, जहां पानी नाली का नहीं आता है। अब बसेज़ चलती हैं वे पीलीभंगा तक चलती हैं जिसके लिए वास्तविक रूप से उनको इजाजत नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब है कि दूसरे रास्ते से चलती हैं। मैं जांच करूंगा।

श्री मनफूलसिंह : नाली का पानी तो केवल एक महीने ही चलता है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि नाली का पानी आता है और बसें नहीं चल सकती हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, वह तो जब परमिट दिया गया उस वक्त यह कन्डीशन थी क्या कि रास्ता कौन सा हो ?

श्री अध्यक्ष : जो चला सकते हैं उनको दीजिये ना, उनका कैन्सिल कीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : इस बात की जांच करके मैं आपके सामने रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

ड्रेनेज योजना

१६६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान राज्य के किन किन शहरों में ड्रेनेज की योजना अब तक स्वीकार की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के लिये द्वितीय योजना के प्रारूप में ड्रेनेज के लिये १२ लाख रूपये की धनराशि रखी जा चुकी थी ? अगर हां, तो उस योजना के लिये द्वितीय योजना काल में प्रावधान न करने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन(श्री दौलतराम-

Page No. 12

(श्री दौलतराम सारण)

सारण) : अभी तक किसी भी शहर की ड्रेनेज योजना स्वीकार नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही नहीं है कि बीकानेर के लिये सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में ड्रेनेज के लिये १२ लाख का प्रोविजन रखा गया था ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो पूछा है उसका उत्तर दे दिया गया है, 'जी नहीं'।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह साफ लिखा हुआ था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर के लिये १२ लाख रूपये का प्रावधान था।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बिल्कुल नहीं था, पहली और दूसरी योजना में राजस्थान के किसी भी शहर के लिये ड्रेनेज सिस्टम के लिये प्रावधान नहीं किया गया था।

श्री भीमसेन : इस ड्रेनेज योजना के बारे में आप विचार करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी योजना में कुछ रूपयों का प्रावधान है, लेकिन इससे सभी शहरों के ड्रेनेज सिस्टम चालू हो जायेंगे, यह नहीं। जितनी धन-राशि उपलब्ध होगी, उसके अनुसार कार्य किया जायेगा।

श्री भीमसेन : क्या बीकानेर शहर के ड्रेनेज की व्यवस्था के लिये भी कुछ रूपया रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो एक साल ड्रेनेज खराब हो गई थी उसको ठीक करवा दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ एरिया में जहां ड्रेनेज है वह बरसात की वजह से टूट गया था, खराब हो गया था। ऐसी हालत में जब कि शहर के बीच में से होकर पानी गुजरता है उसको तो कम से कम पहले ठीक करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल अधिक वर्षा होने के कारण काफी नुकसान हो गया था उसको इमीजियेटली ठीक करवा दिया गया था। सारे ड्रेनेज की प्रोब्लेम का जहां तक सवाल है, मैं नहीं कह सकता वह कब तक हो जायगी। उपयुक्त धनराशि प्राप्त होने पर ही इस काम को किया जा सकता है।

श्री भीमसेन : यह एक प्रकार से इवेजिव रिप्लाई हो रहा है। जब कि एक जगह से बराबर ड्रेनेज के लिये मांग होती जा रही है और जिसके कारण शहर को हमेशा खतरा बना रहता है, जिससे मकान गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, क्या उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला-खां) : सवाल का जवाब कोई इवेजिव नहीं दिया जा रहा है। यही कहा गया था कि रूपयों का जब इन्तजाम नहीं तो ड्रेनेज नहीं किया गया। आप सजेशन दे रहे हैं उस सजेशन पर गौर किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : हम यह नहीं कहते कि आप पूरा ड्रेनेज करवा दीजिये

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकिन जो पहले से हो रहा है और उस साल बरसात की वजह से रुक सा गया है कम से कम उसकी रिपेयर तो ठीक से करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टोंक-लाखेरी रोड

१६७. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टोंक से लाखेरी वाया उनियारा सड़क बनाने की योजना थी और उसके लिये धनराशि भी मन्जूर हो चुकी थी? यदि हां, तो कितनी?

(२) क्या उस सड़क को बनाने की योजना ड्रॉप कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो उसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जायगा?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, ८,६७,००० रु०।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। आशा है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उस निर्णय को बदलने का क्या आधार था जब कि यह सड़क दूसरी पंचवर्षीय योजना में ले ली गई थी, उसको डाइवर्ट करने के क्या रीजन थे?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : केबीनेट मीटिंग में यह तय हुआ था। सन् ५६ में १३ मील का टुकड़ा लिया गया था और तीसरी योजना में इसको पूरी ले रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस सड़क के लिये लाखेरी के रास्ते में २०० ड्रम तारकोल डाला हुआ था, वह गर्मी की वजह से अपने आप पिघल कर सड़क पर बह गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेन्डर्स ही अभी तक इस रोड के नहीं हुए, फिर डामर कहां से आ गया?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी जिले के किसी ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया था, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और वे समय पर काम नहीं करते, वे डरते नहीं क्योंकि उनके साथी मंत्रीमंडल में हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जानकारी करके जवाब दें कि ड्रम्स पहुंचे हैं या नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ड्रम दूसरी सड़क के लिये हो सकते हैं, इसके लिये तो टेन्डर ही नहीं हुआ।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : तो ये ढोल रास्ते में किसने गिरा दिये?

श्री हरिश्चन्द्र : आसपास कोई सड़क बन रही होगी तो रास्ते में रख दिये गये होंगे।

श्री राधाकिशन गोयल : अलग अलग फैला कर क्यों रखाये हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला-खां) : ऐसा हो सकता है कि पास में सड़क

(श्री बरकतुल्लाखां)

बन रही हो और ट्रक रास्ते में खराब हो गया हो, इसलिये उन ढोलों को रास्ते में डाल दिया होगा।

श्री राधाकिशन गोयल : दूसरी सड़क कौन सी है जिसके लिये ये ड्रम डाले गये थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ड्रम्स पड़े हुए हैं। आपने सूचना दी है, जानकारी की जा सकती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो बचे खुचे रह गये हैं उनको तो ठीक तरह से रख लें, मैं आपको रूबरू बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हिन्डौन में अस्पताल की स्थापना

१६८. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की हिन्डौन शहर में नया अस्पताल खोलने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जावेगी तथा इस कार्य पर कुल कितना व्यय होगा ?

(३) भवन निर्माण के लिये सरकार ने कितने रुपयों की स्वीकृति दी है तथा इस कार्य का ठेका किसको दिया गया है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) वर्तमान प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के विस्तार के लिये सरकार ने २५,३००) रुपये की स्वीकृति दी है। कार्य का ठेका अभी नहीं दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि यह भवन निर्माण शहर से एक मील की दूरी पर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पहले जहां औषधालय था उस जगह इस रकम को लगा दिया जाय और कार्यकर्त्ता और बढ़ा दिये जांय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार के लिये ही तो यह पैसा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शहर से एक मील की दूरी पर मकान बना रहे हैं।

विद्युत् वितरण

१६९. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राणा प्रताप-सागर चम्बल बांध से आनेवाली बिजली की सप्लाई बूंदी जिले में की जाने वाली है ?

(२) उक्त योजना के अनुसार सरकार जिले के कौन कौन से कस्बों में बिजली देने का इरादा रखती है तथा इसका कार्य कबतक आरम्भ होनेवाला है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अभी इसकी योजना नहीं बनाई गई।

Page No. 15

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह बिजली के सम्बन्ध में प्रश्न था । जहां पर पावर हाउस बन रहा है तो बूंदी जिले के अन्दर कौन कौन से गांवों में बिजली देने की योजना है, क्या बूंदी जिले में बिजली सप्लाई करने की कोई योजना नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ओरीजनल क्वेश्चन आप देखें तो आपने राणा प्रतापसागर का सवाल पूछा है इसलिये यह बताना कि कौनसा पावर वहां जायेगा, यह मेरे हाथ में नहीं है । एक ही ग्रीड से सब चलेंगे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किस किस जगह बिजली जायेगी और कौन कौन से गांवों में देंगे, यह तो बता सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लाखेरी में जो पावर हाउस बन रहा है वहां पर क्या राणा प्रतापसागर से बिजली आयेगी, उसके लिये बन रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राणा प्रतापसागर से और गांधीसागर से पहुंचेगी, लाखेरी पहुंचेगी । लाखेरी में कोई अलग से बिजली नहीं जायेगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो बिजली पैदा की जायेगी वह लाखेरी में की जायेगी और वह बूंदी जिले के कौन कौन से गांवों को दी जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : लाखेरी में बिजली पहुंचेगी राणा प्रताप सागर से और गांधी सागर से भी पहुंचेगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लाखेरी कस्बे को बिजली दी जायेगी या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : लाखेरी को दी जायेगी ।

चम्बल की बिजली का वितरण

१८४. श्री **बृजेन्द्रपाल** [करौली—श्री भीमसेन (लूणकरणसर) द्वारा पूछा गया] : Will the Minister for Power be pleased to reply:—

Is it a fact that the Chambal Power is going to be supplied to Karauli via Gangapur and Hindaun, a distance of 28 miles, while the distance from Gangapur to Karauli is only 21 miles ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Karauli is expected to receive power from Chambal.

श्री भीमसेन : पॉवर तो मिलने वाला है पर कौन से रूट से मिलने वाला है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं जो शोर्टेस्ट रूट होगा उसी से दिया जायेगा, इसके लिये कमिटमेन्ट नहीं करता ।

श्री भीमसेन : कब तक मिलने वाला है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका भी कमिटमेन्ट नहीं करता ।

श्री भीमसेन : वर्तमान जो योजना है वह वाया हिन्डौन से होकर गंगापुर करोली होती हुई सीधी लाइन चली जाय, एक्जीस्टिंग लाइन है उसको पूरी करदी जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह टैक्निकल मामला है, इस पर कोई विशेष राय नहीं दे सकता । लेकिन मैं समझता हूं शोर्टेस्ट रूट ही होना चाहिये । हो सकता है कुछ लोड के हिसाब से इधर उधर करना पड़ता हो। अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो इन्क्वायरी करके बता सकता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : करोली में बिजली आने की सम्भावना अब तक क्या गांधी सागर से जो बिजली जेनरेट होगी उससे मिलेगी या राणा प्रतापसागर से आने की सम्भावना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं ऐसा समझता हूं गांधीसागर से इसकी सप्लाई कर सकते हैं । उससे जितनी बिजली का उत्पादन होगा अगर वह कन्ज्यूम हो जायेगी तो राणा प्रतापसागर से सप्लाई करेंगे । फिलहाल गांधीसागर से देने का है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसमें प्रायोरिटी फिक्स नहीं की हुई है ? अगर है, तो फर्म कैपेसिटी पर है या कहां है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह ।

जल बोर्ड

१८५. **श्री जयसिंह** (मालपुरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में जल बोर्ड के नाम से कोई संस्था थी ? अगर हां, तो कब और क्या वह संस्था अब भी अस्तित्व में है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्था की धनराशि का ऑडिट हो चुका है ? अगर हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि जिला टोंक में अब तक ऑडिट नहीं हुआ है और गबन बतलाया जाता है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । राजस्थान में जल बोर्ड के नाम से सन् ५५ से ५७ तक एक संस्था थी । यह संस्था अब समाप्त हो चुकी है ।

(२) जी हां, उपरोक्त संस्था की धनराशि का ऑडिट हो चुका है । ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है ।

(३) डिस्ट्रिक्ट टोंक का ऑडिट लोकल फण्ड ऑडिट पार्टी द्वारा हो चुका है । टोंक डिस्ट्रिक्ट में कोई गबन का मामला होने की रिपोर्ट ऑडिट द्वारा नहीं हुई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुल कितनी धन राशि इस बोर्ड की मार्फत खर्च की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लगभग ६० लाख ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : केवल लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा ही ऑडिट हुई या और किसी अन्य के द्वारा भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ए. जी. पार्टी भी थी।

श्री भैरोंसिंह : यह जो बाकी का ऑडिट है टोंक का वह लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा और दूसरा ए. जी. द्वारा किया गया, यह डिफरेंस क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोकल फण्ड ऑडिट और ए. जी. के ऑफिस से ऑडिट पार्टियां अलग अलग पार्टियों में गये थे।

श्री भैरोंसिंह : टोंक का ऑडिट देर से हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No, सब बराबर हुए हैं। आगे पीछे की लिस्ट तो मेरे पास नहीं अब सब जगह हो चुका है ऑडिट।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह टोंक का ऑडिट लोकल फण्ड ऑडिट एक्ट लागू होने के पहले किया और पहले का ए-जी. के द्वारा कराया गया था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्तियां

१८८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरी बाजार, जयपुर —श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी नगरपालिकाएं हैं ?

(ख) कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें इस समय प्रशासक कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने पर अवधि बढ़ाई गई और जिनके चुनाव अभी तक सम्पन्न नहीं हो पाए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें मय इस विवरण के कि कब कब और क्यों क्यों कार्यकाल बढ़ाया गया और चुनाव क्यों नहीं कराए जा सके ?

(घ) भाग (ख) तथा (ग) की नगरपालिकाओं में से कितनी ऐसी हैं जिनके चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई थी पर बाद में चुनाव स्थगित कर दिये गये ? इनकी भी सूची मय चुनाव स्थगन के कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(न) भाग (ख) व (ग) में की नगरपालिकाओं के अतिरिक्त, जिन नगरपालिकाओं के चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं परन्तु जिनकी तिथियां घोषित होने के बाद चुनाव स्थगित किये गये उनकी भी सूची मय चुनाव स्थगन के कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये सूचना संग्रह करने के लिये समय चाहिये।

Page No. 18

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह पहले भी काफी दे दिया गया था, फिर भी उत्तर नहीं आया, तो क्या सदन के समाप्त होने के बाद आवेगा इसका उत्तर ? कब तक आ जावेगा ? इस तरह से तो प्रश्न का उत्तर टालने की कोशिश की जा रही है। अगले सप्ताह तक आ जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : चेष्टा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : चेष्टा नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाल को अवोइड किया जा रहा है। वे सवाल को अवोइड करें, चेष्टा यह की जा रही है। आप डेट फिक्सअप कर दीजिये।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला-खां) : मैं माननीय सदस्य को यकीन करा रहा हूँ कि कोई ऐसी कोशिश नहीं की जावेगी कि कोई फैक्ट सदन से छिपाया जाए। यह डिटेल भी इसीलिये मंगाई जा रही है कि ऑनरेबल मेम्बर को गलतफहमी न हो जावे कहीं कि हम छिपा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर उत्तर आप इसका कब तक दे देंगे ?

श्री बरकतुल्लाखां : इस सेशन के खतम होने तक दे दिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। १५ दिन से ज्यादा हो गये, उनके उत्तर इतने दिनों में भी क्यों नहीं आते ? १५ दिन पहले सवाल दिया गया पर उत्तर आज तक नहीं दिया गया। मैं मान लेता हूँ कि यह देरी ट्रेजरी बेंचें नहीं करना चाहती, नीचे से होती है, पर आपकी तरफ से अध्यक्ष महोदय, जब तक इसके बारे में विशेष व्यवस्था नहीं होगी तो प्रश्न का उत्तर छः छः महीने तक भी वे नहीं भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पैदा हुई कभी। एक-दो प्रश्न ऐसे होते हैं। आप इसको स्वयं देख सकते हैं कि कितनी जानकारी इसमें इकट्ठी करनी है। जानकारी इकट्ठी की जावेगी और आपको उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी मैं एक दिन में ले आता अगर आप इजाजत देते तो। इसका सारा रेकॉर्ड डाइरेक्टर के ऑफिस में पड़ा है, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक फर्लांग के फासले पर ऑफिस है। इसमें १५ दिन का समय लगा दिया। इससे फिर क्या समझा जाय ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : फिर आप खुद ही क्यों नहीं ले आते ? सी. आई. डी. आपके पास है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के तो आई. जी. पी. आप ही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

मांग संख्या २-राजकीय आबकारी कर
(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष से उत्तर होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : मेरा बोलना कल बाकी रह गया था।

श्री अध्यक्ष : आपको समय दे दिया गया था। आप अपना समय समाप्त कर चुके थे। जितना आपको बोलना था कल बोल दिया था।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कट मोशन मेरे भी थे।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस नहीं होगी, काफी समय दिया जा चुका है। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमान् अध्यक्ष, कल जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने इस सदन में रखे और जो जो विचार उस सम्बन्ध में हमारे सामने आये, अगर उनको मैं कैटेगराइज करूं तो चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक शराबबन्दी पर, दूसरा जो आजकल पद्धति चल रही है कॉन्ट्राक्ट की उसके मुतल्लिक, तीसरा जो उनसे जो पैदा हुए यानि कि करप्शन उसके मुताल्लिक, और चौथा जो जिक्र हैं वह है लीकेज का; या यों कह सकते है कि आपकी जो व्यवस्था हुई है उसके सम्बन्ध में।

पेश्तर इसके कि मैं एक एक हिस्से पर कुछ कहूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि वह हिस्सा जिस पर कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ी जोर शोर से बहस की, वह है आपकी व्यवस्था पर, उसके सम्बन्ध में ही मैं पहले कुछ कह डालूं।

जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस पर बहस करते हुए कुछ बातें कहीं। मैं समझता हूं कि उनका जो आधार था बातों का, वह कुछ गलतफहमी पर था और मुझे यकीन है कि अगर वह गलतफहमी दूर हो जावे तो वे समझ जावेंगे कि इतने जोर शोर से जो उन्होंने इस पर बहस की, वह मुनासिब नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी बहस में कुछ कह डाला, कुछ ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से रखे कि जो न मेरे मुंह से निकले थे और न निकलने की उम्मीद हो सकती थी। उन्होंने ऐसा समझा कि ऐसे वित्त मन्त्री ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया हो जैसे कि उसने यह गलती मान ली कि जो कुछ हुआ वह गलती एक एक्ट ऑफ क्लेरिकल एरर थी। मैं आपसे इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर वे 'मे' और 'शैल' में फर्क नहीं समझते तो यह उनकी भूल है। मुझे अपने अल्फाज याद हैं, जो मैंने कहे थे कुछ लोगों के बीच में। जिस वक्त यह व्यवस्था आपने दी, उसके बाद कुछ लोग मुझसे मिले केन्टीन में; उस वक्त दौराने गुफ्तगू यह बात मेरे सामने आई कि मैं क्या राय रखता हूं आपकी व्यवस्था पर। मैं समझता था कि ए क्रॉस दी टेबल बातचीत हो रही है उसे उसी तरीके से लिया जावेगा, जैसा कि लिया जाना चाहिये था। मैंने कहा कि वह एक क्योंकि माननीय स्पीकर का फैसला हरेक के लिये मान्य होता है इस पर कोई बहस का किया जाना गैर मुनासिब होता है, इसलिये मेरी यह राय हुई कि उनका फैसला, हो सकता है कि फेयर हो........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हो सकता है के माने यह हुए कि प्रेस ने आपके स्टेटमेन्ट को टिवस्ट किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे हिस्से के लिये आपकी क्या राय है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने उस वक्त अलफाज कहे, मैं आपको अब भी रिपीट करता हूं :—

"It may be a clerical error,"

आप समझ सकते हैं कि जब व्यवस्था दी गयी है और उस व्यवस्था पर एक जिम्मेदार वित्त मंत्री को कहां तक बहस करने की जरूरत है या डिस्कशन की या उस पर कोई तपसरा हो। उसका हमेशा जो जवाब होता है इसी किस्म का होता है, जैसा कि मैंने दिया। उन्होंने 'मे' के बजाय 'शैल' समझ लिया........

श्री भैरोंसिंह : किन्होंने समझ लिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिन्होंने यहां खड़े होकर कहा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे सामने कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया। I challenge your statement here. कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया जिसमें 'मे' और 'शैल' वर्ड यूज किये हों। You have made the statement before the press.

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा है कि माननीय सदस्य ने 'मे' और 'शैल' का डिफरेन्स नहीं समझा, इसलिए ये वाकयात पैदा हुए।

श्री भैरोंसिंह : सारे लोकल पेपर्स में आपका स्टेटमेन्ट आया है।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, इससे मालूम होता है कि जो दलील वहां की वह स्टीम के ऊपर की और इससे और कुछ जाहिर नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह स्टेटमेन्ट जो कि लोकल प्रेस में छपा है उसमें कहा है कि मेरी गलती है, यह क्लेरिकल मिस्टेक है और गलती है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि कोई स्टेटमेन्ट मेरा है ?

श्री भैरोंसिंह : प्रेस वालों ने भरोसा करके स्टेटमेन्ट लिख दिया और उसको अब आप गलत सुबूत कर रहे हो ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय प्रेसवालों को चाय भी पिला रहे थे और स्टेटमेन्ट भी दे रहे थे।

श्री बालकृष्ण कौल : आप उनकी फिक्र न करें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय के कहने के बाद भी गलती नहीं मानना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : अखबार कोई खबर छापे, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। उसका माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया।

Page No. 21

श्री बालकृष्ण कौल : 'मे' और 'शैल' का डिफरेन्स प्रेस वाले नहीं समझे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हिन्दी में दिया या अंग्रेजी में दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : अंग्रेजी में दिया था और वही मैंने रिपीट कर दिया। माननीय अध्यक्ष.......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, अंग्रेजी में दिया था तो किन प्रेसवालों को दिया था और किनके सामने दिया था ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह से बहस के बीच में अपनी बात माननीय सदस्य न कहें। मन्त्री महोदय अपने तरीके से उसका स्पष्टीकरण जो है दे रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He should not cast aspersions on the knowledge of the Hon' ble Members.

श्री अध्यक्ष : एसपर्शन का प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि 'मे' और 'शैल' में डिफरेन्स नहीं समझा।

अब कोई बहस नहीं करेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष मुझे भला मालूम नहीं होता है कि माननीय सदस्य अपनी स्टीम बड़े जोरों से निकाल रहे हैं, बावजूद इसके कि कल उन्होंने........

श्री भैरोंसिंह : यह 'स्टीम' क्या है ? Hon' ble Member is casting aspersions on the Hon' ble Members. I strongly object to the word.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is an asprsion on the Hon'ble Member. I strongly object to the word of the Hon ble Member. What does he mean' by 'steam', Sir ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य.......

श्री भैरोंसिंह : We strongly object to this 'steam', Sir,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पहले माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि वह इसको क्लेरिकल मिस्टेक मानते हैं या एरर ऑफ जजमेन्ट मानते हैं !

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शांत रहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It may be unwitting, but whether it is an error of judgment or a clerical error, we want to clarify.

श्री बालकृष्ण कौल : I am coming to the point. I hope you will have the patience to listen to me.

श्री भैरोंसिंह : I take strong objection to the word of the Hon'ble Member.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Highly objectonable word has been used by the Hon' ble Minister, Sir.

श्री भैरोंसिंह : He has used a highly objectionable word. ऑपोजीशन के मेम्बर्स अपनी स्टीम निकाल रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : Please listen to me.

ऑनरेबल मेम्बर्स अपनी स्टीम निकाल रहे थे। ऑपोजीशन शब्द नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री बालकृष्ण कौल : मानीय अध्यक्ष"

श्री भैरोंसिंह : The word should be withdrawn. This is most unparliamentary word which has been used by the Hon' ble Minister.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : गर्मी निकालने का क्या अर्थ होता है उर्दू में, जरा माननीय मन्त्री महोदय बता दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : सदन के बाहर बात हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सदन के बाहर तो 'स्टीम' भी निकल सकती है।

श्री हरिराम चौहान : यह ऑपोजीशन को चुनौती है और इसको भी हम स्वीकार करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय जो शब्द आपने (वित्त मन्त्री ने) कहा उसको अनपार्लियामेन्टरी यूज़ मानते हैं या नहीं ? अगर उनको अनपार्लिया मेन्टरी मानते हैं तो उसको वे विथ्ड्रॉ करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): "Let off steam", that was used perhaps.

श्री अध्यक्ष : "Let off steam" is not an unparliamentary experession, though a milder word should have been used.

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि महरबानी करके शांतिपूर्वक जो कुछ मैं कह रहा हूँ सुन लें। कल जिस तरीके से भाषण हो रहे थे और खास कर माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया और लफ्ज़ इस्तेमाल किये उस तरीके को देखते हुए वे मेरे वक्तव्य को सुनना बरदाश्त करेंगे और मैं जो कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वे दायरे से बाहर नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे शब्द बता सकते हैं जो माननीय सदस्य ने यूज़ किए और अनपार्लियामेन्टरी थे और जिनका मतलब भी अनपार्लियामेन्टरी था।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जरा शांति से सुनें।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर बतायें।

श्री बालकृष्ण कौल : सब अभी आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You should have objected at that time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोई ऐसे शब्द नहीं कहे। जो शब्द कहे वे बड़े स्वच्छ और पवित्र शब्द थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : The very fact that you could not object to it proves that they were parliamentary and you have to devour it.

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपसे यह कह रहा था कि यह गलतफहमी अगर हुई तो किन्हीं कारणों से हुई। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि न तो गवर्नमेंट को अफसोस जाहिर करने की जरूरत थी और न आज है। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद उस नुकते को काफी एग्जामिन किया गया था....

श्री मानसिंह महार : नुकते करना तो बन्द हो गया अब राजस्थान में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब वह भोज में परिवर्तित हो गया है।

श्री बालकृष्ण कौल : और हम इस नतीजे पर आये कि जो सरकार ने कदम उठाये थे वे बिल्कुल ठीक थे, उसमें कतई कमी नहीं थी। मैं आपको इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं उस इन्क्वायरी का जो हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में की। अभी १९६१ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट में कुछ इस किस्म के बिल आये और मैं यहां एक-आध-बिल का जिक्र करना चाहूँगा, ताकि माननीय सदस्यों को वाकयात से वाकफियत हो जाये। एक Medicinal Toilet Preparations Excise Duty (Amendment) Bill, 1961, दूसरा Iron Ore Mine Labour Welfare Cess Bill (Act No. 58 of 1961)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ५ मिनट बन्द कर दिया जाये, यह सीटी नहीं सुनने दे रही है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण तो इस भोंपू के साथ ही चलना चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : And the third is Tariff (Amendment) Bill, 1961.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भोंपू और भाषण एक साथ ही चलता है सदा।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, यह बिल जिसका मैंने जिक्र किया, The Medicinal Toilet Preparations Excise Duty (Amendment) Bill हाउस में २५ फरवरी, १९६१ को इन्ट्रोड्युज हुआ। प्रसीडेन्ट की एप्रूवल आई १४ मई, १९६१ को; लेकिन इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन हुआ वह १ जून, १९६१ को हुआ।

(१२.० मध्यान्ह)

इससे आप..........

श्री भैरोंसिंह : यह कोई फाइनेन्स बिल है या क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह उसी तरह से ताल्लुक रखता है एक्साइज से, उसका जिक्र है.......

Page No. 24

श्री भैरोंसिंह : यह जो बजट के समय बिल पेश किया गया है there is a difference. बजट के समय यह फाइनेन्स बिल पेश किया गया है और यह पास हुआ वह बिल है या और कोई अलग बिल है । इन दोनों में डिफरेन्सियेशन करके बतायें ?

श्री बालकृष्ण कौल : सुनिये जरा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष, क्या इन बिल्स के अन्दर डिटेल्ड फाइनेन्शियल प्रोपोजल्स हैं या नहीं या ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सवाल जो इस सदन के आगे रखा गया था वह यह है कि फाईनेन्स मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी को जाहिर करके कि इस तारीख से अंग्रेजी शराब पर उसकी ड्यूटी में इजाफा हो रहा है और उसको उसी वक्त से नहीं करके लोगों को, व्यापारियों को मौका दिया कि वे इस पर बेजा आमदनी का फायदा उठायें । एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह डाला कि इसमें साजिश वित्त मन्त्री की थी, उसने पैसा खाया है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : साजिश हो सकती है but unless an enquiry is made.........

श्री भैरोंसिंह : 'मे' और 'शैल' का डिफरेन्स होगा । शायद आप समझ नहीं पाये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष, जो लोक सभा के बिल्स कोट कर रहे हैं एनेलॉजी की तरह पर तो उनके अन्दर डिटेल्ड प्रोपोजल्स ऑफ मनी थे या नहीं ? यह मनी बिल्स थे या स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ? उसमें डिटेल्ड प्रोपोजल्स थे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्स बिल है या नहीं । साइमलटेनियसली कोई बिल पेश हुआ, ऐसा बिल है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : सवाल यह है कि वित्त मन्त्री ने उस वक्त जो कदम उठाया उससे जो नुकसान हुआ उसके ऊपर आक्षेप था और इसमें भी वही चीज है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Mr. Speaker, the Hon'ble Minister is trying to base his case on certain facts on which a ruling has already been given by the Hon'ble Speaker. Therefore, it is irrelevant to build his case on those facts and try to say that no opportunity of illegal profits was accorded by the Hon'ble Minister.

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, सवाल यह था कि उस कदम से जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने उठाया और उसके साथ साइमलटेनियसली नोटिफिकेशन नहीं हुआ उससे जो नुकसान पैदा हुआ उसके लिए वित्त मन्त्री जिम्मेदार है । फाइनेन्स बिल था, एक्साइज़ ड्यूटी बिल था । यह भी रुपये का मामला था । इससे भी एक-डेढ़ करोड़ के नुकसानात हो सकते थे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को । सवाल यह है कि this is not a Finance Bill.

श्री अध्यक्ष : It is a Bill imposing certain excise duty or amending it.

Page No. 25

श्री भैरोंसिंह : इसमें जरूरी नहीं। यह बाइन्डिंग का मामला है।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था दी जा चुकी थी और किसी भी दूसरे सदस्य के लिए एक व्यवस्था चेयर से दी जाती है तो उसके ऊपर इस प्रकार से प्रतिवाद करना असंसदीय है। मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से यह दी गई थी व्यवस्था, उसके खिलाफ आज आप बोल रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ? इसके संबंध में आपका निर्णय चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : खिलाफ बोलने का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं और उन बातों का मन्त्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई है उस बात को मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं या नहीं ! अगर स्वीकार करते हैं तो उस तरह के ढंग से आगे बढ़ें। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर सुन लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर। जयपुर में ५ चोरियां होती हैं और एक पकड़ी जाती है। तो चार चोरियों की मिसाल दी जाती है कि चार नहीं पकड़ी गई और एक पकड़ी गई तो वह चोरी है। मुमकिन हो कि यह बात सही हो जो कि यह कहा जाता है। मुमकिन है कि यह प्रश्न वहां स्पीकर के सामने उठा ही न हो। अगर उठता तो व्यवस्था दी जा सकती थी। उसमें क्या यह प्रश्न लोक सभा के स्पीकर के सामने उठा और उठा तो कोई व्यवस्था दी गई तब तो एनोलॉजी ठीक है ; नहीं तो कोई चोरी होती है और पता नहीं लगता है और चोर तो वही है जो पकड़ा जाता है, वही चोर कहलाता है। यह बात भी सही है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न किया है मैं उसके उत्तर में यह कह देना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास हमारे कर्मचारियों को भेजा गया और वहां के लॉ डिपार्टमेंट को पूछा गया कि वाकई इसमें गलती है या नहीं और यह वहां से जवाब मिला है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह नहीं था। सवाल तो यह था कि इसके बारे में कोई व्यवस्था वहां के स्पीकर से ली हो ! सवाल यह नहीं था कि नौकरों से ली हो। परन्तु क्वेश्चन यह है कि आप वहां के स्पीकर की व्यवस्था को लेकर आये हैं ?

श्री अध्यक्ष : वहां के स्पीकर की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : यह बाइन्डिंग है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बाइन्डिंग आप मानें या न मानें, उत्तर देने का उनको अधिकार है। आपके दिमाग पर क्या असर हो उसका कि यह बाइन्डिंग है या नहीं, तो जो चीज वे सुना रहे हैं उसको सुन तो लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष, उत्तर देने की भी सीमा है। इस सदन में माननीय अध्यक्ष ने इसी प्रश्न पर जो एक व्यवस्था दे दी है उसको चैलेन्ज करते हुए अगर कोई....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 'चैलेन्ज' का नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर विरोधी पक्ष के लोगों ने उस व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई इन्टरप्रिटेशन किया हो, उसके सम्बन्ध में उनका कोई मतभेद हो तो उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, परन्तु जिस प्रकार से वे अपने पक्ष को रख रहे हैं उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कुछ अधिकारियों ने भी इस प्रकार की गलतियां की थीं और इस प्रकार से वहां फाइनेन्शियल लोस केन्द्रीय सरकार को इनकम का पैदा हो गया था; इस प्रकार का केस माननीय मन्त्री महोदय बिल्ड–अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों मामले ऐसे हो गये हैं। परन्तु इस सदन में माननीय अध्यक्ष ने जो इस प्रकार की रूलिंग दी है उससे बड़ी रूलिंग केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की नहीं मानी जा सकती है। इसलिए जो भी मसले माननीय मन्त्री महोदय ने रखे हैं, वे इर्रिलेवेन्ट हैं, उनकी इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, आपकी जो रूलिंग है वह open to reason है, it may be fraught with possibilities, and the Hon'ble Minister has every reason to place before the House whether there are possibilities or not. The ruling is to be interpreted in the light of facts which he has to place before the House.

श्री मानसिंह महार : आपकी रूलिंग के बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर शंका रखते हैं, तो हमें भी मौका दिया जाय उस बात को री ओपन करके हाउस में यह करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस बात पर बहस नहीं की जाय तो स्पष्ट कह दें। आपने कई बातें उठाई हैं उसका उत्तर नहीं चाहते हैं तो मन्त्री महोदय को कह दें कि छोड़ दें।

श्री भैरोंसिंह : चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चाहते हैं तो सुनें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है उसके साथ साथ उत्तर दें तो ठीक है, परन्तु रूलिंग को चैलेन्ज करना चाहें तो....

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो बहस नहीं हो पायेगी। जो बातें उठाई हैं उनका उत्तर मन्त्री महोदय दे रहे हैं। उस उत्तर के बाद आप ऐसा महसूस करें कि रूलिंग को चैलेन्ज किया गया है या कन्वैसिंग किया गया है तो उसके लिए और तरीके से कहा जा सकता है। बहस को बीच बीच में बन्द करने से न तो उत्तर मिल सकेगा और न माननीय सदस्यों को ही जानकारी मिल सकेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर चाहते हैं, लेकिन जो चार्जेज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो व्यवस्था दी जा चुकी है उसके विपरीत सोचा जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : उसके विपरीत नहीं कहा गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको अपना पोइन्ट पूरा कह लेने दें, नहीं तो बीच बीच में इस तरह से करने पर उसका सेन्स भी कन्वे नहीं हो पायेगा।

श्री मानसिंह महार: सेंस तो है नहीं, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा था कि नोटिफिकेशन का जो टाइम था उस पर जोर था जैसे स्टेट को बड़ा भारी नुकसान हो गया और हम से बड़ी भारी गलती हुई। मैं आज इस सदन में केटेगेरिकली डिनाई करता हूं कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई और इस सिलसिले में........

श्री मुरलीधर व्यास: आपने अभी रूलिंग दिया, आपकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। सेन्टेन्स खत्म हुआ नहीं और पहले ही खड़े हो गये। अगर आपको कोई आपत्ति है तो लिख कर दे दीजिये, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो लिख कर दे दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल: इसलिये अब रह जाता है इसका दूसरा हिस्सा। एक माननीय सदस्य ने बिना आंकड़े दिये हुये यह कहा कि डिले की इसलिये लाखों रूपयों का नुकसान सरकार को हो गया। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ इलहाम हुआ हो और इस इलहाम की हालत में पर कैफियत में....

श्री रामानन्द अग्रवाल: I want to draw the attention of the Chair, the Hon,ble Minister is using contemptuous language which he should avoid.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कुछ सुनें तो सही, कौनसी कॉन्टेम्पचुअस बात है....

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, मालूम होता है....

श्री अध्यक्ष: I think I will have to close the debate if the House is in a mood like this. It is impossible to continue the debate. The Hon'ble Members must co-operate if they want the reply to proceed.

श्री बालकृष्ण कौल: माननीय अध्यक्ष, मैं समझता था माननीय सदस्य इलहाम के माने जानते होंगे। मैं समझा दूं कि इलहाम के माने 'Inspiration' है। यदि अलफाज़ नहीं जानते हैं तो मेरी गलती नहीं। माननीय सदस्य को कुछ ऐसा इलहाम हुआ कि बौखलाये और गलत स्टेटमेन्ट आपके सामने रख दिया। मैं सदन को वाकिफ कराने के लिये कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। ३१.३.६२ को यह ठीक है कि सारी रियासत में ४२५ गैलन विदेशी शराब निकाली गई, जिसका यदि चालू ड्युटी और बढ़ी हुई ड्युटी के फर्क को देखा जाय तो १,३४५) रू. का होता है। अब १,३४५) रु. पर माननीय सदस्य कुछ बिंदियें लगाना चाहें तो १३ करोड़ हो सकते हैं, १३ अरब हो सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह की गलतियों से तो अरब हो सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: मुझे इतना अर्ज

(श्री बालकृष्ण कौल)

करना है कि जब कभी ऐसे ऑगस्ट सदन में कोई स्टेटमेन्ट करे तो मुगालते के साथ स्टेटमेन्ट न हो, यदि हकीक इसमें है तो ज्यादा मुनासिब है ।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, अब मैं आता हूँ दूसरे हिस्से पर और वह है प्रोहिबिशन पॉलिसी पर । कल जब मैं इस पर बहस सुन रहा था तो वाकई में यह महसूस कर रहा था कि जहां तक इस प्रोहिबिशन का ताल्लुक है, वहां तक जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें एक हकीकत है । लेकिन यह वे न भूले होंगे कि यह उन्हीं तक महदूद नहीं था । हकीकत में महदूद था सारी कांग्रेस बेन्चैज पर और कांग्रेस सरकार पर । यह हमारी आज की नीति नहीं है, बल्कि यह हमारी कई सालों की नीति है कि हमें शराबबन्दी करना है । शायद उनमें से बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जिन्होंने इस शराब नौशी के मामले में जो अंग्रेजों के जमाने में वाकयात हुआ करते थे, वारदातें हुआ करती थीं उनका उन्हें अनुभव न हो । लेकिन इतना मैं माननीय अध्यक्ष, आप से अर्ज करूं कि मैं उन बदकिस्मत आदमियों में से हूं जिन्होंने अंग्रेजों की लाठियें खाई पिकेटिंग करने में । लेकिन वे साहबान, वे माननीय सदस्य जिनके दिमाग और दिल में प्रोहिबिशन न हो वे कह सकते हैं कि एक ही दिन में और एक ही निगाह से प्रोहिबिशन जारी हो और उसको रोक दिया जाय । लेकिन मैं इतना तो मानता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके शराब नौशी बन्द होनी चाहिये और जो भी उन्होंने उसके लिये सुझाव दिये हैं उन पर सरकार गौर करेगी । लेकिन यह मैं मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं कि फौरन इसको बन्द करके एक ऐलान कर दिया जाय और माननीय सदस्य जो जयपुर क्षेत्र से आये हैं उनको मौका दूं कि वे मेरे नाम को बड़ी इज्जत से याद करें........

श्री भैरोंसिंह : मैं भूल कर भी याद न करूंगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने फरमाया था इसलिये अर्ज किया ।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपने त्यागपत्र दिया होता तो फोटो लगा देता ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं योग्य नहीं हूं कि मैं यह मौका उनको दूं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहां तक ।

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा और मैं अपील करूंगा कि इसकी रोशनी में सोचें कि क्या शराबबंदी एकदम होना मुमकिन है और यदि मुमकिन है तो कैसे हो सकती है ?

माननीय अध्यक्ष, हमारी रियासत की जो माली हालत है और जो हमारी एक छोटी उम्र की रियासत की हालत है वह माननीय सदस्यों से छिपी नहीं है । इस हालत में ऐसा कदम उठाना जो इस रियासत की रेवेन्यू में........

एक माननीय सदस्य : 'रियासत' लफ्ज की जगह 'राज्य' कर दें तो अच्छा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : उनको राज्य लफ्ज से खुशी है, रियासत से नहीं; तो राज्य रखिये कोई हर्ज नहीं । मैं अर्ज कर रहा था कि रेवेन्यू में करीब १।१२ हिस्सा रेवेन्यू का इस मद से आता है । मैं खुद चाहता हूं कि माननीय सदस्य कुछ मुझे इस किस्म की दलील दें या आंकड़े बतावें या सुझाव रखें कि जिससे मैं और मेरी सरकार सोच सकें कि किस तरह इस शराबनोशी को बंद कर सकते हैं । इस वक्त बावजूद इसके कि हम इस पॉलिसी को मानते हैं और यह हमारा कर्त्तव्य है कि जितनी जल्दी हो सके इस पॉलिसी को कार्यान्वित करें, बगैर इसके हर पहलू को देखे-भाले और इस बात को सोचे कि हमारी हुकूमत पर, हमारी सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है और उसको किस तरह हम रोक सकते हैं ? मगर इन चीजों में जायं खास तौर पर इस बात का लिहाज रखते हुए कि हमारी जनता के ऊपर जितने टैक्सेज़ हैं, उन टैक्सेज का क्या रिएक्शन होता है ? क्या उनकी इतनी आमदनी है कि वे कहें कि जितने टैक्स हैं इनको बर्दाश्त करते हैं और आगे जो टैक्स लगते हैं उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं ? इन सब बातों के बाद क्या वे यह सोचते हैं कि मैं यहां पर खड़ा होकर कह दूं कि कल से शराब–नोशी बन्द कर दी । मैं समझता हूँ, यह मुनासिब नहीं होगा । जो माननीय सदस्य यह समझते हैं, बावजूद इसके कि हमको एक ऐसा डिक्लेरेशन कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वे गैर–जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं । इतना मैं माननीय सदस्यों के आगे रख देना चाहता हूँ कि यह प्रोहिबिशन इस सरकार का, कांग्रेस सरकार का, और यहां तक कि संविधान का, महत्वपूर्ण फैसला है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस पर जरूर कार्यवाही होगी । इसलिए यह समझ लेना कि माननीय वित मंत्री इस किस्म के हैं कि जो...

श्री भैरोंसिंह : अपने आप को माननीय नहीं कहते हैं, यह शिष्टाचार की बात है ।

श्री बालकृष्ण कौल: आपके लफ्ज़ों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं ।

तो वित्त मंत्री इस किस्म के हैं कि कांग्रेस के और महात्मा गांधी के विचारों अवहेलना कर रहे हैं, यह गलत है ।...

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : शाम को करते हैं, दिन में नहीं ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर देता हूं कि ये सारी बातें सदन के समक्ष होने पर भी जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से विचार करे और जिनका यह लक्ष्य भी है कि शराब–नोशी बन्द हो, वे सामने आयें और इस किस्म की तजवीज पेश करें कि........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल सामने खड़े हैं, साहब ।

श्री श्योपतसिंह : कसम खाते हैं ।

श्री हरिराम चौहान : पानी मिलाने की बात चलती रही है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : कि जिस पर सरकार काफी संजीदगी से विचार कर सके । अब रहे दो और सवाल । उनका जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं । मुझे फख्र से यह कहना पड़ता है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, उनमें कुछ विचार ऐसे हैं कि जो वाकई कंस्ट्रक्टिव कहने के लायक हैं । मैं उनका जिक्र आपके सामने कर देना चाहता हूं । आमेर से जो माननीय सदस्य तशरीफ लाये हैं, उन्होंने सरकार से यह अपील की कि अगर वे इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई करना चाहते हैं जिसमें करप्शन है, इसलिए वे कुछ केसेज सरकार के सामने लाना चाहते हैं और कॉन्फीडेन्स में लेना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार हर वक्त तैयार है, उनको इसमें कोऑपरेशन देने में । उन्होंने एक-आध केस भी दिये । जो मेरे पास उन केसेज की जानकारी आई है उसके अनुसार....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक हजार भट्टियों की बात कही थी, एक–आध केस नहीं था ।

श्री बालकृष्ण कौल : एक केस शायद रामनारायणजी का था कि उनको सरकार ने कम्पाउन्ड कर दिया । मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूँ कि उनकी यह इन्फॉर्मेशन गलत है । उसको सजा हुई है, उसका कन्विक्शन हुआ है और साथ ही बारह सौ रुपया जुर्माना हुआ है । तो इसलिए यह कहना कि एक्साइज डिपार्टमेंट कम्पाउन्ड कर देता है, यह गलत है । यह मैं नहीं कहता कि कहीं कहीं कम्पाउन्ड नहीं हुए हैं, लेकिन इस केस में, जिसकी ओर सरकार का ध्यान खींचा....

श्री मानसिंह महार : क्या हुआ उसमें ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसको सजा हुई और बारह सौ का जुर्माना हुआ ।

श्री मानसिंह महार : मैं चैलेंज करता हूं इसको, अभी भी रामानारायण मौजूद है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जिन्दा तो रहेगा ।

श्री मानसिंह महार : वह घर पर मौजूद है । सजा कहां हुई ?

श्री हरिराम चौहान : क्या आप माननीय सदस्यों को बता सकते हैं कि कितनी रिश्वतखोरी हो रही है, स्टाफ के कितने आदमी दिन दहाड़े रिश्वत खा रहे हैं, कितनी भट्टियों को पकड़ते है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर वित्त मंत्री को यह मालूम हो कि इतने रिश्वत खा रहे है तो मैं समझता हूं कि वे खाने वाले न रहें । यह सवाल जो है वह अपने आप में कोन्ट्राडिक्शन है ।

श्री मानसिंह महार : इतना अहम मसला है, आप इसमें बारह सौ का जुर्माना काफी मानते हैं ? इज्जतदार आदमी को पन्द्रह दिन की सजा होती है तब सजा होती है, रुपये

(श्री मानसिंह महार)

को सजा दें तो दस हजार, पन्द्रह हजार रुपया दे दें।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को मैं अर्ज करदूं कि उसको मजिस्ट्रेट ने एक दिन की सजा दी और बारह सौ रुपये का जुर्माना किया। इसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपील की, लेकिन खारिज हो गई। इसमें मजिस्ट्रेट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वह कोर्ट का काम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन इतना मैं आप से अर्ज कर देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बाबत इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं आज सदन के सामने यह कह दूं कि गलती नहीं हुई है....

श्री श्योपतसिंह : कौन कौनसी हुई हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैं जानना चाहता हूँ।

लेकिन इन्सान आखिर इन्सान है, कुछ उससे गलतियां हो जाती हैं........

श्री मुरलीधर व्यास : जो गलतियां बताई हैं, उससे आप इन्कार करते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जो विपक्षी लोग हैं उनसे भी गलतियां होती हैं और गलतियां इन्सानी खसलत हैं। अगर गलतियां न हों तो तरक्की नहीं हो सकती....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए गलतियां की हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : देखना यह है....

श्री मानसिंह माहर : खसलत के मुताबिक गलती की है !

श्री बालकृष्ण कौल : सुनिये भी, घबराहट क्यों हो रही है।

श्री श्योपतसिंह : चीफ मिनिस्टर बनने के लिए की हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम होता है घबराहट हो रही है या एक्साइज का असर पड़ रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप रहेंगे तो सारी जनता पर असर हो जायगा।

श्री श्योपतसिंह : घबराहट हो रही है, इसमें शक नहीं है, सरकारी दौलत जा रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष....

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री बालकृष्ण कौल : इसी तरह का एक केस उदयपुर के किसी गांव का था। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमने तार से वहां से फैक्ट्स मांगे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आये हैं और आने पर मैं माननीय सदस्य को उसकी कैफियत बता दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : कब तक आ जायेंगे। इस प्रकार अगर स्पिरिट मिलाई गई है तो क्या सजा होगी ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसी जमाने में आ जायेंगे, इसी सेशन में।

श्री विजयसिंह झाला : आप जब तक मिनिस्टर हैं तब तक आ जायेंगे या बाद में आयेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : आजमाइश कर लीजिये थोड़े दिनों के अन्दर।

(विराम)

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, हाउस बहुत देर तक सस्पेन्स में रहता है।

श्री बालकृष्ण कौल : यदि आप पोइन्ट नहीं जानना चाहते हैं तो मैं खत्म कर दूं।

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट जल्दी जल्दी बोलिये।

श्री हरिराम चौहान : सब पोइन्ट जल्दी आ जाने चाहिये, रामायण बहुत लम्बी हो गई।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सब्र करिये, सब्र का फल मीठा होता है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य जो गुजरात और राजस्थान की सीमा के नजदीक रहते हैं उन्होंने यह कहा कि गुजरातवाले राजस्थान में आकर शराब पीते हैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पीते नहीं बेचते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने नहीं कहा, आप क्यों घबरा रहे हैं ? जिसने कहा है वे अपने आप परयू कर लेंगे। मुझे अर्ज करना है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुना है, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई बेचता होगा या पीता होगा, उसकी जिम्मेदारी राजस्थान गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। सिर्फ इतना मैं अर्ज करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि राजस्थान एक्साइज के कायदे के माफिक जो सीमा रखी गई है, वह इन सीमाओं से दस मील दूर रखी गई है। अगर कोई दस मील चल कर आकर शराब पीये तो इसके लिये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है........

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : On a point of order, Sir, यह जो दस मील के एरिया के अन्दर दूकानें हैं, आज फिलहाल राजस्थान सरकार के ठेकेदार को दी हुई दूकानें चल रही हैं और कानून है कि बम्बई प्रान्त के एरिया से दस मील दूर दूकान लगायें, दस मील के एरिया में न लगायें। आप कह रहे हैं कि दारू पीने वाले पी सकते हैं, दारू पीने वाले लोग तो बम्बई में भी पीते हैं। जो दूकानें आज चलती हैं उनके बारे में क्या सरकार व्यवस्था कर रही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य का कहना है कि दस मील की सीमा में रखी हैं, वह गलत है।

श्री हीराभाई : दस मील के अन्दर या पास नहीं रहनी चाहिये.......

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! तो दस मील की सीमा बताई है, उसके अन्दर भी दूकानें हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : वे बतावें तो उस पर जरूर एक्शन लिया जावेगा।

श्री हीराभाई : डूंगरी और सुजानगढ़-इनके बारे में आप नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह बांसवाड़ा में हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैंने भी कहा था एक हजार भट्टियों के लिये, उस पर भी गौर किया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिस समय मैं बोल रहा था उस वक्त आप यहां नहीं थे। मैं आपका कोऑपरेशन लेने के लिये तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि यह कॉमर्शियल स्पिरिट की आमदनी में कमी क्यों हुई ? मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि यह कमी इसलिये हुई कि पहले कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज चली कि उनका काम इस स्पिरिट को दवाइयों के रूप में नहीं देकर बाहर उन राज्यों में जहां पर इसके लिये प्रोहिबिशन है वहां पर भेजी जाती थी। जब ऐसी चीज पकड़ी गई तो यह मुनासिब समझा गया कि ऐसी कॉमर्शियल कन्सर्न को बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार गैर कानूनी कार्यवाही करने से रोका जावे और इसलिये यह आमदनी कम हुई।

एक माननीय सदस्य ने यह ध्यान दिलाया कि अफीम की जो काश्त हमारे यहां हो रही है उसमें काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात सदन के आगे रखी वह ठीक हो सकती है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह विषय हमारा विषय नहीं है, यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। इसके मेन्युफेक्चर का और इसके कल्टीवेशन का काम हमारी स्टेट का नहीं है, फिर भी हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी, क्योंकि सुझाव इस सम्बन्ध का है जिससे हमारे काश्तकारों को नुकसान होता है, तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि गैर रस्मी तौर से केन्द्रीय मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं और उनसे कहूं कि यहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारे काश्तकारों को नुकसान न हो।

इसके साथ साथ एक और प्रश्न उठा और वह था डोडों का। प्रश्न यह था कि डोडों पर ड्यूटी ज्यादा क्यों बढ़ाई गई है ? मैं आप से निवेदन करूंगा कि डोडों पर इसलिये ज्यादा लगाई है और मैं समझता हूं कि यह वाजिब भी था, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। जो लोग अफीम खाते हैं उन्होंने अफीम नहीं मिलने के कारण इन डोडों को उबाल कर इनका पानी काम में लेना शुरू किया। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि अफीम डिसकरेज की जावे और रोकी जावे और लोग इसका दुरुपयोग करें तो इस पर ड्यूटी बढ़ा दी, वह इसको डिसकरेज करने के लिये है।

कल माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान में सुझाव रखे इस सम्बन्ध में कि जो

(श्री बालकृष्ण कौल)

शराब की ऑक्शन की ठेकेदारी की पद्धति है वह समाप्त की जावे । श्रीमान, यह सुझाव वाकई इस किस्म का सुझाव है कि जिसको जितना ही उत्तम किया जावे उतनी ही रोशनी इसमें दिखाई देती है । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के सुझाव सदन में आते रहें तो शायद सरकार को मौका मिलेगा ऐसी चीजों में तरमीम करने का जिससे पब्लिक को फायदा हो । आज की जो पद्धति है वह वाकई इस किस्म की है कि जिससे जो एडल्ट्रेशन की बात कही जाती है, उससे करप्शन को तरजीह मिलती है । मेरी कुछ बातचीत माननीय सदस्यों से अलहदा अलहदा हुई और जो दलील उन्होंने दी और जिस तरह से उन्होंने सुझाव देने की कोशिश की, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

अब मैं यह अर्ज कर दूं कि जो सुझाव उन्होंने रखे, मगर उन सुझावों को १०० प्रतिशत मानने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सी कमी इसमें हो सकती है । लेकिन इतना मैं उनको यहां विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाइसेन्स फी जिसका व्यापार होता है उसको बन्द कर दिया जावेगा और उसको बदल दिया जावेगा । इसलिये मुझे उम्मीद है कि अगर कॉन्ट्रेक्टरों ने हमारा साथ दिया तो आसानी से हम इसमें एक कदम उठावेंगे एडल्ट्रेशन को रोकने में और इसको रोकने के साथ साथ करप्शन को रोकने में आसानी होगी ।

एक माननीय सदस्य : कॉन्ट्रेक्टर आपको सहयोग नहीं देंगे तब ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने कहा कि कॉन्ट्रेक्टर साथ नहीं देंगे । अगर वे लोग साथ नहीं देंगे तो सरकार भी यह जानती है कि किस तरह से वह अपना रंग बदल कर काम कर सकती है और कायदे कानून से इस किस्म की पद्धति डाल सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : जो अभी तक किसी पहलेवाली सरकार ने नहीं डाली ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपके इन्सपेक्टर होते हैं वे कमीशन लेते हैं उसमें क्या कमी करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये और मैंने जो बात कही है उसको माननीय सदस्यों ने समझने की कोशिश की होती तो मैं समझता हूं कि जो पद्धति हम चलाने जा रहे हैं........

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि इस किस्म की पद्धति होगी, वह कैसी होगी, यह तो बतावें ?

श्री बालकृष्ण कौल : दुनिया तरक्की की ओर बढ़ रही है ।

बावजूद इसके कि सरकार की यह पॉलिसी है कि एडल्ट्रेशन और करप्शन रुके........

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार अपनी तरफ से दूकानें खोलने की सोचती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपका यह सुझाव है इस पर एग्जामिन किया जावेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो हलकी चीज बेचते हैं उसको प्रेक्टिकली चख कर, टेस्ट करके कहने का विचार है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसके लिये यंत्र हैं।

श्री मानसिंह महार : गवर्नमेंट होस्टल के पास कोऑपरेटिव बेसिस पर दूकान खोल दी जावे तो क्या ऐतराज है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको वहां पर मैनेजर मुकर्रर किया जावे तो क्या ऐतराज है ?

श्रीमान्, मैंने अभी माननीय सदस्यों से एक अपील की थी वह यह कि अगर उनका कोऑपरेशन हमारे साथ रहा, अगर उनकी मदद हमारे डिपार्टमेंट के साथ रही और जैसा आमेर से आए हुए माननीय सदस्य ने बड़े जोरशोर से कल अपनी इमदाद का हाथ बढ़ाया था तो मैं उनसे खास कर और दूसरे माननीय सदस्यों से आम तौर से अर्ज करूंगा कि वे हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यकीन रखें कि जब भी हमको उनकी मदद मिलेगी सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अगर इसको खत्म करना चाहें तो हम सब के सब आपको पूरी पूरी मदद करने को तैयार हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : किस कोखत्म करें ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : शराब को। अगर राजस्थान सरकार शराबबन्दी करना चाहे, शराब को बिल्कुल बन्द करना चाहे तो हम सभी लोग आपको सहयोग देने को तैयार हैं; हमको आप कहें, जो हुक्म दें उसी माफिक हम चलने को तैयार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : और जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म करें तो, शराब को बिल्कुल हटावें तो हम पूरी मदद देने को तैयार हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार की नीति है कि शराब बन्द हो, हर नशीली चीज बन्द हो, पर एक चीज को बन्द करने के लिए उसका निरीक्षण करना पड़ता है, हर पहलू से। वह पहलू कोई मामूली पहलू नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो दिन दिन बढ रही है, इसको कम कैसे किया जाय, यह बताइये ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अच्छा काम करने के लिये बुराई का तो कभी साथ नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, बन्द करने के लिये जो जो साधन होने चाहिये उनमें से एक साधन हमारे बनाया हुआ था। एक कमेटी थी इसके प्रोविजन के लिये। उसको अधिकार दिया था कि वह सुझाव रखे इस तरह के कि इससे जो सरकार को नुकसान होने का इमकान है, वह भी नहीं हो और लोगों में शराब बन्द हो। नुकसान में और शराबबन्दी में इस तरह का मेल हो कि नुकसान भी नहीं हो, शराबबन्दी भी हो और सरकार का काम भी चलता रहे।

Page No. 36

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में शराबबन्दी से प्रान्तीय सरकारों को जितना नुकसान होगा उतना देने को रजामन्द है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना अर्ज कर दूं कि केन्द्रीय सरकार से एक सुझाव आया है कि जो स्टेटें मुकम्मिल तरीके से शराब बन्द करना चाहें तो उनको वह नुकसान का ५०.० प्रतिशत रुपया देने को तैयार है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बाकी ५० प्रतिशत नुकसान रहता है वह प्रशासन में खर्चा कम करके पूर्ति कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये तो सही, माननीय सदस्य। वे अपनी बात रख रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर चुका हूँ और फिर अर्ज कर रहा हूं कि आप शांति से, ठंडे दिमाग से सोच कर कमेटी के सामने सुझाव रखें कि स्टेट को शराबबन्दी से जो नुकसान होता है; किन सुझावों से उसकी पूर्ति होती है और इस शराबबन्दी को करने से पांच-छः करोड़ का नुकसान होता है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं पहला आदमी होऊंगा कि अगर आपके सुझाव ऐसे आयेंगे, जो हवाई नहीं हों, हकीकी-वाकई हों, मस्नुई न हों, असली हों तो आपका वित्त मन्त्री उन्हें मानने को तैयार होगा।

श्री भैरोंसिंह : उस समय तक वित्त मंत्री नहीं रहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, जो जवाब दिया गया, मैं कभी से हस्तक्षेप कर रहा था; पर आपकी तरफ से व्यवस्था थी कि आप इसके सम्बन्ध में बाद में कहेंगे। जो चेयर से व्यवस्था दी गई थी उसे मैंने बार बार पढ़ा, वह आज भी मेरे पास मौजूद है, उसमें स्पष्ट है कि आपकी (वित्त मन्त्री) इस गलती की वजह से खजाने पर और साथ ही उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है। इससे सरकार के खजाने को नुकसान हुआ है और साथ ही उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है। दोनों को नुकसान हुआ है। इसके लिये आपकी स्पष्ट व्यवस्था थी। उस पर भी मन्त्री महोदय ने यहां सदन में बातें कही, यह कहा कि जो आरोप लगाये गये और जो भी व्यवस्था दी गई, व्यवस्था के बारे में कहा या नहीं कहा, मैं नहीं कह सकता, पर यह कहा कि जो आरोप लगाये वे गलत हैं। जो कुछ हमने किया है ठीक है। इससे स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय चेयर की ओर से जो व्यवस्था दी गई उसको मानते नहीं। उसके उत्तर में जवाब दिया जाता है कि हमने जो कुछ किया ठीक किया, गलती नहीं की। गलत नहीं किया है तो जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहें तो व्यवस्था भी पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जो कहना चाहते हैं, संक्षेप में अपना दृष्टिकोण रखिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यही कहता हूँ कि जो कुछ हुआ है, आप मानें या नहीं मानें, पर हम मानते हैं कि किसी वित्त मन्त्री की तरफ से इस प्रकार की लापरवाही हो, वह बड़ी गलती है । हम विरोधी दल के लोग महसूस करते हैं कि आपकी व्यवस्था के बावजूद भी जब मुख्य मंत्री भी बोले, मुख्य मन्त्री से हम आशा करते थे, मन्त्री-मण्डल से हम आशा करते थे, मांग करते थे कि मन्त्री–मण्डल की तरफ से हमारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाय; पर न तो हमारे मुख्य मन्त्री ने कुछ कहा और मन्त्री महोदय ने कहा तो उसकी सारी बात को ही उड़ा दिया, व्यवस्था का भी अपमान किया । यह एक चारित्रिक दोष है और हमारी लोकतन्त्र की परम्पराओं के विपरीत है । हमने मांग की थी कि इस प्रकार की लापरवाही की गई है इससे सरकार के खजाने को नुकसान हुआ है । मंत्री महोदय कहते हैं कि गलत है । हमारे मन्त्री-मण्डल के नेता इस पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहते । तो मैं समझता हूँ, यह जो कुछ हो रहा है, लोकतन्त्र की, इस लोकतन्त्र में हमारी बातों की अवहेलना की जा रही है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : Are you making preparations for a walk-out ?

श्री मुरलीधर व्यास : वित्त मंत्रीजी के साथ साथ सारा मन्त्री–मण्डल इसके लिये दोषी है; तो सारे मन्त्री-मण्डल के खिलाफ हमारे विचार हैं, उनका बहिष्कार और अविश्वास करते हैं । इस तरह की बात हमने यहां रखी । मन्त्री–मण्डल जो हमारी बातों की अवहेलना, उपेक्षा कर रहा है उसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, सारे विरोधी दल के सदस्य । आपने जो उत्तर दिया है उसका बहिष्कार करने के लिये, आपकी नीति में भ्रष्टाचार और पतन बताते हुए हम सदन से वॉक आउट करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : As the Finance Minister has not clarified the position, I would expect the Treasury Benches that they will atleast show the sense...

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : Speeches should not be allowed at the time of walk-out.

(विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): We feel that there has been a breach of privilege.

श्री जोधसिंह (गिरवा) : जो सही बातें हमारी ओर से रखी जाती हैं, उनकी इस प्रकार से उपेक्षा की जाती है और सरकार इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करती है; ऐसी दशा में हम वॉक आउट करते हैं ।

(विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री निरंजननाथ आचार्य : The Finance Minister will continue his speech, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५६,७३,०००) रु० तक को राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३—गाड़ियों पर कर

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ३

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,५१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री नाथीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७, ५१,०००) रु० तक की राशि प्रदान कीजाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४

(श्री मानसिंह महार के सदन से बहिर्गमन के पश्चात् सदन में प्रवेश करने पर)

एक माननीय सदस्य : पास हो चुकी।

मांग संख्या ४--बिक्री कर

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ४

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२— बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,८६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए—

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : (३), Demand No. IV, Major Head 12-Sales Tax be reduced by Re. 1/- (to discuss harassment caused by the personnels of the Department to various categories of the Business Communities).

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (४), Demand No. IV, Major Head 12-Sales Tax de reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Goverment to simplify the method of collection).

श्री फतेहसिंह (चौहटन) : (५), मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (बिक्री कर विभाग के अहलकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (६), मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में १००) रु० की कटौती की जाय (बिक्री कर की वसूली के लिए अलग अनुभवी एवं ट्रेंड अधिकारियों को तैयार करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : (११) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (बिक्री कर वसूली की व्यवस्था के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

श्री उमरावसिंह ढाबरीया (बनेड़ा) : (१२), मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (५ हजार की जनसंख्या तक के गांवों के व्यापारियों से बिक्री कर वसूल करने के तरीकों पर बहस करने हेतु)।]

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयकृष्ण।

(अनुपस्थित)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : सेल्स टैक्स के बारे में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बिक्री कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर के नाते यह गरीबों के ऊपर भी असर करता है। जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर भी यह लगाया गया है। एक सभ्य शासन के नाते जो कर जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं पर लगे, जो गरीबों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाले वह कर अवांछनीय है, नहीं लगना चाहिये और अगर कोई कारणवश लगाया भी जाय तो इतना न्यून मात्रा में लगाना चाहिये कि जिसका असर गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मध्यम श्रेणी के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, निम्न वेतनिक कर्मचारियों के ऊपर कम से कम पड़े। यह हमारी तथाकथित कन्ट्रोल्ड इकोनोमी का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक परिणाम है। अर्थात् समस्त अर्थ व्यवस्था राज्य के अधिकार के अन्दर आवे और दिनों दिन करों की मात्रा बढती जाय और लोगों को खास कर के गरीब वर्ग का शोषण होता जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमको यह सेल्स टैक्स जैसी एक वेक्सेशियस लेवी लगाने का मूल कारण क्यों उत्पन्न हुआ, उसका कारण स्पष्ट है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ हमारी योजना है वह ऐसी है जो हमारी हैसियत से बाहर है। हम ऐसी योजना को सिद्ध और सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको वास्तविक रूप से सफल नहीं बना सकते। १४ वर्ष हो गये प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सब्ज बाग दिखाते हुए, वह सुनहरी दिन दिखाते कि यहां दूध, दही और घी की नदियां बहने लगेंगी। १४ वर्ष पहले हमारा देश आज़ाद हुआ। शासनारूढ़ दल के नेता यह कहते थे कि हम कल्पना करना चाहते हैं कि रामराज्य स्थापित होगा, दूध, दही और घी की नदियां बहेंगी और कर व्यवस्था ऐसी होगी कि सब को, गरीब से गरीब को भी सच्ची आजादी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में यह स्थिति है कि 'शुद्ध घी का तो मुंह काला और डालडा का बोलबाला'। यह एक अधिनायकवादी योजना की विशेषता है। हम कितने ही दिन तक उस सुनहरी दिन को देखते रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहे कि हमारी अर्थ व्यवस्था संतुलन पर आवे और बिक्री कर जैसी जो डाइरेक्ट, प्रत्यक्ष लेनी है उससे हम मोक्ष पा सकें।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारीगण, हैं इस कर को वसूल करने के सम्बन्ध में, जिनके फरजियात राजस्थान सरकार के द्वारा कायम किये गये हैं, वे भी अपने उत्तरदायित्व को परिपूर्ण रूप से नहीं समझ सके। सिद्धान्ततः मेरी पार्टी का यह नियम है, सिद्धान्त है कि कर्मचारीगण के ऊपर आक्षेप न डालें, खास कर वे अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते,........

(१२.५५ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह सभापति, पदासीन)

बचाव नहीं कर सकते अपना, आक्षेप का उत्तर नहीं दे सकते। परन्तु यह समस्त राजस्थान में स्पष्ट है, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है मेरे जिले का कि कर्मचारीगण खुले आम व्यापारी वर्ग को डराते हैं, धमकाते हैं, दबाते हैं और खुद शासनारूढ़ दल से डिमोरेलाइज हो चुके हैं। प्रत्यक्ष शासनारूढ़ दल का प्रचार करके व्यापारियों से कहते हैं कि ताबड़तोड़ बिक्री कर वसूल करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, तरह तरह के दबाव डालेंगे और शासनारूढ़ दल की तरफ जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वे पेट्रोल के व्यापारी हों, चाहे वे कपड़े के व्यापारी हों, चाहे वे किराने के व्यापारी हों, चाहे वे मुत्फरिक व्यापारी हों, उनके नाम हजारों रुपयों का बिक्री टैक्स वसूल होना बकाया है वह छोड़ दिया जाता है। कर्मचारीगण ने उनके सम्बन्ध में एक नियम सा बना लिया है कि ढिलाई करें, धीरे २ उनसे बकाया वसूल करते रहें। ऐसे कई उदाहरण हैं कि वर्षों तक बिक्री कर वसूल नहीं हुआ और उसको बढ़ने दिया गया। उदाहरण देना, सदन के फ्लोर पर देना मैं पसन्द नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करता । अगर पूछा गया तो इस सम्बन्ध में सब जानकारी देने की चेष्टा करूंगा । यह व्यापारी वर्ग जो शासनारूढ दल की तरफ रह कर इतना लाभ प्राप्त करता है वह बड़ी २ धनराशि शासनारूढ दल को देता है, चन्दे के रूप में, दान के रूप में और धन संग्रह के रूप में । और यही व्यापारी वर्ग वर्तमान शासनारूढ़ दल को सत्ता में रखता है, भ्रष्ट नीति अपना कर अपना स्वार्थ पूरा करता है और एक भ्रष्ट शासन को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है ।

(१.० म. प.)

यह एक बड़ी घृणास्पद स्थिति है; मैं यह कहने को तैयार हूं । घृणास्पद नीति से प्राप्त किया हुआ रुपया या धनराशि है जो शासनारूढ़ दल प्राप्त करता है यह एक tainted money है । यह कभी भी सफल और बहुत दिनों तक लाभप्रद साबित नहीं हो सकती । हमारी पार्टी के नेता ने सुझाव रखा था कि बड़ी कम्पनियां या व्यापारी वर्ग शासनारूढ़ दल को या किसी भी राजनैतिक दल को चन्दा न दे । इसको शासनरूढ़ दल ने अनुचित समझा और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में विवशता प्रगट की । अगर यह सुझाव अब भी स्वीकार किया जाय तो मेरे खयाल से एक स्वस्थ शासन प्रणाली और विशुद्ध राजनीति हमारे क्षेत्र के अन्दर, हमारे देश के क्षेत्र के अन्दर हम प्राप्त कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर कर का भार इतना लाद दिया है, इन वस्तुओं को इतना ओवर लोड कर दिया गया है कि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वच्छ और ईमानदारी से व्यापार करने की कोई गुंजाइश नहीं रही । उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा, जैसे सोने का व्यापार, तांबा-पीतल के बरतनों का व्यापार । कदाचित् कहेंगे, सोना एक समाजवादी संस्था के सिद्धान्तों के अन्दर कोई वख्त नहीं रखता । लेकिन यह स्थिति नहीं है । मैं समझता हूँ सोना अनादि काल से करेन्सी की एक साख है, करेन्सी के लिए यह एसेन्शियल baking है बिना गोल्ड की बेकिंग के करेन्सी कायम नहीं रह सकती । इसके अलावा सोना बड़ी आवश्यक वस्तु भी है । करोड़ों लोग किसान, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के कर्मचारी शादी के समय एक जेवर ही खरीद कर दुल्हा दुल्हन को या पिता अपनी पुत्री को दे । उस समय वह सोना खरीदता है तब भी उसको टैक्स देना पड़ता है । जेवर बनाता है तब भी टैक्स, उसके छः महीने बाद या एक दो महीने बाद ही बेचने की व्यवस्था करता है तब भी टैक्स और उसको गलाता है तब भी टैक्स । सोने की कीमत बढ़ रही है और उसी रफ्तार से इस पर टैक्स भी बढ़ रहा है । इसके उपरान्त आप चाहें कि व्यापारी व्यापार ईमानदारी से करें, यह संभव नहीं । आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार मैं समझता हूं यह सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य है कि वह इस बारे में सोचे और सोच कर दूरदर्शी निर्णय इस पर लें कि ओवर लोडिंग टैक्सेज़ ऑफ कॉमोडिटी-अत्यधिक टैक्स किसी वस्तु पर होता है तो वह वस्तु उस टैक्स के बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती, वह उसकी क्षमता से परे है । ऐसे टैक्स किसी वस्तु पर लगाये जाते हैं तो यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

न तो बुद्धिमत्ता से युक्त और न दूरदर्शी नीति ही है बल्कि इसे बुद्धिमता का पर्दाफाश कह सकते हैं।

बहुत से गरीब किसान सोने की रकम बेचना चाहते हैं। वे कसौटी पर बिना उतारे ही बाला बाला कारीगर को देना चाहते हैं ताकि वे टैक्स से बच सकें, और कारीगर उसके अन्दर मिश्रण करता है और मिश्रण करके जो सोना सौ रुपया या सवा सौ रुपये का है उसको ८०) रुपये में खरीदता है या बेचता है। दूसरे शब्दों में वह यह भी समझता है कि मिश्रण करने की जो नीति है, एडल्ट्रेशन की जो नीति है वह सरकार आगे होकर प्रोत्साहित कर रही है। इसके उपरान्त भी जगह जगह हम देखते हैं टक्सेज़ का इवेजन होता है। कोई भी व्यापारी सुचारू रूप से व्यापार नहीं कर सकता। आज सरकार की नीति ही इस प्रकार की है कि कोई भी व्यापारी सुचारू रूप से व्यापार नहीं कर सकता, उसको भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैं समझता हूं जो सोने के सम्बन्ध में है, जो रीति नीति है वही तांम्बे पीतल और चांदी के सम्बन्ध में है। उसी हद तक आवश्यक वस्तु अनाज के सम्बन्ध में भी मैं कहूंगा वही रीति नीति हमारी सरकार बरत रही है।

टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था ऐसी है-मैं समझता हूं एक तरह से यह बेगार है। व्यापारी सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है, कोई भी कर्मचारी इसको क्लेक्ट नहीं करता। वह अकाउन्ट रखता है, अवैतनिक रूप से उसको इकट्ठा करता है, सब टैक्स अवैतनिक रूप से जाकर राज्य के कोष में जमा कराता है। मेरे खयाल से यह सुचारू व्यवस्था नहीं है। बेगारी व्यवस्था है जो व्यापारी करना नहीं चाहता, परन्तु कानून के जरिये से मजबूर होकर करना पड़ता है।

एक ही वस्तु पर एक या दो से अधिक बार टैक्स लगाया जाय तो यह अर्थ नीति और कर नीति के सिद्धान्तों के अनुसार अच्छी चीज मैं नहीं मानता। अनाज के ऊपर, उदाहरण के तौर पर लैन्ड रेवेन्यू लगती है, भू-राजस्व लगता है उसको बेचे तो सेल्स टैक्स, परचेज करने पर टैक्स लगता है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स भी लगता है। यह जो नीति है राज्य की, एक तरह से शासनारूढ़ और विरोधी दल के बीच में गहरी खाई है। इन दोनों के साथ साथ अर्थात् विरोधी पक्ष और कांग्रेस के साथ साथ जो विभिन्नता का बर्ताव व्यापारी के साथ राज्य कर्मचारियों द्वारा होता है वह अवांछनीय और घृणास्पद है। मैं इसको निन्दनीय समझता हूं।

आज की राजस्थान सरकार विचारों की दृष्टि से गांधीजी के विचारों से कितनी दूर जा चुकी है; मैं गांधीजी के शब्दों को आपके समक्ष रख कर इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

"The greatest evil of over Government is the steady and certain loss of national vitality and power of resistance. I hope to demonstrate that real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few, but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when abused. In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

their capacity to regulate and control authority. Democracy is bound to die under over Government. The sapping of people's power of resistance which is the inevitable result of over Government and of permits, controls and quotas makes them an easy prey to any kind of coup, good or bad". सभापति महोदय, मैं यह कहूं कि इन विचारों से आज हमारी राज्य सरकार सौ कोस परे जा चुकी है और मैं यह कहूं कि discrimination is the policy of the Government of Rajasthan, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, सेल्स टैक्स के बारे में जब मैंने बजट में प्रावधान देखा तो मेरे दिमाग में यह आया कि यह विभाग जो है एक बहुत ही खतरनाक विभाग है और खासतौर से शायद इसी पर मैं कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रखता लेकिन अभी इस महकमे द्वारा यह नई बात कर दी–चने पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। वह सीधा काश्तकारों पर लागू होगा। बेचारे अनपढ़ गांव वाले हम लोग जो होते हैं हमको यह मालूम नहीं होता कि किस प्रकार से इस टैक्स को दिया जाय। हम लोगों को, टैक्स विभाग के तरीके इतने कॉम्प्लीकेटेड होते हैं कि इतना हिसाब किताब रखना होता है कि गांव वाले बेचारे रख नहीं सकते। आज किसी गांव वाले को अपनी भैंस के लिये चारा भी खरीदना पड़े तो वह चने बेच कर खरीदता है। एक गांव में जहां अनपढ़ किसान रहते हैं वह अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदना चाहता है तो अपना चना बेच कर खरीदता है। तो जब से सेल्स टैक्स लागू हो गया तब से उसको अलग अलग खाता बही रखनी पड़ेगी।। यह बीमारी शहर के पढ़े लिखे दूकानदारों तक ही सीमित थी अब यह हमारे तक पहुंच गई। मैं समझता हूं यह सरकार की नीति टैक्स बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने की नीति है, इसको चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों सब को इसका समर्थन करना चाहिये। जब भी यह टैक्स की बात इस सदन में आती है तो हमारे उस पक्ष–में, सरकारी पक्ष में बैठने वाले आदमी इतने कम हो जाते हैं कि मानों वे इस बात को नापसन्द करते हों, पर वे पार्टी के अनुशासन से घबराते हैं वर्ना वे टैक्स लगाना पसन्द नहीं करते। पर आम सदस्य जो हैं वे तो इस बात को पसन्द नहीं करते इसलिए स्पष्ट कह देते हैं। परन्तु हमारे मंत्रीगण को तो हाय पैसा, हाय पैसा लगा रहता है। वे तो किसी भी प्रकार से यह चाहते हैं कि इस प्रकार के टैक्स अधिक से अधिक लगें।

चने ही नहीं, गांव के अन्दर कॉम्प्लीकेशन पैदा करने को अब के तो कॉटन सीड पर, कपासिये पर भी टैक्स लगा दिया है। यह भी एक गांव वालों को सीधा इफेक्ट करने वाला टैक्स है। मैं निवेदन करूं कि ४७–४८ में हमारा देश आजाद हुआ था तो लोग बड़े प्रफुल्लित थे। वे कहते थे कि अब तो हमारा देश आजाद हो गया। यहां दूध-दही की नदियां बहेंगी। मैं आप से निवेदन करूं कि और प्रान्तों के मुकाबले में उस समय राजस्थान में दूध-दही की नदियां बहती भी थीं, लेकिन आजादी आने के बाद इन पन्द्रह सोलह वर्षों में दूध-दही की नदियां तो बन्द

(श्री मानसिंह महार)

हो गई और जयपुर शहर में तो आज मल-मूत्र की नदियां बह रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूं यह कोई इस सरकार के लिये और हमारे उप-मन्त्रीजी के लिये शोभा की बात नहीं है। इनको तो शर्म आनी चाहिये, इस बात से। श्रीमान् चेयरमैन महोदय, अगर इनमें हया थोड़ी बहुत हो तो ये रोते दिखते होने चाहिये कि जयपुर शहर की आज दर्दनाक हालत है। पर इस ओर उनकी तवज्जोह नहीं। वे दूध-दही की नदियों को रोकने के लिये भी चने पर सेल्स टैक्स, काकड़ों पर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। उनकी नीयत है कि मवेशी को चराने के लिये जो चीजें हैं किसी तरह से वे महंगी की जावें। यह नीति सरकार की बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार से सेल्स टैक्स लगाया गया है, इसके लिये भी सरकार के कर्मचारी को सोचना चाहिये कि किसान पर इस टैक्स से हैरेसमेन्ट न हो, क्योंकि किसान विचारा समझता नहीं कि इसका किस प्रकार से हिसाब रखा जावे, बही रखी जावे। तो इस ओर ध्यान देने के लिये टैक्स वसूली का जो तरीका है उसको बहुत सादा बनाना चाहिये। मैं तो चाहता था कि सेल टैक्स जैसी चीज गांवों में तो पहुंचनी ही नहीं चाहिये। अब भी मेरा यह विचार है। पर मजबूरन यह सरकार इस बात पर तुली हुई है और मैं जानता हूँ कि xxxx सरकारें जो होती हैं वे हमेशा जनता को परेशान करने को होती हैं। तो ऐसी xxxx सरकार को....

श्री भीमसेन : यह जनता की सरकार है, xxxx की नहीं।

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री मानसिंह महार : जनता की सरकार होती तो xxxx की तरह सरकार नहीं बनाते। यह तो xxxx सरकार है कि हमारे एक मित्र को इधर से उठा कर उधर ले गये और फौरन से सरकार बना ली। इसे जनता की सरकार कहते आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : वह तो बैल बनाया है उनको।

श्री मानसिंह महार : बैल भी डाकू ले जाते हैं।

श्री सभापति : आप कन्टीन्यू रखिये।

श्री मानसिंह महार : तो यह जो सेल्स-टैक्स लगाते हैं, मेरा कटौती प्रस्ताव भी इसी आशय का है कि जो इस सेल्स टैक्स के कलेक्शन का तरीका है उसको सरल बनाया जावे। आज आप किसी भी दूकानदार के यहां जाकर देख लीजिये। उसके वहां वह एक अलग नौकर इसके लिए रखता है। उनकी दूकान में बैठकर सेल्स टैक्स का हिसाब करने वाला नौकर अलग ही होता है। दिन भर का बिक्री होता है और शाम को नये रूप से जो दिन भर का खाता होता है, रोकड़ होती है वह नये रूप से तैयार करता है और फिर उसे सरकार को महीने के अन्त में पेश करता है। क्योंकि सेल्स टैक्स के लिए उसे ऐसे फर्जी हिसाब बनाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। चोरी करता है, पर सेल्स टैक्स से उसके गलत ढंग और तौर तरीकों से घबरा कर करता है। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि ईमानदारी से सब कुछ करने पर भी छोटा व्यापारी हिसाबों की उस ढंग से फलावट नहीं जानता कि इस पर

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकालें गये।

(श्री मानसिंह महार)

इतना होता है, इतने रुपये का माल बेचा तो इतना रुपया होता है। यह हिसाब सेल्सटैक्स का इनका इतना कॉम्पलीकेटेड उसके लिये हो जाता है कि वह आज बड़ा परेशान है इनसे। फिर हिसाब-किताब बिल्कुल उनके हिसाब से रखने के लिये लोग मुनीम, गुमाश्तों को रखते हैं, आमदनी इतनी नहीं होने पर भी इसके भय से उनको यह खर्चा करना पड़ता है। आप टैक्स भी लें तो सदा ईमानदारी के तरीके से लीजिये। आप कहेंगे मैं जानता हूं कि बम्बई में भी ऐसा टैक्स है, कुछ तो यहां तक कह देंगे कि इंगलैंड में सेल्स टैक्स लिया जाता है, जर्मनी में और फ्रांस में लिया जाता है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) : चीन में भी लिया जाता है।

श्री मानसिंह महार : पर वहां वोट बैल के नाम से नहीं लिये जाते हैं। यहां पर आप बैल और भैंस के नाम पर वोट ले लेते हैं, वहां ऐसा नहीं होता। आप को यह मालूम होना चाहिये। जो आपको बैलों के नाम पर वोट देती है वह बड़ी भोली जनता है। ऐसी भोली जनता के लिये यह चीन, इंगलैंड और अमेरिका का मुकाबला करते हैं आप, यह बहुत गलत परम्परा है और मैं समझता हूं कि उनकी ओर ध्यान न देकर हमें अपने देश की सादगी की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारी जो ग्रामीण जनता है वह बहुत सीधी और सादे ढंग से रहनेवाली है। उसको इस दूसरे चीन जैसे देशों की तरह तरह की धोखेबाजी के काम करने की भी आदत नहीं है। तो इसलिये वहां के जो कानून होते हैं वे तो ऐसे कॉम्पलीकेटेड होते हैं कि जनता सरकार को धोखा न देले, इसलिये वे ऐसा बनाते हैं। पर हमारे यहां तो ऐसी सीधी सादी ग्रामीण जनता के द्वारा धोखा दिये जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।' बेचारों को तरीका ही नहीं मालूम कि टैक्स कैसे देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके जो टैक्स के तरीके हैं उनको बहुत सादा बनाइये। आप किसी प्रकार से भी कोशिश कीजिये।

मैं तो चने के लिए भी कहता हूं कि चने के ऊपर जो टैक्स लगाया वह इस तरीके का कर दीजिये कि चना जब मण्डी में बिके तो जो खरीददार हों उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगे न कि गरीब किसान के ऊपर। क्योंकि अगर यह टैक्स किसानों के ऊपर लगा तो आपके चार सौ बीसी करने वाले कर्मचारी जायेंगे और ५) रुपये का टैक्स होगा तो वे किसान से १०) रुपये ले लेंगे और रसीद ५) रु० की ही देंगे। किसान पढ़ा-लिखा तो होता नहीं, तो किसी को वहीं पर बताये कि कितने की रसीद है ? आप सोचिये मण्डी के अन्दर अपना माल बेचने के बाद जब वह अपने घर आयेगा और रसीद गलत देखेगा तो दस मील से दो, चार रुपये के पीछे दुबारा शिकायत करने नहीं आयेगा। इसलिए कोई ऐसा तरीका ईजाद कीजिए कि जो चने के ऊपर, कपास के ऊपर और काकड़े के ऊपर टैक्स लगाया है वह टैक्स, जब मण्डी में माल आये तो जो खरीददार हो, जो बड़े बड़े सेठ लोग हों उन लोगों के ऊपर वह टैक्स लगना चाहिए। किसान से उतना मंहगा वह ले लें तो टैक्स सही माने में उन लोगों पर लगना चाहिए। अगर किसान के घर से टैक्स लगेगा तो यह एक नई बीमारी पैदा हो जायेगी। इससे गांव—

(श्री मानसिंह महार)

गांव में दिक्कत होगी, अभी भी हो रही है।

कुछ चीजों के ऊपर टैक्स है; जैसे हरी मिर्च ले लीजिये। हमारे इधर जो लोग मिर्ची बोते हैं उनको कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। मिर्च ही क्या तम्बाकू का ही टैक्स ले लें। गांवों के अन्दर क्या हो रहा है ? कई काश्तकार ऐसे हैं कि जो तम्बाकू २ बिस्वा में पैदा करते हैं उसको २ बीघा लिख दी जाती है और साल भर बाद सेन्ट्रल एक्साइज़ वाले आते हैं और कहते हैं कि इतना रुपया हो गया तो वह किसान करम पकड़ कर रोता है। यह आम चीज हो रही है। वह पटवारी जो तम्बाकू वगैरह को नापता है या सेन्ट्रल एक्साइज़-वाले नापने आते हैं उनको काश्तकार दो, चार रुपये दे देते हैं तो २ बीघा के बजाय २ बिस्वा लिख दिया जाता है। यह आम चीज है। किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए। लेकिन इस प्रकार की बातें होते हुए भी आप गांव वालों के ऊपर नये नये टैक्स ठोकते हैं। आपकी नये नये टैक्स लगाने की सूझबूझ की तो मैं जरूर तारीफ करता हूं। आप चाहे ईमानदारी के लिए या करप्शन को रोकने के लिए कोई चीज न करें लेकिन नये नये टैक्स ईजाद करने के लिए तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैं सदन के सभी पक्ष के मित्रों से कहूंगा कि वे सेल्स टैक्स के मामले पर गम्भीरतापूर्वक सोचें और अब जब कि यह टेक्स गांवों तक पहुंचेगा तो इस बात के ऊपर सोच कर, ध्यान देकर आप सब जो अधिकतर ग्रामीणों के वोट लेकर आये हैं, गांव वालों की सहूलियतों की ओर सोचिये। गांवों में काफी किसानों के लिए आफत हो जायेगी। जो मौजूदा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रेड टेपिज्म और बांके बांके निराले तरीके हैं वे चालू रखे जायेंगे तो किसानों को बहुत दिक्कतें हो जायेंगी; इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गांवों के आदमियों की तरफ ध्यान दिया जाये और जो आपकी सेल्स टैक्स की वसूली की प्रणाली है उसको सादा बनाइये। इसमें आपको भी भलाई है और इसी में देश की भी भलाई हो जायेगी।

श्री सभापति : श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) : माननीय चेयरमैन महोदय, मांग संख्या ४ में बिक्री कर विभाग के अहलकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु मेरा कटमोशन है। इसमें एक अर्ज है कि बिक्री कर जो लगाया जा रहा है वह इतना लगना चाहिये कि जो रियाया बरदाश्त कर सके। बिना सोचे विचारे हर एक चीज पर टैक्स लगा दिया जाता है इसमें गरीब आदमी मारा जाता है। जैसे एक दूकानदार जोधपुर में कपड़ा खरीद कर लाता है और जोधपुर से वही कपड़ा कोई बाड़मेरवाला दूकानदार ले जाता है तो उसको ३ जगह टैक्स देना होता है। इससे तो गरीब आदमी ही मारे जानेवाले हैं, न कि व्यापारी मारे जाते हैं। और व्यापारी लोग क्या करते हैं कि दो तरह की बहियां रखते हैं। एक तो घर पर रखते हैं और एक दूकान पर रखते हैं। जो घर पर रखते हैं वह तो असली बही होती है, जिसमें नफा-टोटा सारा होता है और दूसरी दूकान पर जो बही रखते हैं वह व्यापारी लोग मामूली टैक्स देने के लिए इन्सपेक्टरों से मिले रहते हैं; क्योंकि उनसे फायदा और बचत रहती है। इस तरह

(श्री फतेहसिंह)

हर व्यापारी दो तरह की बहियां रखता है। घर वाली में तो असली बात लिखी होती है और जालसाजी की बही वह दूकान पर रखता है। चोरी से ट्रक आते हैं और उन पर टैक्स का पैसा बेचते समय वसूल तो कर लेते हैं और इस तरह से व्यापारी लोग अपना खरीदा हुआ माल बही के अन्दर दर्ज नहीं करते हैं और किसानों से पैसा ले लेते हैं और सरकार को भी पैसा नहीं देते हैं। यह सब मिला हुआ काम होता है। अगर आप चाहें और आपका अहलकार चाहे तो ट्रक देख ले तो मालूम हो जाये कि कितना माल बेचा और कितना माल आया। ये मिले हुए होते हैं और उनके बंधे हुए पैसे होते हैं और इस तरह वह मामूली सा टैक्स देते हैं। इन्सपेक्टर लोग उन्हें सारे रास्ते बता देते हैं। इन्सपेक्टर बड़े बड़े ऑफिसरों को भी चकमे दे देते हैं। इस तरह से न तो पैसा राज्य में आता है और न गरीबों को ही फायदा होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो भी टैक्स लगें वे नेसेसरी गुड्स के ऊपर नहीं लगने चाहिये चाहे आप कम्फरटेबल और लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति जी, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। सेल्स टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इस समय जो सरकारी व्यवस्था है उसमें और निपुणता आनी चाहिए। कुछ विशेष लोगों को टैक्सेशन के मामलों में, खास तौर पर इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स वगैरह के असेसमेन्ट करने में, काफी कानूनी ज्ञान होना चाहिये। यह काफी टैक्निकल तरीके का काम है। इस तरह की एक विशेष विंग सरकार को तैयार करनी चाहिए, विशेषज्ञ लोग तैयार करने चाहिए जो इस टैक्स को सही तरीके से असेस कर सकें और उसकी वसूली कर सकें। इस समय जो व्यवस्था है उसमें साधारणतया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको इस डिपार्टमेंट में ले लिया जाता है जिससे कि एफिशियेन्टली इस डिपार्टमेन्ट को रन करने में दिक्कत आती है और उन ऑफिसर्स को भी पूरी तरह तजुर्बा नहीं होने के कारण दिक्कत रहती है। इसलिये मेरा यह सजेशन है कि राजस्थान सरकार कुछ एक्सपीरियेन्स्ड ऑफिसर्स अगर इनकम टैक्स वालों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी लोन ले लें और उनकी बुनियाद पर सैल्स टैक्स की वसूली करने के लिए जो इस लाइन के विशेषज्ञ हों उनकी एक सर्विस की विंग तैयार करे और इसको मडल-अप करने की कोशिश नहीं करे दूसरे डिपार्टमेन्ट में, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट है उसमें टैक्निकल काम इतना नहीं है और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है तो यह मेरा सजेशन है, इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा, कि अनुभवी व्यक्तियों की सेल्स टैक्स में एक विंग बनाई जाये, उसे मैं आपके सामने रखता हूं।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

Page No. 48

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आदरणीय सभापति महोदय, सेल्स टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है । उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जो सेल्स टैक्स वसूली की प्रणाली अपनाई गई है उसकी वजह से बड़ी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । खास कारण तो इसका यह है कि यह सेल्स टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेन्ट दोनों के साथ साथ चलने की वजह से और दोनों में एक हो ऑफिसर काम करने की वजह से ये सारी कठिनाइयां और बाधाएं उपस्थित होती हैं । यही मुख्य कारण है । जो सेल्स टैक्स ऑफिसर, असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स ऑफिसर आपोइन्ट किये जाते हैं वे एक्साइज डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर्स होते हैं उन्हीं में से प्रमोट करके मुकर्रर कर दिये जाते हैं । जिसके कारण जो सेल्स टैक्स एक टैक्निकल ब्रान्च है कि और जैसा कि पूर्व वक्ता ने फर्माया कि यह टैक्निकल चीजें होने की वजह से इसमें एक्सपीरियेन्स्ड ऑफिसर मुकर्रर करने चाहिए जिनकी वजह से सेल्स टैक्स का एसेसमेंट ठीक तरह से हो सके । इसके सम्बन्ध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जिनका एक्साइज डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रहता है और जिनके सम्बन्ध में कई प्रकार की बातें की जाती हैं उन्हीं लोगों को सेल्स टैक्स ऑफिसर मुकर्रर कर दिया जाता है उसकी वजह से यह जितनी भी एसेसमेंट और कलेक्शन के बारे में और विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं उनका एक कारण बन जाते हैं । इस वजह से सेल्स टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेन्ट के ऑफिसरों में से नहीं लिये जाकर और अलग से जो टैक्निकल ज्ञान रखते हैं इस सम्बन्ध में उन्हीं लोगों को आपोइन्ट किया जायगा वह ज्यादा बहतर होगा ।

एसेसमेंन्ट एक्साइज डिपार्टमेंन्ट के क्लर्कस लोग करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसमें मुकर्रर होते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग सेल्स टैक्स ऑफिसर्स बन जाते हैं वे लोग सिर्फ जो क्लर्क लोग कर देते हैं उन्हीं पर हस्ताक्षर करके सारा हिसाब किताब निपटा देते हैं । तो इस प्रकार की बात होने से जो एसेसमेन्ट होता है वह पूर्णतया सही नहीं होता है और क्लर्क के भरोसे रहने से सेल्स टैक्स ऑफिसर जिस प्रकार का निर्णय देते हैं उनमें बहुत सी गलत बातें रहती हैं । सेल्स टैक्स ऑफिसर एक्सपीरियेन्स्ड और तजुर्बेकार आदमी हो तो ज्यादा अच्छी तरह एसेसमेंट करके सही निर्णय देंगे और उसकी वजह से जो जनता को तकलीफ होती है वह तकलीफ नहीं होगी । मेरा यह सुझाव है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर्स जिनको नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा वे इस प्रकार के किये जायं जो कि इस विभाग से पूर्णतया जानकारी रखते हों और जिनका एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं हो, जिसकी वजह से जो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आम तौर से शिकायतें आती हैं उस प्रकार की शिकायतें उपस्थित नहीं हों।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इस सेल्स टैक्स के बारे में जो एक कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं उसमें यह है कि ५ हजार की आबादी से नीचे के जो गांव हैं और उनमें जो लोग रहते हैं उन व्यापारियों के पास से सेल्स टैक्स किस ढंग से वसूल किया जाना चाहिए या जो आज उन लोगों के ऊपर एक ही चीज के ऊपर ३-३, ४-४ तरह के टैक्स लिये जा रहे हैं जिससे उन छोटे गांवों के व्यापारियों के ऊपर कितना भारी बोझ पड़ रहा है और वहां के जो व्यापारी हैं उन लोगों को अपना धन्धा चलाने के लिए और उदरपूर्ति में कितनी कठिनाई हो रही है, यह सरकार के सामने रख रहा हूं।

५ हजार से नीचे के गांव के रहनेवाले जो व्यापारी हैं उनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं कि जो आजकल पद्धति हिसाब--किताब रखने की है उस पद्धति से वाकिफ नहीं हैं। सेल्स टैक्स की वसूली और उसका हिसाब--किताब देने के लिए बहुत चतुराई और होशियारी की आवश्यकता होती है और अगर यह चीज किसी व्यापारी के अन्दर नहीं है तो वह जायज और नाजायज तरह से इस तरह का एसेसमेंट कर दिया जाता है कि जिससे उसके हक में जितना सेल्स टैक्स देना चाहिए उससे भी कई गुना अधिक ज्यादा देना पड़ता है।

एक छोटे गांव के अन्दर रहने वाले व्यापारी जो कि किराने का सामान बेचते हैं उनमें दूसरी चीजों के ऊपर सरकार की तरफ सेल्स टैक्स भी है और उन्हीं चीजों को बेचने के लिए म्युनिसिपेलिटिज या पंचायतें या पंचायत समितियां हैं उनकी तरफ से भी उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। सेन्ट्रल की तरफ उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। इस तरह से ५ हजार के नीचे के जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी गिनती भी मध्यमवर्गीय लोगों के अन्दर है जो कि इस सारे देश के अन्दर सबसे ज्यादा तबाह हैं और सबसे ज्यादा अर्थाभाव के कारण दबे हुए रहते हैं, उन सबों को इन टैक्सों से मुक्ति मिलनी चाहिए और उनके व्यापार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। परन्तु इन सारे टैक्सेज को लगाये जाने की वजह से वह व्यापार भी करना उन लोगों ने बन्द कर दिया है कि जिस व्यापार से वह अपनी उदर-पूर्ति करते थे, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से हिसाब-किताब नहीं रखते हैं तो जो उनके ऊपर जुर्माना होता है वह जुर्मानेवाली रकम उनकी इनकम से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए उनको अपना कारबार बन्द करना पड़ता है।

और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में यह सर्वे करवाया जाय एक कमेटी बैठाकर कि जब से यह सेल्स टैक्स, यह छोटे छोटे टैक्स इन छोटे गांव के रहनेवाले व्यापारियों के ऊपर ईजाद किये गये हैं, लगाये गये हैं उसके बाद उन व्यापारियों की व्यापार करने की जो क्षमता थी उसमें भी और उनकी इनकम में भी कितनी कमी हुई है और कितनी दूकानें इन छोटे गांवों के अन्दर खत्म हो चुकी हैं। इसका अगर आप लोग अन्दाजा लगायें, एक कमेटी के द्वारा जांच करायें और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं जो छोटे छोटे गांवों के

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अन्दर से जो लोग अपना व्यापार उठा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और मिडिल क्लास के व्यापारी जो दुःखी हुए हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि इन गांवों के अन्दर रहनेवाले व्यापारियों को सैकड़ों तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। कपास का व्यापार करें तो अलग टैक्स और लाइसेन्स लेना पड़ता है, रुई का व्यापार करें तो अलग टैक्स और लाइसेन्स लेना पड़ता है, कपड़े का व्यापार करें तो अलग टैक्स भी देना पड़ता है और लाइसेन्स भी लेना पड़ता है। मेडीकल की कुछ दवाइयां बेचते हैं तो उसका अलग टैक्स भी दो और लाइसेन्स भी लो। तो इस तरह से हर तरह से उन लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है और लाइसेन्स के लिए भी फीस देनी पड़ती है। जो उनके व्यापार को उल्टा नुकसान पहुंचानेवाले हैं। इसलिए राज्य सरकार से मेरी पुरजोर शब्दों में प्रार्थना है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि एक कमेटी के द्वारा यह जितने भी टैक्स जो इन ५ हजार के नीचे के गांवों के व्यापारियों पर लगते हैं जिनको अच्छी तरह से हिसाब-किताब रख कर चुका नहीं पाते हैं और हिसाब-किताब नहीं रखने के कारण सैकड़ों रुपया जुर्माना देना पड़ता है।

एक एक टैक्स की तरफ मैं, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी इनकम जो होती है वह न राज्य सरकार, न वहां की स्वायत्त-शासन संस्थाएं जो हैं उनके पास और न भारत सरकार के पास वह जाती है। कोई भी आदमी अगर खाने-पीने की चीजें बेचता है तो उसके ऊपर १२) रु० साल के इन व्यापारियों से टैक्स का लिया जाता है। म्युनिसिपल एरिया जहां पर है वहां तो यह टैक्स म्युनिसिपेलिटी को ट्रान्सफर कर दिया जाता है। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि छोटे गांवों के अन्दर से जो टैक्स लिये जाते हैं वे न राज्य सरकार और न भारत सरकार के पास जाते हैं। उसके लिये हमने पंचायत समिति से भी एक प्रस्ताव पास करके यह प्रार्थना की है कि यह टैक्स जो है वह टैक्स वहां की पंचायतों को मिलना चाहिये, जिससे वे लोग वहां पर जो दूसरी तरह के टैक्स व्यापारियों पर लगाते हैं वे नहीं लगावें और इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सके और व्यापारियों को सुविधा मिल सके। तो इस आधार पर जैसा कि हमारी पंचायत समिति में डॉक्टर साहब ने आकर कहा कि इस रिजोलुशन के बाद जहां १२) रुपये लिये जाते थे उसको घटा कर ६) रुपये कर दिये हैं, वे ६) रु० भी वहां की पंचायत या पंचायत समिति को ट्रान्सफर नहीं किये।

मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखा पढ़ी करनी पड़े तो करे। वह जो टैक्स वसूल होता है वह वहां की पंचायत और पंचायत समितियों को ट्रान्सफर किया जाय और उन छोटे व्यापारियों को नाना प्रकार का टैक्स न देना पड़े। इसके लिये एक कमेटी बनाई जाय और उसके द्वारा ये सुझाव आने चाहिये कि व्यापारियों पर किस तरह से एक ही तरह का टैक्स लगा दिया जाय जिससे उनको हिसाब नहीं पेश करना पड़े और हिसाब पेश करने में चालाकी, बदमाशी जैसी चरित्र में गिरावट आती है उस तरह की गिरावट उनके चरित्र में न आवे और वह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

टैक्स का पैसा आसानी से, ईमानदारी से दे सके इस प्रकार का कोई भी काम हमारी सरकार को करना चाहिये। इसके बिना, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के लिये जो एसेसमेन्ट करना पड़ता है उसके लिये वकीलों को पैसा देना पड़ता है, झूठा हिसाब किताब रखना पड़ता है, झूठे बिल बनाने पड़ते हैं जो हमारे देश के नागरिकों को नीचे गिराते हैं और मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो चरित्र आज गांव के छोटे लोगों में है वह चरित्र आज शहर में नहीं है। इसलिये उन पर जो टैक्स हों वह उन पर नाजायज दबाव के तौर पर न हों। हम उनके चरित्र को गिराना नहीं चाहते हैं, बनाये रखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। इसलिये कोई भी टैक्स इन छोटे छोटे गांवों के लोगों पर नहीं लगाया जाय। यदि लगाया जाय तो एक ही तरह का टैक्स हो जो लिया जाय।

इसके बारे में एक साल पहले उदयपुर में प्रधानों और प्रमुख लोगों का सम्मेलन हुआ था। उसमें भी सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को एक कमेटी बैठानी चाहिये जो पंचायतों द्वारा, पंचायत समितियों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा जो टैक्सेज अलग अलग लगाने का तरीका है उन सब को मिला कर इस तरह का सरल और सीधा तरीका बनाये जिसके आधार पर एक ही टैक्स व्यापारीयों से वसूल किया जाय। तो जो गड़बड़ियां होती हैं वे नहीं होंगी। सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि सेल्स टैक्स जो वसूल होता है और उसका एसेसमेन्ट जिस तरह से होता है और जिस तरह से व्यापारियों को लाइसेन्स दिया जाता है वह तरीका उचित नहीं है। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का लाइसेन्स उनको दिया गया है जो छोटे गांवों में १२ हजार तक का सामान बेचते तक नहीं हैं और उन लोगों को लाइसेन्स लेने से बचा रखा है जो १५-२० हजार का व्यापार करते हैं। उनको लाइसेन्स नहीं दिया और जिनको लायसेन्स या सेल्स टैक्स लगता नहीं है उनको जबर्दस्ती लाइसेन्स दिये गये हैं। जिस समय सेल्स टैक्स लग रहा था उस समय सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर्स गांवों में गये और वहां पर छोटे मोटे जो भी व्यापारी व्यापार करते थे उनकी जबर्दस्ती लिस्ट बना कर ले आये और यह देखे बिना कि कौन व्यापारी किस तरह की दूकान चलाता है, सब के नाम पर ६) रु० का लाइसेन्स बना कर भेज दिया और अब उन लोगों को हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगर वे सेल्स टैक्स नहीं भी देने लायक हों तो भी उनको इन्सपेक्टर को तो जरूर पैसे देने पड़ते हैं, जिसके बिना सही हिसाब किताब दिखाना कठिन हो जाता है और उसके लिये उनको जरूर कुछ न कुछ देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि यदि आप इस तरफ ध्यान देंगे तो जो भ्रष्टाचार होता है वह बंद हो जायगा और यह सारा का सारा तरीका सरल और सीधा हो जायगा; जिसकी वजह से आज छोटे गांवों के व्यापारी, हिसाब किताब की दिक्कत की वजह से अपने व्यापार को संकुचित दायरे में करते जा रहे हैं और उनको जो आर्थिक नुकसान होता है वह कम होगा और उनकी माली हालत ठीक हो सकेगी और जो संकुचित दायरे में चले गये हैं वे विकसित हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ५ हजार से नीचे का व्यापार करनेवाले गांवों में रहनेवाले जो व्यापारी हैं उन पर यदि किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाय तो वह एक ही टैक्स होना चाहिये और उसको वसूल करने का जितना सरल तरीका हो सके, होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभापतिजी....

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : आपका कोई कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा कटौती प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट में बोलना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, यदि इजाजत हो तो बोलूं।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलालजी मोदी ! आप आसन ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है और अभी खास कर, बिक्री कर के बारे में, क्योंकि बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने...

श्री सभापति : I am sorry, you have missed the occasion.

श्री मुरलीधर व्यास: इसलिये थोड़े से शब्दों में बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: यदि आपको इजाजत देंगे तो दूसरे सदस्य भी जो पहले उपस्थित नहीं थे, आकर बोलना चाहेंगे और परम्परा नहीं रहेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने इजाजत दी, इसलिये बोलना चाहता हूँ।

श्री **सभापति** : अच्छा ५ मिनट बोलिये।

श्री मुरलीधर व्यास: सभापति मोहदय, जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं तो खास करके सेल्स टैक्स के संबंध में दो, तीन बातें जिनसे सारे लोग चिन्तित हैं उनके बारे में किस प्रकार विचार किया जा सके, यह बताना चाहता हूं।

जहां तक बिक्री टैक्स की वसूली का सवाल है, किस प्रकार होती है, क्या नहीं वह सरकार देखे, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता के सामने क्या समस्या है और आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके कानून को आड़ में लेकर किस प्रकार का हैरेसमेन्ट होता है, उसमें किस प्रकार कमी कर सकें। यदि आपने यह कोशिश की तो मैं समझता हूं बाहर के लोगों को लाभ मिलेगा। यह बिक्री कर इस प्रकार का है जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ शहरों से गावों तक किसी प्रकार पहुंच गया है। हर गांव के आदमी को आपकी कानून की अड़चन

(श्री मुरलीधर व्यास)

और दिक्कत की वजह से १० रूपयों के छोटे लाइसेन्स के बावजूद भी कई समस्यायों का सामना करना पड़ता है। तो मैं, जहां तक गांवों का सवाल है, अर्ज करना चाहता हूं कि सीमा के भीतर जहां बड़ी आबादी हो वहां तक सारा प्रावधान लागू हो, उन्हीं बातों को लेकर गांवों में जावें और लोगों को हैरेस करें जब कि एक हो दूकनदार होता है जो सब प्रकार का धंधा करता है, तेल भी वह बेचता है, गुड़ भी बेचता है, स्टेशनरी भी रख लेता है, छोटी सी दूकान होती है उसमें वह सब कुछ करता है। उसको हर प्रकार का हिसाब रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखता है तो उसको सताया जाता है। तो आप कम से कम ऐसी छोटी दूकानें जिनके बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी क्या आमदनी होगी, क्या नहीं, आपके ऑफिसर पहुंचें या नहीं उससे आप किस प्रकार कम कर सकते हैं, इसके बारे में अवश्य विचार करें।

दूसरी बात यह कि आपने एक सीमा निर्धारित कर दी है सेल्स टैक्स में कि जो इन्कम टैक्स देनेवाले हैं, उनका तो क्या है कि लाइसेन्स लेने का सवाल रखा है, वह इन्कम टैक्स देने वाले के लिए बारह रुपये का है, जो इन्कम टैक्स नहीं देता है, उनका छः रुपये का कर दिया है। अब छः कैसे कर सकते हैं सेल्स टैक्स के लाइसेन्स के लिए तो उनका क्या है कि हर प्रकार से सर्टीफाई कराना पड़ेगा कि इन्कम टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट से ये नाम ले सकते हैं कि आपके यहां पर इन्कम टैक्स देने वाले कितने हैं, क्या हैं, वह लिस्ट आपके यहां पर हो सकती है और फिर उसके बाद यह कोई आवश्यक नहीं है कि उन नामों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के पास जायं, तब लाइसेन्स जो है, वह बारह रुपये का हो। यह क्यों तो किसी से सर्टीफाई कराये जब कि नामों का पता कर सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

ऐसी दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए यह तरीका है। छोटे लोगों की जो दिक्कत है, उसको दूर करना चाहिए।

तीसरी बात जो है उससे दिक्कत पैदा होगी, वह यह है कि नये हिसाब से टैक्स लगाया है चने के ऊपर। वह किसान के ऊपर फर्स्ट पोइन्ट पर सेल्स टैक्स लगाने की योजना रखी है। तो किसान बाजार में आयेगा और जो उसने पैदा किया है वह व्यापारियों को, दूसरे लोगों को देगा। तो उसको सेल्स टैक्स का हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे बीकानेर में मोठ आता है, चंना आता है, दूसरी चीजें आती हैं। किसान जब बाजार में लेकर आता है, वह ऊंट पर लेकर आता है, और बाजार में लोगों को देता है। आपने सेल्स टैक्स फर्स्ट पोइन्ट पर रख दिया तो इसका नतीजा यह होगा कि उसे सेल्स टैक्स का हिसाब रखना पड़ेगा और वह सीधा किसान पर पड़ेगा, क्योंकि वह जानता नहीं है, समझता नहीं है। उसको ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जो आपने अनाज पर सेल्स टैक्स लगाया है वह सीधा किसान पर असर करनेवाला है। इससे कितनी आमदनी होगी, कितनी नहीं; लेकिन इस अनाज के मामले में दिक्कत पैदा होगी वह, किसान के

(श्री मुरलीधर व्यास)

सामने पैदा होगी। सरकार को सेल्स टैक्स से, इस चने पर टैक्स लगाने से आमदनी होगी वह विशेष आमदनी नहीं होगी। लेकिन इससे लाखों आदमियों को हैरेस किया जायगा। इसलिए यह अच्छा है कि जो अनाज के ऊपर सेल्स टैक्स रखा है उसको आप वापिस ले लें और गांव के किसान को हरेस न किया जाय। किसानों के सामने आने वाली दिक्कतों को मैंने आपके सामने रखा है। मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे।

श्री सभापति : Treasury Benches to reply.

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मैं तो....

श्री सभापति : आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैंने कह दिया है कि ट्रेजरी बैंच रिप्लाई करेगी।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे काफी प्रसन्नता हुई यह देख कर कि माननीय सदस्यों ने सेल्स टैक्स के सिद्धान्तों को स्वीकार कर जो सुझाव सामने रखे वे सिर्फ उन सहूलियतों के लिए हैं कि जहां सेल्स टैक्स देनेवालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बजट स्पीच में भी इस सम्बन्ध में पहले भी कह चुका हूं कि जहां तक सेल्स टैक्स में होने वाली उलझनों का प्रश्न है जो सामने आती हैं, उनको दूर करने के लिए, उसका डिपार्टमेंट कोई कदम या जरिया बाकी नहीं रखेगा कि जिससे जनता की तकलीफें दूर हों। और जितने सवाल यहां पेश हैं वे यह हैं कि सिम्प्लीफिकेशन हो, इसके तर्ज और तरीके में और इसके कागजों में। मैं फिर यकीन दिलाता हूं कि जहां तक मुमकिन होगा वहां तक हम सिम्प्लीफाई करेंगे, जैसा पहले भी किया है। और जब कभी कोई बात माननीय सदस्य सामने रखेंगे तो उस पर फिर भी गौर किया जा सकता है। जहां तक गांवों का ताल्लुक है, वहां के दूकानदारों का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में मैं बजट स्पीच में कह चुका हूँ कि बारह हजार के टर्न ओवर की जगह पन्द्रह हजार का टर्न ओवर कर दिया गया है। इसके मायने यह हुए कि जिसका टर्न ओवर वाकई पन्द्रह हजार से ज्यादा नहीं है, उसका इससे एक्जेम्प्शन हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसका मकसद जो हमारा था, वह यह कि गांवों में जितने दूकानदार हैं वे इस चीज से बच जायं और उनकी इस टैक्स की जो तवालत है, दिक्कत है, वह दूर हो जाय। और इसलिए मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जहां तक कोपरेटिव सोसाइटी का ताल्लुक था, जो कोपरेटिव सोसाइटी गांव में अपना काम करती हैं, उनका हमने टर्न ओवर २५ हजार कर दिया है....

श्री जोधसिंह (गिरवां) : Point of order, Sir, आपने फरमाया कि पन्द्रह हजार के नीचे बन्द है, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो बाहर से सामान आता है....

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री जोधसिंह : मेरा पोइन्ट ऑफ

(श्री जोधसिंह)

ऑर्डर है कि जो बाहर से सामान आता है उस पर सेल्स टैक्स की लोगों को रियायत नहीं होगी, क्योंकि वह बाहर से आता है। और सारा सामान बाहर से आता है....

श्री बालकृष्ण कौल : समझा नहीं आपकी बात।

श्री जोधसिंह : आपने कहा है कि पन्द्रह हजार से नीचे सामान आता है, उस पर हम सेल्स टैक्स नहीं लेंगे लेकिन जो सामान बाहर से आयेगा उस पर लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : बाहर से मतलब क्या ?

श्री जोधसिंह : राजस्थान से बाहर।

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें क्या कर सकते हैं ?

श्री जोधसिंह : इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर के सामान पर सेल्स टैक्स लगेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : सेल्स टैक्स उस चीज पर लगता है जो यहां बिकती है। सेल्स टैक्स....

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि जब भाषण हो रहा है तो बिना किसी कारण के इन्टरप्शन होना सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल बात होती है और पंचायत समिति जैसी बात हो जाती है। जहां बहुत आवश्यकता हो वहां पूछ लीजिये लेकिन भाषण को पूर्णतया विक्षिप्त नहीं होने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक पंचायत समिति की मीटिंग अच्छी होती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक गलतफहमी दूर करने के लिए पूछना जरूरी है कि पन्द्रह हजार वालों को जो नोटिस दिया जाता है वह नोटिस बारह हजार, दस हजार वालों को भी दिया जाता है और उसके लिए हिसाब रखना पड़ता है। यह जो है, यह क्लेरिफिकेशन करते हैं, यह खुद सरकार की तरफ से प्रयत्न करना चाहिए कि यह जो पन्द्रह हजार से नीचे वालों को दिक्कत आती है उसे किसी तरह सरकार सोल्व करे। बारह हजार वालों को भी नोटिस दिया जाता है, दस हजार वालों को भी नोटिस दिया जाता है और छः हजार वालों को भी नोटिस दिया जाता है और उसे साबित करना पड़ता है कि पन्द्रह हजार का टर्न ओवर नहीं किया, इसलिए उसे हिसाब रखने की दिक्कत उठानी पड़ती है।

श्री सभापति : Please do not make it a speech.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनकी दिक्कत बचाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रश्न जो माननीय सदस्य ने रखा है, उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर शख्स, जो व्यापार करता है, मोटा हिसाब रखता है, उसकी बहियों में यह जरूर होता है कि कितना माल उसके यहां आया और यह चीज हमारे लिए काफी होगी, यह देखने के लिए कि उसके यहां कितना माल आया। दिक्कत-तलब जो

(श्री बालकृष्ण कौल)

चीज है, वह यह नहीं है। दिक्कत तलब जो है....

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, यह व्यापारी अच्छी तरह से जानता है कि बारह हजार के नीचे....

श्री सभापति : Hon'ble Member, your point of information should be very brief.

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : आप फरमा रहे हैं, उसका क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : थोड़े शब्दों में कर दें।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया : पन्द्रह हजार से नीचे हिसाब बताने के लिए जो इन्सपेक्टर साहब आते हैं, वे वाउचर्स और बिल्स फाइन्ड आउट करने की कोशिश करते हैं और डिमान्ड करते हैं। तो उसको हिसाब रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखना पड़ेगा तो एक स्थिति में, जैसा मैंने अर्ज किया, उसे इन्सपेक्टर साहब की जेब जरूर गर्म करनी पड़ेगी।

श्री बालकृष्ण कौल : उसी चीज की मैं तशरीह कर रहा हूँ और यह सहूलियतें मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने रख रहा हूं। अगर कोई इस किस्म का वाकया हो तो उनको यह अख्तियार है कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान के सामने लायें। पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था, आज यह सवाल मेरे सामने नहीं है। अब क्या होने जा रहा है, यह प्रश्न मेरे सामने है। मैं इतना अर्ज कर दूं कि पन्द्रह हजार रुपये तक का जो व्यापारी माल बेचता है उसको हर वाउचर रखने की जरूरत नहीं है। उसको रखने की सिर्फ यह जरूरत है कि जिसे हमारा इन्सपेक्टर देख ले कि कितना माल आया और कितना माल बेचा गया। तो मैं समझता हूं कि ये सहूलियतें काफी सहूलियतें हैं। अगर कोई नाफर्मानी करे, हो सकता है कि नाफर्मानी हो तो मैं माननीय सदस्यों को अर्ज कर देना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान के सामने जायं ताकि ऐसी चीज को फिर दोहराया नहीं जा सके। यह इस ख्याल से रखा गया है ताकि जो हमारे गांवों में लोग हैं उनको इस सब हिसाबात को रखने में दिक्कत होती है, वह दूर हो जाय।

(२.० म.प.)

मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि वे डीलर्स जिनकी आउट टर्न २५ हजार या उससे कम है, १५ हजार से २५ हजार के बीच में है, अगर वे वाउचर का हिसाब नहीं रखें, मगर अपनी बहियों में पूरा हिसाब रखें और जिनको देखने से यह मालूम हो सके कि इतना माल खरीदा गया है और इतना फरोख्त हुआ है तो हम उसको छोड़ देते हैं। यह भी सहूलियत हम उनको देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह साफ नहीं हुआ।

एक अन्य माननीय सदस्य : खरीद की कीमत पर १० प्रतिशत क्या कोई जुर्माना लिया जाएगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह जुर्माना नहीं है, यह तो उनके लिये सहूलियत की चीज है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

इसके अलावा एक चीज में और आपको अर्ज कर दूं कि अब हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को परमानेन्ट कर दिया है, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को परमानेन्ट मान लिया है, उनको फीस तो देनी होगी लेकिन यह नहीं कि उनको एक क्यू में खड़ा होना पड़े। यह उनकी दिक्कत दूर हो जावेगी।

एक माननीय सदस्य ने परेशानी बताई काश्तकारों को, मजदूरों को, सेल्स टैक्स के संबन्ध में। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही अर्ज कर दूं कि जहां तक सेल्स टैक्स का संबन्ध है, वह उसी काश्तकार से है जो धन्धा करता है और जिसका उनके दिमाग में ध्यान है। दूसरे काश्तकारों पर कोई सेल्स टैक्स नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : फर्स्ट पोइन्ट पर होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आप मुझ से मिलेंगे तो और भी मैं इसको साफ कर दूंगा। एक माननीय सदस्य ने कुछ तम्बाकू पर कहा। मेरा खयाल है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि तम्बाकू पर न तो हमारा सेल्स टैक्स है और होना भी मुश्किल है, क्योंकि यह सेन्ट्रल सब्जेट है। जहां तक कुछ दिक्कतें टैक्सेज़ की कार-गुजारी के मुताल्लिक बताई गई हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं,-हो सकता है कि लोगों को कर्मचारियों के रवैये से कुछ तकलीफ हो, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन अब हमने एक तरीका इस्तेमाल किया है जिससे ये तकलीफें दूर हो जावेंगी। पहले कुछ ऐसी बातें एक्साइज से ताल्लुक रखने वाली हो सकती थी जिससे वे लोग असिस्टेन्स नहीं दे सके और न लोगों को आराम ही दे सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि डिपार्टमेंट नया अनुभव कर सकता है और उसके दौरान में गलतियें भी हो सकती हैं और अगर आपकी मदद रही तो फाइनेन्स मिनिस्टर को या उसके डिपार्टमेंट को या हाउस में इस तरीके से सुझाव रखे गये तो जो कमी है वह भी पूरी हो जावेगी और लोगों की दिक्कत भी दूर हो जावेगी।

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, क्या आपका सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पूरी पूरी मदद करेगा ?

श्री सभापति : Now I will not allow any point of information, please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Point of order, Sir आपने असिसटेन्ट सेल्स टैक्स में नियुक्त किये हैं वे एक्साइज़ इन्स-पेक्टर्स हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरी समझ में नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of information, I am sorry.

श्री बालकृष्ण कौल : आप इसके लिए प्रश्न के रूप में प्रश्न करें, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ बाकी की दिक्कतें रही हैं वे इस सेल्स टैक्स को इम्प्लीमेंट करने में दूर हो जावेंगी। मैं आशा करता हूँ कि सेल्स टैक्स को आसानी से चला सकेंगे

एक माननीय सदस्य : एक बात मेरी रह गई। मैंने पंचायत समितियों से सेन्ट्रल गवर्नमेंट....

श्री सभापति : No point of information now.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर कोई सुपरऑथेरिटी नहीं हूं। अगर मैं गैर रस्मी तरीके से मदद कर सकूं तो कर सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir.

श्री सभापति : No point of order. प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५५,८६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में मांग स्वीकार हुई।

मांग संख्या १–भू-राजस्व

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०६,८४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (१). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की भूमि सीमा-निर्धारण कानून लागू करने में असफलता पर प्रकाश डालने के लिए)।

(२५). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय। (सरकार द्वारा भूमि की नीलामी की नीति पर प्रकाश डालने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): (७२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में १००) रुपये की कटौती की जाय (गिरदावरी स्लिप का वितरण प्रत्येक गांव के जल्से आम में किये जाने की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाने हेतु)।

(२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के Flow एवं lift area में आरजी काश्त भूमि की अलॉटमेंट नीति में परिवर्तन पर बहस करने के लिए)।

(७२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६–भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (केवल खरीफ फसल के पैदा करने वाले इलाकों में बकाया लगान वसूली फसल बोने से फसल

(श्री भीमसेन)

काटने तक न वसूल करने की ओर सरकार का ध्यान दिलाने हेतु) ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : (३). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर और भरतपुर जिलों में निष्क्रान्त भूमि का हल सन्तोषजनक ढंग से नहीं किया गया है, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़): (४). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (खातेदारी अधिकार कृषकों को न मिलने पर बहस करने के लिए) ।

(२१). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (किसानों को खातेदारी अधिकार न मिलने से लगान की वसूली में होने वाले नुकसान पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवीलाल मीणा (सराडा सु०) : (५). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (सराड़ा तथा में खैरवाड़ा काश्तकारों को भूमि खाते कराने में तकलीफ होने पर बहस करने के लिए) ।

(६). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराड़ा में जागीर मोजों में जमीनों की पुरानी सर्वे की हुई है, उन मोजों में री-सर्वे कराने पर बहस करने के लिए) ।

(३२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों को भूमि प्राप्त कराने तथा खातेदारी राइट्स दिलाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (७). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में ५००) रु० की कटौती की जाय (अलवर शहर के किसानों की कृषि भूमि एक्वायर करने व उन्हें बदले में कृषि भूमि न देने की किसान विरोधी नीति पर बहस करने हेतु) ।

(४२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय । (सरकार द्वारा अलवर शहर के किसानों की जमीन एक्वायर करने और बदले की जमीन किसानों को न देने की नीति से उत्पन्न असंतोष पर बहस करने हेतु) ।

(५२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६--भ--राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (ईटाराला रूंध को एक्वायर करके अलवर शहर के उजाड़े हुए एवं अन्य भूमिहीन किसानों को अलॉट करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : (८). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में काश्तकारों को एक साला आरजी अलॉटमेन्ट न करने से हजारों एकड़ जमीन खाली पड़े रहने से सरकार और किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इस पर बहस करने हेतु) ।

(श्री श्योपतसिंह)

(६). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक-६ भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर जिले के शरणार्थियों की जमीनें किश्तें अदा न करने पर खारिज किये जाने सम्बन्धी सरकार की दोषपूर्ण नीति पर बहस करने हेतु) ।

(१०). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में काश्तकारों को अलॉट की गई जमीन को अदम अदायगी किश्त के बिना पर अलॉटमेन्ट खतम करने पर बहस करने हेतु) ।

(४५). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय ('Grow more food' स्कीम के तहत Shyam Sunder and Co. को १५० बीघा पर नाजायज खातेदारी हक्क दिये गये, इस पर बहस करने हेतु) ।

(५३). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में जमीनों के तबादलों में सरकार द्वारा पक्षपात पूर्ण रुख अपनाया गया तथा नाजायज तबादलों पर बहस करने हेतु) ।

श्री **घासीराम यादव** (बहरोड़) : (11). Demand No. 1, Major Head 9-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the cumbersome and expensive procedure for getting correction in Land Records).

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) :

(१२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर क्षेत्र में पक्की अलॉटमेन्ट में भूमि का मूल्य बहुत अधिक रखा गया है तथा किश्तों की अदायगी न होने की सूरत में तुरन्त भूमि खारिज हो जाती है, इस पर बहस करने हेतु) ।

(१३). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में भूमिहीन किसानों को सरकारी जमीन अलॉटमेंट के प्रश्न पर सरकार की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

(५४). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (भूमि की अधिकतम जोत की सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून को लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर): (१४). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र के ऐसे काश्तकार जिनको कि भूमिहीन की हैसियत से किश्तों पर जमीन दी हुई थी, की बिगड़ी हुई आर्थिक हालत पर ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(१५). Demand No. I, Major Head 9-Land Revenue be reduced by Re.1/- (to discuss the miserable plight of the petty and small proprietors in Ganganagar District who due to accidental and otherwise incorrect entries in Girdawaries of 1959 have lost their land).

(श्री केदारनाथ)

(१६). Demand No. I, Major Head 9-Land Revenue be reduced by Re. 1/- (to discuss the defective and faulty system of allotment of agricultural land in Ganganagar District to the landless tenants).

(१७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण न लागू करने के प्रश्न पर ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

(१८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (प्रोजेक्ट क्षेत्रों में जमीन की नीलामी की गलत सरकारी नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : (१९). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (शिड्यूल्ड ट्राइब्स तथा शिड्यूल्ड कास्ट भूमिहीनों को भूमि न देने पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (२०). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (कोटा जिले में भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाने पर बहस करने के लिये) ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (२२). मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (वसूली व छूट में अनियमितता से जनता में व्याप्त असन्तोष पर विचार करने हेतु) ।]

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : On a point of information, Sir. आज जो मांग ली जा रही है उसके सारे कटौती प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आये हैं । इसलिए जो कटौती प्रस्ताव रह गये हैं और बाद में आवेंगे उन पर क्या हमें दुबारा बोलने की आज्ञा दी जावेगी ?

श्री सभापति : जो कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं उन्हीं पर बोलें ।

श्री भीमसेन : मेरी अर्ज यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव बाद में आवेंगे उन पर फिर दुबारा हमें बोलने का मौका दिया जावेगा ?

श्री सभापति : अभी जो कटौती के प्रस्ताव आपके सामने आये हैं उन्हीं पर बोलें और जो कटौती के प्रस्ताव अभी सर्क्युलेट नहीं हुए हैं उन पर बोलने का फिर अवसर दिया जावेगा ।

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री, वित्त): क्या एक माननीय सदस्य को दो बार बोलने का अवसर दिया जाएगा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : आप हमको तो बोलने नहीं देते हैं और दूसरों को दो दो बार बोलने देंगे ।

एक माननीय सदस्य : आपके कट मोशन नहीं हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कट मोशन नहीं हैं तो क्या हुआ ?

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । एक तो सरकार की भूमि सीमा निर्धा-

(श्री मुरलीधर व्यास)

रण कानून लागू करने में असफलता पर प्रकाश डालने के लिए रखा है और दूसरा प्रस्ताव मेरा जो है वह है सरकार ने आरजी काश्त भूमि की अलॉटमेंट नीति में परिवर्तन किया है और जमीन को नीलाम द्वारा बेचने की नीति अख्तयार की है उसका विरोध करने के लिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): मुझे बीच में इन्टरप्ट करने के लिए क्षमा करेंगे, चेयरमैन महोदय, ऐसा है कि जो कटमोशन्स सर्क्युलेट नहीं हुए हैं और जो सर्क्युलेट हुए हैं उन्हीं पर बोलें तो इससे अच्छा यह होगा कि जो कट मोशन्स माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर भी बोलते समय बोल दें तो कोई ऐतराज नहीं होगा, बजाय इसके कि एक एक माननीय सदस्य को दो दो बार बोलने का समय दिया जाय ।

श्री सभापति : इसमें कई तो डिस-अलाउ हो चुके हैं और बाकी सर्क्युलेट नहीं हुए हैं। व्यवस्था के अनुसार तो उनको दुबारा समय देना ही होगा। अगर सदन की यह राय हो कि जिनके कट मोशन्स सर्क्युलेट नहीं हुए हैं वे उन पर भी बोल कर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, अगर इस तरह से लिया जावेगा तो आज हमारा कटौती का प्रस्ताव नहीं आवे तो हमको कैसे समय मिलेगा ? इसलिये कट मोशन्स को सर्क्युलेट होने के बाद जिनके कट मोशन्स हों उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये । कौनसा कट मोशन आया और कौनसा नहीं आया, यह मालूम होना चाहिये ?

श्री सभापति : आप जब किसी कट मोशन्स पर बोलेंगे तो आपको यह तो ध्यान ही होगा कि आपने क्या कट मोशन रखा है और किस विषय पर बोलना चाहते हैं। इसलिये उस पर बोलते समय जो कट मोशन्स नहीं आये हैं उन पर भी बोल लें। यह सदन में समय की बचत के लिये व्यवस्था निर्धारित करना है। इसलिये मैं समझता हूँ कि सारे कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर बोल सकें तो अच्छा होगा और सदन का समय भी बचेगा ।

डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मण्डावर) : कौन से कट मोशन्स अलाउ किये हैं कौनसे डिसअलाउ किये हैं, यह कैसे पता चलेगा ?

श्री सभापति : वह तो शायद तभी मालूम पड़ेगा जब कि सर्क्युलेट किया जायगा कि कौनसे कट मोशन्स डिसअलाउ किये गये हैं और कौनसे अलाउ किये गये हैं, पर बोलने के समय सभी कट मोशन्स पर बोल जायं, जो डिसअलाउ कर दिये जायेंगे उन पर भी बोल जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सारे कट मोशन्स सर्क्युलेट नहीं हुए हैं तो फिर इस ग्रान्ट पर डिस्कशन तभी हो जब कि सभी कट मोशन्स सर्कुलेट हो जायं। बिना कट मोशन्स के सर्कुलेट हुए इसको कैसे लिया जा सकता है ? इसलिये इस ग्रान्ट को परसों लिया जाय ।

श्री सभापति : विधानतः तो यही है कि

(श्री सभापति)

सारे सर्कु लेट हो जाने चाहिये, पर अब जब कि यह मांग प्रस्तुत हो चुकी है तो इस पर बोल सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है और सदन का समय भी बच सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास प्रारम्भ करें।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : मैं आशा करूंगा कि सदस्यगण जिनको ध्यान है कि उन्होंने क्या कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे ऐसा प्रयास करेंगे कि अपने भाषण में उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए बातें कह देंगे। इससे विधि की हानि नहीं होती है। कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुआ है और उसके बारे में भाषण के दौरान में थोड़ी बातें कह देंगे तो विषय तो आ ही जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापतिजी, ने एक व्यवस्था दे दी है। मैं दूसरे कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में नहीं, दो ही कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी बात रखता हूं और मैं समझता हूं कि हमारी राज्य की जो मूलभूत नीति है, राज्य के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, राज्य के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से यदि राज्य की कोई बड़ी नीति हो सकती है तो वह यह हो सकती है कि लैंड के सम्बन्ध में सरकार की निश्चित नीति क्या हो। हमेशा इस प्रकार से माना गया है कि अगर किसी समाज में असमानता है, उसको दूर करने के लिये कोई प्रारम्भिक स्टेप है तो राज्य सरकार का यह स्टेप हो सकता है कि जो भूमि की विषमता है, किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है तो किसी के पास बहुत कम भूमि है, इस विषमता को दूर करे और हर आदमी के पास कम से कम इतनी भूमि हो कि वह अपना निर्वाह कर सके। इसी बात को लेकर आजादी के पहले कहा गया कि जमीन, जमीन जोतने वाले की होगी और वही उसका मालिक होगा। इसके बाद मुल्क आजाद हुआ और कई भूमि सुधार आये, सभी का लक्ष्य यही था कि स्टेप बाई स्टेप हम ऐसे सुधार करें कि हमारा मूलभूत लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। हमारा मूलभूत लक्ष्य यह था कि भूमि की सीमा निर्धारित करके जमीन पर हल चलाने वाला ही उस जमीन का मालिक बने, वही उसके उत्पादन का फायदा उठा सके। इसी चीज को लेकर भूमि सुधार किये गये और उनको जल्दी लागू करने के लिये सीमा निर्धारण भी अपनी योजना का अंग बनाया। हमारी केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कह दिया कि भूमि की सीमा निर्धारण करके भूमि सुधार लागू कर दिये गये हैं। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि भूमि सुधारों में ढिले सारे हिन्दुस्तान में होती है।

राजस्थान में सबसे ज्यादा भूमि थी, सीलिंग के रूप से बंटवारे का सवाल था। राजस्थान सबसे आगे कदम उठा कर दूसरी स्टेटों के लिये मार्ग दर्शन कर सकता था पर खेद है कि राजस्थान सरकार की नीति सदा इस मामले में ढिलमिल रही है। सन् १६५१ में राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई कि भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिये व्यवस्था की जाय। १६५४ में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा कि राजस्थान में ऐसे कई लोग

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं जिनके पास जमीनें हैं, कितने ही ऐसे हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं। उसमें यह भी कहा गया कि जब तक भूमि की सीमा का निर्धारण नहीं होगा तब तक किसान सुखी नहीं होगा। राजस्थान की क्रांति तभी सफल होगी जब कि भूमि की सीमा निर्धारित हो जायगी। १९५४ में रिपोर्ट आई, आज हम १९६२ में से गुजर रहे हैं। पिछले सेशन में और उससे पहले बार बार यही कहा जाता रहा कि बहुत जल्दी भूमि की सीमा के निर्धारण को लागू करेंगे। पहले के राजस्व मंत्रीजी थे उन्होंने तो घोषणा कर दी थी कि चुनावों के पहले इस भूमि की सीमा को लागू कर देंगे। पर खेद है कि आज तक भूमि की सीमा के निर्धारण को लागू नहीं किया गया। हमारे मुख्य मंत्रीजी आज उस स्थान पर हैं, वे इस सम्बन्ध में क्या सोचते होंगे पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भूमि की सीमा निर्धारण में जो देर हुई है उसका यह नतीजा हो सकता है कि इतने वर्षों की ढिलाई की वजह से भूमि की सीमा के निर्धारण का कानून पास हो जाने के बाद भी किसान लाभ उठा सकेंगे या नहीं। मैं तो कहूंगा कि इससे जो हम लाभ देना चाहते थे वह किसानों को नहीं मिलेगा। मुख्य मंत्रीजी रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, वे बतायेंगे कि कितनों को आप भूमि दे सकेंगे, कितनी दे सकेंगे, आपके ये आंकड़े आयेंगे तभी पता चलेगा कि वाकई राजस्थान में इस कानून से किसानों को लाभ मिलेगा। जहां तक राजस्थान में जमीन का सवाल है, राजस्थान की जमीन भी दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। एग्रीकल्चर डायरी राजस्थान की हमें जो सरकार की ओर से वितरित की गई है उसमें यह बताया गया है कि सेन्ट्रेल गवर्नमेंट की सर्वे के अनुसार ८४५ लाख एकड़ जमीन है और एकोर्डिंग टू विलेज पेपर्स राजस्थान में जमीन ८४२ लाख एकड़ है। तो यह ३ लाख एकड़ का अन्तर किस प्रकार है राजस्थान में, यह मेरी समझ में नहीं आता। पर यह बहुत बड़ा अन्तर है। राजस्थान के विलेज पेपर्स में तो ८४२ लाख एकड़ भूमि है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्वे के अनुसार ८४५ लाख एकड़ भूमि है तो यह बड़ी विचित्र बात है। यह ३ करोड़ एकड़ का अन्तर कैसे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : ३ करोड़ एकड़ का डिफरेंस कहां हुआ, यह तो ३ लाख एकड़ का ही डिफरेन्स हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : ३ लाख एकड़। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कई जमीनें ऐसी हैं जिन्हें हम प्राप्त कर रहे हैं, खेती के काम के लायक बना रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में साढे आठ करोड़ एकड़ जमीन है, उसमें से ४ करोड़ एकड़ भूमि जोतते हैं, बाकी जोत के लायक नहीं है। इसमें कितनी जमीन सिंचाई के काबिल है, जहां सिंचाई होती है ? ४० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। प्रारम्भ से ही यदि राजस्थान सरकार सही कानून बनाती और गम्भीरता से इसको सोचती और उस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करती तो मैं सोचता हूं कि कोई लाभ मिलता। जमीनों के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें बताया गया है कि ४॥ लाख परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है। सात, आठ लाख परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास १ से ५ एकड़ के बीच जमीन है और सीलिंग कमेटी के अनुसार जो दूसरे बड़े

(श्री मुरलीधर व्यास)

जमीन वाले हैं और सीलिंग जिन पर लगने वाला है उनमें से १०.१५ एकड़ की बीच वाले हैं। आंकड़ों से ऐसा लगता है कि यदि राजस्थान में २५ लाख भी परिवार समझ लें और पांच आदमियों का एक परिवार मानें तो राजस्थान में आधे परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास जोत लायक कोई जमीन नहीं है। ४।। लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन ही नहीं और जमीन के बिना हैं। यह एक बड़ी भारी समस्या है। यदि राजस्थान सरकार कोई क्रान्तिकारी कानून बना कर इसका जल्दी से जल्दी हल निकाले तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने ऐसे किसानों को कोई लाभ पहुँचाया। लेकिन सरकार ने आज तक इस प्रकार के कानून के विषय में विलम्ब ही किया है। कारण क्या थे ? या तो सरकार की ऐसी राजनैतिक स्थिति हो सकती है, सरकारी पक्ष में बैठने वाले लोग हो सकते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हों और वे चाहते हों कि इसमें टाइम लगे और यदि उनको फायदा उठाने के लिए यह किया गया हो तो यह बुरा है। मैंने कई जगहों पर जाकर बातें की हैं लोगों से। चाहे वह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे टोंक हो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हों, हर गांव में मैं जाता हूं सीलिंग के बारे में पूछता हूं तो वे कहते हैं कि लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर ली है-जमीनें भाई, भतीजे और परिवार के अन्य सब के नाम इस प्रकार से मैं कहता हूं कि उन्होंने जमीनों को बांट दिया है। ज्यादा जमीनें थीं और हम चाहते थे कि भूमिहीनों को जमीनें मिलें और वह तब ही मिल सकती थीं जब कि इस कानून को बहुत जल्दी लागू करते, इस प्रकार का कदम उठाते कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होता और जो लोग लाभ उठा सकते थे उनको लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता। तो हर आदमी को इससे लाभ मिल सकता था। आज स्थिति बदल चुकी है। बदलने का कारण यदि एक मात्र हो सकता है तो वह राजस्थान सरकार की ढिलाई, लापरवाही या राजनैतिक कारण। देश में आजादी आने से पहले और बाद भी यह राजस्थान सरकार कहती रही है कि जमीन किसानों को देंगे। उनकी ढिलाई, कुछ व्यक्तिगत कारण और राजनैतिक कारणों से और विशेष तौर पर लोगों को छूट देने के कारण इसमें देरी हुई और इसका आगे जाकर राजस्थान के किसानों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी क्रांति नाकामयाब होगी। माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बता दें कि सीमा का कानून क्रांतिकारी होगा और उससे कितने किसानों को लाभ मिलेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में क्रांतिकारी है। यदि लाभ नहीं मिलता है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की बातें रखें और उनको इस कानून में इस प्रकार का कोई शीघ्र से शीघ्र अमेन्डमेन्ट लाकर पास करना चाहिये। उसमें कुछ साल पहले की सीमा बतानी पड़ेगी। ५४ के बाद ५५ से और ५७ के बाद की सीमा उसमें बतानी पड़ेगी, जिससे उस समय में यदि जमीन को किसी को बेचा हो, किसी को ट्रान्सफर किया हो, अमेन्डमेन्ट लाते हैं तो उसमें सुधार कर लाते हैं सही सुख वास्तव में किसानों को पहुंचाना चाहते हैं, उनको वास्तव में आप जमीन दिलाना चाहते हैं तो इस प्रकार का संशोधन लाइये। क्रान्ति तब ही होगी जब आप संशोधन लायेंगे और यह कानून में

(श्री मुरलीधर व्यास)

निर्धारित करेंगे कि सन् ५४ से बाद की जो जमीनें ट्रान्सफर की हैं वे सब रद्द होंगी। तब ही उन किसानों को जिनको जमीनें देना चाहते हैं जमीनें मिलेगी। नहीं तो, मैं कहना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश करें, चाहे सीमा निर्धारण का कानून पास कर लें, वह केवल नाम मात्र का हो सकता है, भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए नहीं हो सकता है। आपका ऊंचा नाम हो जाय, यह भले ही हो सकता है। किसान सोचता था कि आजादी के बाद वह जमीन का मालिक बनेगा। लेकिन आपके इस प्रकार के कानून से वह मालिक नहीं हुआ। सही माने में वह जमीन का मालिक बने, उसको जमीन मिले इसके लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिये। तो राज्य सरकार से भूमि की सीमा के निर्धारण के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिये और जो मूल मंशा है वह पूरी होनी चाहिये। दस, बारह वर्ष से यह है, कमेटी ५१ में बनती है। जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया और आजादी के बाद जो चाहते थे कि उनको जमीन मिले, वे जमीन के मालिक बनें इतने लम्बे अर्से में भी उनको जमीन नहीं दिलवा सके और इसलिए यह आपकी जो भूमि की क्रान्ति है वह अब भी नहीं चेतते हैं तो असफल होगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सारी वस्तुस्थिति को वे देखें और आंकड़ों के आधार पर बतायें कि किस प्रकार कितने किसानों को सीमा निर्धारण से जमीन मिल सकती है और नहीं मिलती है तो इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरा, मैं यह सोचता हूं कि जो जमीन की बिक्री के सम्बन्ध में सरकार ने नीति निर्धारित की है वह एक दकियानूसी नीति है। सरकार के पास अच्छी जमीन आये, चाहे वह नहरी इलाके में हो, चाहे वह सरकारी जमीन कहीं और हो, सरकार ने उसको नीलाम करने की नीति अपनाई है। वह एक प्रतिक्रियावादी नीति है। उससे किसान जमीन का मालिक नहीं बन सकता। आपको यह खयाल रखना चाहिये कि जिस जमीन में किसान रहता है, हल चलाता है, जमीन को जोतता था उस जमीन को यदि जिस स्थान पर भी आप बेचें तो उसको नीलाम के आधार पर नहीं बेचें। उसको इस आधार पर दीजिये कि उस गांव में कौन आदमी है जो भूमिहीन है, कौन वहां का रहनेवाला है, कौन उसकी काश्त करता था, कौन उसको जोतता था और उसी के आधार पर आप उसको दीजिये। किसान पैसा किश्त के रूप में देता रहेगा। यदि आप उसको नीलाम से जमीन देंगे तो वह उसको कभी नहीं पा सकेगा और वह उसका कभी मालिक नहीं बन सकेगा। इसलिए जो आपकी यह नीति है उसमें सुधार करना चाहिये। योजना और प्लानिंग में खर्च किया गया पैसा आप वापिस चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उनको आपको किश्तों में ही देना पड़ेगा और नहीं देते हैं तो हल चलाने वाला किसान उसमें नहीं आ सकेगा। राजस्थान के किसानों को बसाने का सवाल है तो आपको यह नीति अपनानी चाहिये, उसी को जमीन देंगे जो गांव का रहनेवाला है, हल चलानेवाला है, उस जमीन में जिसने हल चलाया है, यही नीति होनी चाहिये। ऐसी नीति नहीं रहेगी तो दूसरों के पास जमीन चली जावेगी। भूमिहीन किसान चाहते थे कि उनको

(श्री मुरलीधर व्यास)

जमीन मिलेगी लेकिन उन्हें आपकी इस नीति से मिलेगी नहीं। मुझे आपका इन दोनों मुद्दों पर ध्यान खींचना है। १०० में से ८० प्रतिशत खेती पर निर्भर करते हैं और उनमें से ४० परसेन्ट ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। उनको सुखी बनाना चाहते हैं तो आपको भूमि के कानून में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसको इस तरीके से लागू करना पड़ेगा कि उसका मूल उद्देश्य यह होना चाहिये कि जमीन जोतने वाले की है। यह उद्देश्य नहीं हैं तो आज जिस प्रकार से जमीन बड़े बड़े जागीरदारों को मिली हुई है, बड़े बड़े पैसे वालों को मिली हुई है, जो जमीन नहीं जोतते हैं उनको जमीन मिली हुई है और वे जमीन के मालिक बन गये हैं। उदयपुर में चले जाइये। डबोक में जमीनें उन लोगों ने लीं जो काश्त नहीं करते। बांध बनाया तो लोगों ने सोचा था डबोक में पानी आवेगा, किसान जमीन का मालिक बनेगा।............

(घंटी)

लेकिन उस जमीन को राजनैतिक नेताओं को दे दिया। जो मूल लक्ष्य होना चाहिये—जमीन का वही मालिक होगा जो उसको जोतता है। कोई जिसके पास जमीन है और वह उसकी पूर्ति नहीं करता है तो जिस क्रान्तिकारी परिवर्तन की कल्पना करके चल रहे थे वे परिवर्तन इस प्रकार के कानून के बिना नहीं मिल सकते। जब हम सिलिंग के कानून को व्यावहारिक रूप दे सकेंगे तभी सही मायने में गरीबों को राहत मिल सकती है। जहां तक जमीन के वितरण का सवाल है, गरीब मेघवाल लोग जो काफी अरसे से जमीन के बारे में सोच रहे थे कि हमें जमीन मिलेगी वह नहीं मिल रही है। उन लोगों को जो सेना में काम करते थे उनको भाखरा एरिया में और राजस्थान नहर एरिया में जमीन दी गई है लेकिन जो मेघवाल लोग हैं जिन्होंने सेना में काम किया था, हरिजन जो सेना में काम कर चुके थे उनको भी जमीन नहीं मिली। बीकानेर के काफी मेघवाल ऐसे हैं जिन्होंने सेना में काम किया था, उनको जमीन नहीं दी गई। आपका इस बारे में साफ दृष्टिकोण होना चाहिये। पिछड़े वर्ग को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें जमीन वितरण करने का दृष्टिकोण भी उसी प्रकार का बनाना चाहिये। अब हमारे मुख्य मन्त्री जो कुछ भी घोषणा करें सीलिंग के बारे में जल्दी से जल्दी करें और साथ में यह भी घोषणा करें कि सीलिंग से कितने लोगों को जमीन मिलेगी; यह भी बतायें। जिस क्रान्तिकारी कानून को लगातार दस साल से हम टालते आ रहे हैं वह कामयाब तभी होगा जब कि उसमें आवश्यक संशोधन किया जाकर उसको पास किया जाय। अगर वह कानून कामयाब नहीं होता है तो वह कानून कानून नहीं, रद्दी की टोकरी है; जलाने के काबिल है। भूखों को रोटी देने वाला कानून नहीं है, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से विचार करेगी। जहां तक किसान के आर्थिक विकास का प्रश्न है, यह आवश्यक है। इसके बिना उसके जीवन में क्रान्ति नहीं हो सकती और इसके बिना भूमिहीन लोगों को भी भूमि नहीं मिल सकती। इसलिये मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कटमोशन का उत्तर देते हुए

(श्री मुरलीधर व्यास)

इन सब बातों का भी उत्तर देंगे ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र के सम्बन्ध में जो जमीन अलॉट की जा रही है उसके संबंध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है । उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, राजस्थान नहर की दो स्कीम्स हैं। एक तो फ्लो एरिया से सिंचित होने वाली और दूसरी लिफ्ट एरिया से सिंचित होने वाली । राजस्थान नहर के फ्लो एरिया में इस वक्त जो जमीन है, जो अलॉट की जा रही है उसको एक एक साल के लिये सरकार जमीन देती है । यह तो सब जानते हैं कि राजस्थान नहर जब तक पूरी जैसलमेर तक नहर बनेगी उसमें करीब दस, पन्द्रह साल लग जायेंगे । आज बीकानेर और जैसलमेर जिले में जो कैनाल एरिया में आ गया है वह जमीन एक एक साल के लिये अलॉट करते हैं इसलिये केवल कागजों में स्कीम बन जाने से काश्तकारों की हालत नहीं सुधरती । एक एक साल के लिये दरख्वास्त देनी पड़ती है, पटवारी के पास जाना पड़ता है । हर साल उसको खर्चा करना पड़ता है । इसलिये सरकार से इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लो एरिया में जहां पर अभी पानी आने में देरी है, पोसीबिलिटी है इसलिये वहां कम से कम तीन साल के लिये जमीन अलॉट की जानी चाहिये । इससे काश्तकार परेशानी से बचेगा और खर्चे से बचेगा । आपके पास जो स्टाफ है । उस स्टाफ का भी खर्चा बच जायगा । फ्लो एरिया में एक साल की बजाय कम से कम टेम्परेरी तौर पर ३ साल के लिये जमीन अलॉट करें ।

जहां लिफ्ट एरिया का प्रश्न आता है, यह अजीब सी बात है । अभी लिफ्ट एरिया की कोई स्कीम नहीं, केवल कागजों में और सरकार के दिमाग में जरूर हो सकती है । किस प्रकार की स्कीम बनायेंगे ? उसका क्या रूप होगा ? सरकार को भी अभी तक मालूम नहीं कि पानी मिलेगा या नहीं । पैसे की किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे ? कितनी धनराशि मिलेगी, इसके अन्तर्गत ? किस किस गांव की कितनी कितनी भूमि को लिफ्ट एरिया से पानी मिल पायगा ? इस बारे में कोई स्कीम नहीं । न कोई सरकार को जानकारी ही है लेकिन सरकार चाहती है कि लिफ्ट एरिया के कुछ गांवों को पानी दिया जाय । सरकार की इस मन्शा की हम कद्र करते हैं लेकिन लिफ्ट एरिया के बारे में उनको विश्वास हो चुका है कि इससे केवल आठ लाख एकड़ भूमि को पानी दे पायेंगे । इसके अनुसार सरकार को जानकारी है कि यह ८ लाख एकड़ भूमि किस किस गांव की हो सकती है । इसके बावजूद भी सरकार इतना कष्ट करना नहीं चाहती कि जहां ८ लाख एकड़ भूमि को पानी मिल सकता है वहां उन्होंने सारा बीकानेर जिला इसमें ले लिया है । जिस इलाके में जिस गांव में होकर लिफ्ट एरिया से पानी दिया जायगा उस स्कीम की अभी तक पोसीबिलिटी नहीं । इसलिये निहायत अदब के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे गांव जो कॉलोनी एरिया से बाहर हैं उनको निकाल दें, जो आठ लाख की सीमा में नहीं आते हैं, इससे काश्तकारों को परेशानी है । उनको हर साल दरख्वास्त देनी पड़ती है, जमीन लेने के लिए एफीडेविट देनी पड़ती है इस तरह की दिक्कतों से किसान बच जायगा ।

(श्री भीमसेन)

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सहानुभूति से विचार करेगी और कम से कम कॉलोनी एरिया में जिन गांवों को ले लिया है उनको छूट दे दी जायगी। जिससे वे खातेदारी हक प्राप्त कर सकें और जमीन मिलने की दूसरी दिक्कतें हैं वे भी दूर हो सकें।

इसके अलावा एक प्रस्ताव मेरा यह है कि राजस्थान सरकार ने १५ मई, १६५६ को एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें राजस्थान केनाल लिफ्ट एरिया के बारे में बताया गया कि इसके अन्तर्गत ७०० गांव होंगे जो राजस्थान केनाल की लिफट एरिया की स्कीम के अन्तर्गत आयेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बतलाया था कि राजस्थान नहर से आठ लाख एकड भूमी सिंचित होने की संभावना है। उस आठ लाख एकड़ भूमि में लूणकरणसर के आसपास के पांच, सात गांव आते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : कुल आठ लाख केनाल एरिया में ?

श्री भीमसेन: जी हां। ८ लाख भूमि आती है उसमें से चार सौ, पांच सौ गांव आसानी से निकाल सकते हैं, अगर सहानु-भूति पूर्वक विचार करें तो।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल एरिया में चार आने प्रति बीघा के हिसाब से लैंड रेवेन्यू बढ़ा दी है। सरकार वहां नहर लाना चाहती है और रामगढ़ तक नहर जावेगी। इसके वहां तक पहुंचने में पन्द्रह, बीस वर्ष लग जावेंगे। पर क्या सरकार यह मान बैठी है कि चूंकि कागजों में वह नहर बन गई है इसलिये वहां भी बन गई और खेतों में किसानों को चूंकि पानी भी उस नहर से मिल गया है इसलिये चार आने बढ़ा दो, क्योंकि नहर का पानी जो उनको मिल गया है तो किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है और किसान अधिक समृद्ध हो गया है। सभापति महोदय, अभी तो काश्तकार की वही हालत है, जो आज से बरसों पहले थी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पैदावार में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी हालत में यह चार आना बढ़ाना कोई अर्थ नहीं रखता। इसके पीछे कोई दलील नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि काश्तकार की मौजूदा हालत को देखते हुए चार आना प्रति बीघा के हिसाब से लैंड रेवेन्यू या मालिकाना या सरचार्ज जो लिया जा रहा है उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे।

एक प्रस्ताव मेरा और है सभापति महोदय, बकाया लगान की वसूली के सम्बन्ध में। राजस्थान सरकार ने नियम बना रखे हैं कि लगान वसूली कैसे की जाय। जहां एक ही खरीफ की फसल होती है तो वहां भी नियम हैं। यह नियम है कि फरवरी तक लैंड रेवेन्यू नहीं देगा तो उसे ड्यू समझा जावेगा और एक आना प्रति रुपया प्रति महीने के हिसाब से सरचार्ज कहिये या पैनेल्टी कहिये वह लिया जावेगा। यह एक आना पेनल्टी के रूप में लेना बड़ा अटपटा लगता है। आज तक लैंड रेवेन्यू पर किसी सरकार ने इन्टरेस्ट नहीं चार्ज किया। बीकानेर स्टेट के वक्त में भी बकाया पर कोई इन्टरेस्ट नहीं

(श्री भीमसेन)

चार्ज होता था।

इसके अलावा नीति के रूप में भी मुझे ऐतराज है कि बकाया की वसूली या लगान की वसूली सरकार उस वक्त वसूल करना जारी करती है जिस वक्त किसान फसल को बोने की तैयारी करता है। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसके पास होता है वह उसको खेत में बोने के लिये चाहिये, उसे भी आप अगर ले लेंगे तो वह खेत में क्या बोएगा ? तो मेरा ऐसा निवेदन करना है कि फसल के बोने से लेकर काटने तक सरकार को वसूली नहीं करनी चाहिए। सरकार अपनी इस नीति पर विचार करे। बोने से लेकर काटने तक के दौरान में कम से कम सरकार लैंड रेवेन्यू या बकाया वसूल न करे। इससे अनड्यू हैरेसमेन्ट किसान को होता है। एक तरफ सरकार उनको खेत बोने के लिये प्रोत्साहन देती है, तकावी देती है और दूसरी तरफ........

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : काश्त काटने और बोने के बीच की अवधि में वसूली होती है।

श्री भीमसेन: इसमें फिर कोई झगड़ा नहीं है !

एक प्रस्ताव मेरा गिरदावरी स्लिप के बारे में है। यह सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि ज्योंही गिरदावरी होती है गिरदावरी स्लिप दे दी जाती है। इस तरह का नियम रखा है। पर इसके पालन करने में दिक्कत आती है। किसी भी इलाके में पटवारी लोग गिरदावरी स्लिप काश्तकार को इस तरह से नहीं देते। अगर डिमान्ड होती है तो मुखियाओं को राजी करने के लिये दे दी जाती है। इसके पीछे भी एक पैसा वसूली का रास्ता निकाल रखा है नियमित रुप से। कोई एक रूपया लेता है, कोई दो रूपया लेता है पटवारी हर गिरदावरी स्लिप इश्यू करने का। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गिरदावरी स्लिप इश्यू करने के लिये, उसको बांटने के लिये सरकार यह व्यवस्था करे कि पटवारी इनको गांव के खलिहानों में सामूहिक रूप से इनको बांट दे। आम किसानों के सामने पटवारी को रूपया लेने की हिम्मत नहीं होगी। तो इस तरह जल्से आम में डिस्ट्रिब्यूट करने के लिये नियम आप बनादें तो काश्तकार को गिरदावरी स्लिप मिल जावेगी और करप्शन की सम्भावना भी दूर हो जावेगी।

इस तरह सभापति महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव अपने रखे हैं। दो-चार और थे इस समय मेरे वे ध्यान में नहीं हैं। तो इसलिये मुझे कम से कम पांच मिनट का समय कल और इसके लिये दिया जावे ताकि मैं अपने दूसरे कट मोशनों पर बोल सकूं।

श्री सभापति: अब तो मान लिया है इस बात को कि आगे समय नहीं दिया जावेगा, इसलिये इस समय ही कह दें आप तो ठीक होगा। परसों तो आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री भीमसेन : जिन पर मेरा ध्यान था उन पर तो बोल चुका हूं, कुछ का ध्यान नहीं है। फिर भी एक ऐसा है। राजस्थान सरकार ने लैंड कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के बारे में कहना है कि लैंड कमीशन ने ऐसी सिफारिश की कि राजस्थान में जितने लैंड रेवेन्यू रिफार्म्स के रूल या एक्ट

(श्री भीमसेन)

बने हैं उन रुल्स और एक्ट्स को एन्फोर्स करने में काश्तकार के जीवन पर क्या असर पड़ा है। वास्तव में कहां तक वे एन्फोर्स में लाये गये हैं और कानून की जो मंशा थी वह कहां तक पूरी हुई है। इसके बारे में लैंड कमीशन ने सरकार से सिफारिशें की थी कि इसके लिये तुरन्त एक कमेटी मुकर्रर की जावे। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सिफारिश के मुताबिक कमेटी तुरन्त मुकर्रर की जावे जिससे कि यह जानकारी सरकार को और हम सब को भी मिल सके, जो किसानों में दिलचस्पी रखते हैं और उनमें अगर कोई खामियां हुई तो दूर किया जा सके। तो इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके सामने जो राजस्थान सरकार की भूमि के सम्बन्ध में नीति है उसके बारे में मैं कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं।

हमारी सरकार काफी अरसे से अपने भूमि सुधारों का जिस तरह से ढिंढोरा पीट रही है, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उनका, जिस तरह से जो भी कुछ उसका राजनैतिक फायदा उठाया जा रहा है, दर असल वह भूमि सुधार, इस सम्बन्ध में जिस तरह के कानून आये हैं, चाहे बिश्वेदारी कानून हो, चाहे खातेदारी कानून हो, चाहे सीलिंग का सवाल हो या और भी इस किस्म के और सवाल हों, अनके उन्दर काम कम किया गया है, पर उसका ढिंढोरा ज्यादा पीटा गया है और उससे राजनैतिक लाभ उठाने की अधिक कोशिश की गई है।

(२.४८ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

इस सिलसिले में मैं आपके सामने निवेदन करूं कि यह आश्चर्य की बात है कि ये कानून सरकार ने अपनी खुद की जमीन पर लागू करने की हिम्मत नहीं बताई। उसने अपनी नीति यह बनाई कि वे जागीरदारी जमीन पर लागू होंगे, बिश्वेदारी जमीन पर लागू होंगे, कोई भी अगर दूसरा जमीन का मालिक है तो उस पर ये सब कानून लागू होंगे, पर जो जमीन सरकार के कब्जे में है उसके ऊपर किसी किस्म का कानून लागू नहीं हो सकता और उस जमीन पर किसान को कोई राहत नहीं दी जा सकती। सरकार आज स्वयं भेद भाव की नीति बरत रही है, जैसे अलवर और भरतपुर में मैं बताऊं। जब मेव यहां से भागे तो ४७ के अन्दर वे जमीन छोड़ कर गये। उसमें से कुछ जमीन शरणार्थियों को दी गई, कुछ पहले से जोता जो थे उनके पास रही, उनके बाद ४८ में जब मत्स्य बना तो उस वक्त हमारी सरकार ने यह कहा था कि इस जमीन को जो भी जोतने के लिये और लेने के लिये सामने आवेगा उसको सरकार यह जमीन एक सिंगल कीमत पर दे देगी और उसे उस जमीन का मालिक बना देगी। इस तरह की घोषणा सरकार द्वारा उस वक्त की गई थी और इस विश्वास के आधार पर जो लोकल लोग थे, भूमिहीन किसान थे, जो दूसरों की जमीन पर काश्त करते थे, जो जागीरदारों और बिश्वेदारों की जमीन पर काश्त करते थे वे उस

(श्री हरिराम चौहान)

अपनी अपनी जमीन को छोड़कर इस जमीन को लेने के लिये और इस जमीन के मालिक बनने के लिये सरकार के आश्वासन दिलाने पर आगे आये। पहले वाली जमीन पर उनको बटाई देनी पड़ती थी और वे उसके मालिक नहीं कहलाते थे, तरह तरह की बेगार उनको अलग से देनी पड़ती थी। पुरानी जमीन पर उनका पूरी तरह से अधिकार हो जावेगा, इस किस्म का उनको कोई भरोसा नहीं था। इस लिये सरकार के उस आश्वासन पर वे अपनी उस पुरानी जमीनों को छोड़ कर आये कि उस जमीन के जल्दी ही मालिक बन जावें, जब वे छोड़ कर आये तो सरकार ने पट्टा कमेटियां बनाई उन पट्टा कमेटियों में नेताओं की बड़ी धांधलेबाजी चली और उसके अन्दर काफी बड़ा नुकसान उनको रिश्वत के रूप में हुआ। तमाम जितने भी नेता थे, तहसीलदार थे और वहां के जितने भी पटवारी थे उन्होंने पूरी तरह से उन भूमिहीन किसानों को लूट लूट कर अपनी जेबों को गरम किया। उसके बाद बड़ा संघर्ष हुआ, बड़े आन्दोलन हुए पट्टेदार भूमिहीन किसानों की तरफ से उस जमीन के ऊपर वह बावजूद इसके कि सरकार उस जमीन से उनको खदेड़ना चाहती थी, बावजूद इसके कि सरकार ने उनकी कोई परवाह नहीं की। लेकिन वह अपने संगठन के बलबूते के ऊपर किसी न किसी तरह से अपनी जमीन के ऊपर टिके रहे। लेकिन अब जिस किस्म की स्थिति चल रही है वह ऐसी स्थिति चल रही है कि उस जमीन के ऊपर तीन-चार तरह के जोता हमारी सरकार ने कर दिये। एक तो पुराने जोता जो मेवों के समय से उस जमीन को जोतते थे-जो सौ सौ और सचास-पचास साल से ज्यादा के काश्तकार हैं उनको बगैर किसी कीमत के जमीन पहले ही दे देनी चाहिये थी, खातेदारी अधिकार उनको मिल जाने चाहिये थे लेकिन सरकार यह कहती है कि आपको खातेदारी अधिकार नहीं है क्योंकि आपका कागजो के अन्दर खातेदारी अधिकार नहीं है। गिरदावरी के अन्दर आपकी खसरा टीप है, आपके और भी तरह से हक साबित होते हैं और हर तरह से हम मानते हैं कि आप सौ-सौ साल के जोता हैं लेकिन कुसूर तुम्हारा इतना है कि आपने अदालत में यह नहीं कहा कि मुझे खातेदारी अधिकार दो। इसलिए आपसे जमीन की कीमत ली जायेगी। आज सौ-सौ साल के पुराने जोताओं से कहा जाता है कि तुमसे जमीन की कीमत ली जायेगी और अगर जमीन की कीमत नहीं दोगे तो तुमको बेदखल किया जायेगा। क्या होगा, क्या नहीं, यह तो यह जाने या इनका राम जाने....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री :) आप जो कह रहे हैं वह इवेक्युलैण्ड के लिए कह रहे हैं या गैर मौरूसी काश्तकारों के लिए कह रहे हैं ?

श्री हरिराम चोहान : जो मुसलमानों की जमीन के ऊपर पुराने जोता हैं उनके बारे में कह रहा हूं। तो उसके सिलसिले में बराबर मांग करने के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि हमारी राजस्थान सरकार उनको चिट्ठी तक नहीं लिख सकी, बावजूद इसके कि उनका संगठन है, उनके बड़े बड़े आन्दोलन होते हैं, उनके बड़े बड़े जलूस और जलसे होते हैं और बारबार सरकार को मेमोरेण्डम दिया गया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां गद्दियों पर

(श्री हरीराम चौहान)

बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर उन लोगों की आवाजों को दबाया जाता है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक तो वह जो सौ-सौ साल के जोता हैं और दूसरे वे लोग हैं जो पट्टे के ऊपर सम्वत् २००३ के बाद के काश्तकार हैं वह पट्टे पर इस सरकार को डबल जमा देते रहे हैं और उनकी भी उसी तरह की हालत रही है कि वह भी तहसीलदारों के रहम पर जिन्दा रहे और कोई इधर जमीन हुई कोई उधर जमीन हुई इस तरह उनका भी काफी मामला चलता रहा। लेकिन डबल जमा बराबर देते रहे और १०-१५ साल के बाद भी, डबल जमा देने के बाद भी यदि सरकार यह कहती है कि जितने भी पट्टेदार हैं उनसे ४५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से लेना चाहते हैं और वह १५ किश्तों में वसूल करना चाहते हैं। जो पुराने जोता हैं उनसे भी ४५० रुपया हमारी सरकार लेना चाहती है, उनको भी रुपया नहीं छोड़ना चाहती और जो १५ साल के जोता हैं उनसे भी ४५०) रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन का लेना चाहती है। इसके अलावा जो सन् ५७ के बाद के पट्टेदार हैं, जिनको सन् ५७ के बाद पट्टे के ऊपर जमीन मिली या किसी तरह से उस जमीन पर वह काबिज हैं उनको यह कहा जाता है कि आपको तो कोई हक ही नहीं है। आपको तो बल्कि इस जमीन के ऊपर टिकने का अधिकार नहीं है, ठहरने का अधिकार नहीं है और मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार उनको यह समझ रही है कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और यह तो कोई बड़े बिस्वेदार हैं इसलिए उनको कोई और अधिकार नहीं है तो उनको पूरी तरह से बेदखल करने के लिए हमारी सरकार तुली हुई है। अब इसके साथ साथ जितने भी किस्म के जोता हैं उनके मुकाबले में उसी किस्म की जमीन उन शरणार्थियों के पास है। शरणार्थियों के पास भी वही मेवों की छोड़ी हुई जमीन है और वह पट्टेदारों के पास और पुराने जोताओं के पास और सन् ५७ के जो पट्टेदार हैं उनके पास जो जमीन है वह एक किस्म की जमीन के लिए हमारी सरकार ने एक समझौता किया है। पुरुषार्थी किसान कॉन्फ्रेन्स की तरफ से यहां एक डेपुटेशन आया था। मुख्य मन्त्री महोदय ने उनसे बैठकर बातचीत की। मैं भी उस फैसले के अन्दर शामिल था। लेकिन उनसे जो जमीन की कीमत ली गई है, उनसे जो मुआवजा किया गया है वह करीब ८० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से पड़ेगा। एक तरफ ८० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से एक किसान से मांगा जाता है, दूसरी तरफ ४५० रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से मांगा जाता है। यानि एक से २५ रुपया फी बीघा के हिसाब से और दूसरे से १५०-२०० रुपया फी बीघा के हिसाब से जमीन की कीमत मांगते हैं। यह जो जमीन की कीमत इतनी बढ़ी हुई मांगी जा रही है इसके अन्दर मैं यह समझता हूं कि उस वर्ग को जो वर्ग दबा हुआ है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो वर्ग सताया हुआ है, क्योंकि पट्टेदारों के अन्दर ज्यादातर हरिजन लोग हैं उन लोगों से, जमीन की कीमत इतनी मांगना और उन लोगों से क्योंकि मैं यह नहीं कहता कि वह भी कोई अमीर आदमी थे, यह कहा गया है कि वह लुटकर आये थे और उनसे हमने हमदर्दी की है। यह ठीक है हमदर्दी करनी चाहिए थी। लेकिन यह हमदर्दी किस बिना के ऊपर की गई, किन पर की गई,

(श्री हरीराम चौहान)

कैसे यह हमदर्दी का प्रेम उमड़ पड़ा ? इनके भी अलावा दूसरे किसान हैं पर क्योंकि शरणार्थी जब से आये हैं उनका बड़ा मजबूत संगठन है, वे शरणार्थी अपने संगठन के बलबूते के ऊपर १५ साल तक संघर्ष करते करते इस सरकार की नाक को जमीन में रगड़वा सके हैं और फैसला संगठन के बलबूते पर मनवा सके हैं वर्ना यही कीमत उनसे भी वसूल करने के लिए एस०-डी० ओ० जाते थे, पुलिस जाती थी और इनको उस समय बिल्कुल अंगूठा दिखा हुआ मिलता था तो पूरी तरह निराश होकर वापिस आते थे। इसलिए उन्होंने अपने संगठन की वजह से चाहे उसे महरबानी कहें लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपने संगठन के बिना पर, अपनी हिम्मत के बिना पर इस सरकार को झुका दिया और वह बेचारे गरीब इन लोगों के साथ रहे। अगर उन्होंने कोई पाप किया है वह एक ही बड़े से बड़ा पाप किया है कि हमेशा अपने कंधों पर बैठाकर इन तमाम मंत्री महोदयों को यहां भेजा, उन्होंने अपने कंधों पर बैठ कर आपकी सरकार को बनाया और जो लोग उनके सिर पर चढ़कर यहां असेम्बली में बैठे हुए हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब तो आप बैठे हुए हैं।

श्री हरिराम चौहान : हम तो कह रहे हैं कि उनको राहत दो। इसलिए हम आपसे यह कह रहे हैं कि आपको यह समझ आनी चाहिये। इस तरह से उन लोगों को परेशान करते हैं और यह महसूस नहीं करते कि एक तरफ शरणार्थियों के पास भी उसी किस्म की जमीन है और उस हरिजन के पास भी उसी किस्म की जमीन है और उस हरिजन के पास २ बीघा जमीन, ४ बीघा जमीन है; ज्यादा से ज्यादा किसी हरिजन के पास ८ बीघा जमीन हो सकती होगी। उनके पास १६ बीघा जमीन है लेकिन क्योंकि इस सरकार की बात देखी है इसका स्वभाव है जैसा नींबू का स्वभाव है वैसा ही सरकार का स्वभाव है........

(३.० म. प.)

नींबू को पपोले जाओ, जी हजूरी करते रहो, मसोसते रहो तो वह सिकुड़ता रहता है कोई रस देने वाला नहीं है लेकिन चाकू टिकाओ और हाथ से मरोड़ी दो और नीचे गिलास करो तो आपका ग्लास भर जायगा और गटर गटर करते हुए पी जाओ। लेकिन शरणार्थियों ने मंत्रीजी के साथ हाथ उठाया, इस सरकार की पूरी तरह से खुशामद पर तुले हुए हैं, इसलिए यह कसूर है। आपके इस राज्य के अन्दर पूरी तरह से सहूलियत नहीं दी जा सकती है, यह राहत लड़कर दी जा सकती है। जैसे एक टूटी चारपाई को ठोक पींजकर एक रात सो जायं, दो रात सो जायं उसी तरह से हमारी सरकार को ठोक पींजकर काम निकालते हैं और वे लोग इस काम से महरूम रह जाते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसीलिए उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये और १५ साल से नहीं दिये। अगर वे ही बिस्वेदार की जमीन पर होते तो अधिकार मिल जाते, अगर वे लोग जागीरदार की जमीन पर होते तो उनको अधिकार मिल जाते,

(श्री हरीराम चौहान)

लेकिन वे लोग सरकार की जमीन पर हैं इसलिए उनको वे अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। हो सकता है कि जवाब में मुख्य मंत्रीजी यह बात कहें कि क्योंकि यह मसला दिल्ली का है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप १५ मिनट ले चुके हैं।

श्री हरिराम चौहान : हमने बड़ी कोशिश की है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अपनी बात का जवाब दे रहे हैं ?

श्री हरिराम चौहान : मैं कितने दिन से नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हरिराम चौहान : ऐसा भी हो सकता है कि यह बात कहें कि हमने बड़ी कोशिश कीहै, बड़ा प्रेम दिखाया और बाहर भी यह कोशिश करें कि हम तो समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और उसके अन्दर सबसे ज्यादा प्रेम उन भूमिहीन किसानों से जिनके लिए वह बार बार कह चुके हैं कि भूमिहीन किसानों को पता नहीं कितने लाख बीघा या एकड़ उन्होंने मुफ्त में बांट दी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि अलवर और भरतपुर के जिलों में कितनी जमीन बांटी है मुफ्त में किसानों को ? वह थोड़ी तस्वीर बताएं तो कोई चीज समझ में आयेगी कि हां, दरअसल में समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वर्ना यह समाजवादी समाज का ढोंग है, ढकोसला है, बिल्कुल बकवास है, जिसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े लोगों को रियायतें देना चाहते हैं और छोटे लोगों को कुचल कर सिकोड़ना चाहते हैं, बल्कि पूरी तरह से उन लोगों से हर तरह से जमीन की कीमत वसूल करना चाहते हैं, लगान डबल वसूल करना चाहते हैं और यातनाएं देकर कोई राहत देना नहीं चाहते। वर्ना जिसको जरूरत है समाजवादी समाज की, जिसको आवश्यकता है समाजवाद की, उसको राहत दिये बगैर समाजवाद कैसे आयेगा ? वह तबका समाजवाद नहीं ला सकता है; वह तबका समाजवाद लायेगा जिसको समाजवाद की जरूरत है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्ना मुख्य मंत्रीजी बता दें कि आपका समाजवाद जो होने वाला है वह कौन सा है ? किनके बलबूते पर लायेंगे समाजवाद ? समाजवाद तो उनके बलबूते पर आयेगा।

इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि मैं यह अर्ज करूं कि यह जो भूमि की समस्या है वह फौरन हल होनी चाहिए। इससे वहां की जनता में बहुत भारी असन्तोष है। वह असंतोष यहां तक बढ़ गया है कि आप अखबारों में देखें या आप कहीं भी जायं तो

(श्री हरिराम चौहान)

आपको यह पता चलेगा कि जयपुर में बड़ा भारी प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिए यहां पर पहुंचना चाहते हैं। इसलिए मैं हाउस से दर्ख्वास्त करूंगा, खास तौर से अपोजीशन से और उधर बैठने वाले उन लोगों से जो दरअसल में समाजवाद से मोहब्बत करते हैं, जो दरअसल में समाजवाद लाना चाहते हैं....

(घंटी)

जिनको गरीबों से प्रेम है....

(घंटी)

जो गरीबों का वोट लेकर आये हैं, मैं उन लोगों से दर्ख्वास्त करूंगा....

(घंटी)

कि इस अहम मसले पर पूरी तरह से सोचें और सरकार को मजबूर करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : Order ! Order !! Shri Ganpati Lal Verma.

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़) : सभापति महोदय, मेरे इस मांग पर दो कटमोशन्स हैं यों तो राजस्थान सरकार ने भूमि-सुधार के अच्छे अच्छे कानून राजस्थान में बनाये और हिन्दुस्तान में भी यदि सबसे पहला श्रेय इस मामले में किसी को दिया जाय तो वह राजस्थान सरकार को जहां भूमि-समस्या, भूमिहीनों की समस्या को और किसानों की समस्या को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई तरह के कानून उनके लिए बनाये गये। किन्तु जब हम यह देखते हैं कि इन कानूनों का जो कुछ भी किसानों के लिए हमने बनाये हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इधर बैठने-वाले या उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से जब हम जानकारी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी काम किया गया है, जो अच्छे अच्छे कानून भूमि-सुधार के किसानों के हित के लिए बनाये गये हैं सचमुच उनकी पाबन्दी राज्य कर्मचारियों के द्वारा जो होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। यदि मिसाल के तौर पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं तो भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में यदि देखा जाय तो, वहां किसानों की जो हालत है उसको हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता कि उनके पास जो बरसों से जमीन कब्जे में है, वे जमीनें पहले जागीरदारों की जागीरों में थीं और जब जागीरदार गये तो उनसे पट्टे लिये और उन पर कुंए खुदाए और वे कुंए ५४,५५,५३ और ५२ से पहले खोद लिये गये थे लेकिन आज उन पट्टों को गलत करार दे दिया जाता है और उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये और उनकी बेदखली के आदेश अब तक जारी हैं, क्योंकि यह बताया गया है कि वे पट्टे नकली हैं। यही नहीं, राजस्थान सरकार ने भूमिहीनों को भूमि के एलॉटमेंट के नियम बनाये और सैकड़ों काश्तकारों को भूमि अलॉट हुई। भूमि अलॉट करने की कमेटी में पंचायतों के सरपंच, तहसील पंचायतों के सरपंच अथवा दूसरे इस तरह के लोग थे जो यह चाहते थे कि बेचारे भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई और सैकड़ो बीघा जमीन भूमिहीन किसानों में वित-

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

रित की गई। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह जमीन सन् ५७ से ६१ तक और आज तक उनके खाते नहीं हुई। खाते नहीं होने से किसान यह सोचता है कि जो कुछ जमीन उसको दी गई है वह रहेगी या नहीं ? क्योंकि पटवारी लोग इस तरह की चर्चाएं किया करते हैं कि जिनको एलॉटमेंट हुआ और टाइम पर उस जमीन का पैमूद नहीं, हुआ इसलिए वह जमीन का एलॉटमेंट कैन्सिल कर दिया जायगा, हालांकि बेचारे भूमिहीन किसानों ने उन जमीनों पर कुंए खोद लिए हैं और बरसों से उस पर काश्त कर रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों काश्तकार उस तहसील में हैं।

इसी तरह से भूमि-दान जो कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था उसमें कितनों ने ही भूमि-दान की। भूमि दान कर देने के बाद भूमिहीनों में वह जमीन बंटी और उसको बंटे हुए आज कई वर्ष हो गये, लेकिन देखने में आ रहा है कि वह जमीन भी अभी तक उनके खाते दर्ज नहीं हुई।'

और इसी तरह से जो राजस्थान सरकार ने नियम बनाये कि ४,५ या ३ साल से जो जिस जमीन पर कोबिज़ है वह खाते में उसके दर्ज होनी चाहिए, लेकिन देख यह रहे हैं कि जिन काश्तकारों का कब्जा उस जमीन पर बरसों से हैं, कुंए खोद लिए हैं और आज भी उनके नाम शिकमी दर्ज हैं जो कि कानूनन और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नया सरक्यूलर निकाला था उसके आदेशानुसार खातेदारी राइट्स उनको मिल जाने चाहिएं, लेकिन वे अब तक नहीं मिले हैं और जिन लोगों के नाम खतौनी में दर्ज है वे उनको बेदखल करने पर उतारू हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग बरसों से उस जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं और उन लोगों ने कुंए भी खोद लिए हैं, उनको जिनके नाम दर्ज है जमीन उन्होंने बेदखल किया है और लोगों को भी बेदखल करने वाले हैं। यह स्थिति मेरे ही घर में नहीं, बल्कि कई जगह है।

इसके मूल कारण पर हम जाते हैं कि खातेदारी राइट क्यों नहीं मिल पाते हैं या क्यों उसमें ढील रहती है; तो हम यह देखते हैं कि सचमुच में पटवारी लोग जिनका यह काम होता है उनके पास इतना काम होता है कि वे काम से गधे की तरह से लदे हुए हैं और बेचारों को पैसा मिलता है कम और काम है ज्यादा, काम ज्यादा होने के कारण न तो टाइम पर पैमूद कर पाते हैं और न अपना फर्ज अदा कर पाते हैं इस कारण इसमें देर होती है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसानों के हित में आपके द्वारा बनाये गये भूमि सुधार के कानूनों में ढिलाई आती है तो मैं समझता हूं पटवारी ज्यादा बढ़ाने चाहिये। यह मेरा कटौती प्रस्ताव इसलिये पेश किया गया है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय: हालां कि अच्छे से अच्छे कानून बनाये हैं लेकिन उनकी पाबन्दी नहीं होती है इसलिये इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव इसलिये है कि लगान वसूल नहीं हो रहा है। किसान जमीन पर काबिज हैं, आठ आठ साल से खेती करते हैं लेकिन उनको खातेदारी अधिकार नहीं होने से लगान उनसे वसूल नहीं हो

(श्री गणपतलाल वर्मा)

रहा है। लगान की वसूली नहीं होने से उन पर वजन पड़ेगा और सरकार को भी नुकसान होता है। इसलिये उनको खातेदारी अधिकार जल्दी से जल्दी देकर मेरी प्रार्थना को मद्दे नजर रखा जाय।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा सु.): सभापति महोदय, मेरे इस मांग पर कटौती प्रस्ताव तीन हैं। पहला प्रस्ताव है किसानों को खातेदारी राइट दिलाने पर बहस करने के बाबत।

तहसील सराड़ा और खेरवाड़ा में काश्तकारों को भूमि एलॉट तो हो जाती हैं लेकिन पटवारी लोग जो हैं उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। इस कारण से उनको खातेदारी राइट नहीं मिल रहे हैं। इन तहसीलों में एलॉटमेन्ट कमेटी बनी हुई है लेकिन कमेटी के पास काश्तकारों की रिपोर्ट सही लेने के लिये वे पटवारी के पास मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि वह पटवारी टालमटोल करता हुआ उनको कई दिन तक रगड़े में डाल देते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है। इस प्रकार काश्तकार एलॉटमेन्ट से भी कई वंचित रह जाते हैं। कइयों की दर्ख्वास्त दुरूस्त हो जाती है, भूमि उनको एलॉट हो जाती है लेकिन तहसीलदार इस बात पर तवज्जोह देते भी नहीं हैं। हर पंचायत में, अभी तक एक पंचायत सरकल में एक पटवारी हैं, कहीं कहीं पर दो सरकल्स में एक पटवारी है। दो सरकलवाला पटवारी काम नहीं कर पाता हो लेकिन जिसके पास एक सर्कल है वह तो काम करके दिखा सकता है। जमीन जो १५ साल से किसानों के कब्जे में पड़ी है, जब जागीरदारी थी उस समय से काश्तकार जमीन पर काबिज थे, वे काश्तकार आज तक १५ साल में उनकी जमीन खाते नहीं करा पाये हैं। इसी तरह से तहसीलदारों ने भी कोई तवज्जोह नहीं दी।

दूसरा, वह काश्तकार जिनको भूमि एलॉट हुई है उनको अब तक पटवारियों ने न तो वेकेट करके दी है, न अधिकार-पत्र दिये हैं और न उनका इन्द्राज खोला है। इस तरह से कई काश्तकारों को दखलबाजी दिया करते हैं। और दूसरा जो नाजायज कब्जा हासिल होता गया है उनसे लगान वसूल नहीं होता और ३, ४ साल बाद काश्तकार को बेदखल करके पेनल्टी ६ गुनी लगा दी जाती है। वैसे काश्तकार के पास खाने को और पीने को कुछ होता नहीं है इसलिये ६ गुना पेनल्टी दे नहीं पाता है तो उसको उस जमीन पर से बेदखल करके उसका कब्जा हटा दिया जाता है।

मेरा दूसरा कट मोशन है जागीर के मोजों में जो काश्तकार काश्त कर रहे हैं उनसे जमीन का कूंता लिया जाता था और कूंता वे लोग करते थे जो गांव में महाजन थे जिनको पटवारी मानते थे, उनका आज तक पटवारी का नाम चला आता है। वे लोग कूंता करके, वसूल करके जागीरदारों को दिया करते थे। आज उनके पास कोई रसीद नहीं, कोई नमूना नहीं, जिसे कि वे सरकार के पास पेश कर सकें। सरकार के पास पेश करें नमूना तो उसके आधार पर जमीन उनके खाते हो सकती है। क्योंकि उन महाजनों को,

(श्री देवीलाल मीणा)

जिनको पटवारी बना रखा था कूंता दिया उसकी रसीद उन्होंने काश्तकारों को दी नहीं, इस तरह से आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह की कठिनाइयों से उनका नाजायज कब्जा दर्ज कर लिया और आज तक इसी रगड़े में उनकी जमीनें पड़ी हुई हैं और उनको बेदखल किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जागीरी मोजे हैं उनका जागीर के वक्त में सर्वे हो चुका है, जिसको २० साल हो चुके हैं या २० साल से ऊपर हुए हैं उन मोजों में दुबारा सर्वे कराया जाय। इसलिये कराया जाय कि बाद में जो आबादी बढ़ी उसकी वजह से काश्तकारों ने अधिक जमीन पर कब्जा किया, वह आज नाजायज तरीके से एलॉटमेन्ट के तरीके से चला आ रहा है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि री सेटलमेन्ट कराया जाय।

दूसरे खातेदारी राइट हैं, मैं सभापति महोदय, सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, काश्तकारों को खातेदारी राइट नहीं मिलते हैं। हमारी सरकार ने कानून अच्छा बनाया है लेकिन काश्तकारों को खातेदारी राइट्स नहीं मिलते हैं। इस ओर ध्यान देकर खातेदारी राइट देने के लिये कोई सरल तरीका निकालना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव तो अब तक सकुंलेट हुए हैं, कुछ अभी नहीं आये इसलिये इन सब पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय का आप ध्यान रखने का कष्ट करेंगे।

श्री सभापति : १५ मिनट से अधिक आप नहीं बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोशिश करूंगा जल्दी करने की, लेकिन मुश्किल है।

सभापतिजी, सबसे पहले मैं सरकार की विकास कार्यों के लिये जो जमीन एक्वायर करने की नीति है उसके बारे में कहना चाहता हूं। हमारा यह अनुभव है कि सरकार जो इस सम्बन्ध में नीति अपना रही है वह किसानों के हितों के बिल्कुल विरुद्ध पड़ती है। एक तो इस दृष्टि से कि जो विकास कार्यों के लिये सरकार जमीन को लेना चाहती है उससे हमें ऐतराज नहीं है, खास तौर पर बढ़ती हुई शहरी आबादी में नये नये कार्यों के लिये कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। परन्तु उसमें, जमीन को सलेक्ट करने में ऐसी जमीन सलेक्ट की जाय कि किसानों को बेदखल न करना पड़े, बल्कि ऐसी भूमि जो खुद सरकार की है या इस प्रकार के लोगों की है जिनके पास और धन्धे हैं, वह जमीन ली जानी चाहिए। यह तरीका सरकार की ओर से नहीं अपनाया जाता।

दूसरे, सरकार की ओर से यह बात नीति के तौर पर तस्लीम नहीं की गई है कि किसानों की जमीन को एक्वायर करने के बाद जमीन के बदले में उनको कृषि की भूमि दी जायगी। आज जो किसान खेती करता है उसको और कोई धन्धा आता नहीं है। एकदम से आप उसकी जमीन एक्वायर कर लें और उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कहें कि हम इसकी कीमत आपको दे देंगे तो किसान अपने बेटे बेटी से भी ज्यादा प्यारी अपनी जमीन को समझता है; वह, जो पैसा उसके पास आया, उसको दूसरे कामों में, इधर उधर खर्च कर देता है और वह एक तरीके से बेरोजगार हो जाता है। हमारे अलवर शहर में जहां पर यह एक्वीजिशन काफी जोरों से हुआ है, बल्कि अगर मैं यह कहूं कि सरकार ने एक तरह से एक घोषणा की हुई है कि जितनी कृषि योग्य भूमि अलवर में है वह सब एक्वायर की जायगी। जो जमीन एक्वायर हो गई है, उसमें ज्यादातर मजदूर बन गये हैं, सिर पर पत्थर ढोनेवाले बन गये हैं किसान के बजाय। तो एक तो सरकार को नीति के तौर पर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि किसान को जमीन के बदले में जमीन अवश्य दी जायगी। हमारे यहां अलवर जिले की कांग्रेस कमेटी ने खुद अपना एक पर्चा निकाल कर छपा हुआ, घोषणा की कि किसी किसान को जमीन से नहीं निकाला जायगा, जब तक उसके बदले में जमीन न दे दी जाय। लेकिन बावजूद इसके वहां बाईस कुओं से किसानों को बेदखल कर दिया गया है। और पिछले दो सालों से वह जमीन वैसी ही पड़ी है और वे सारे के सारे किसान बुरी हालत में हैं। उनको कोई ऑल्टरनेट जमीन नहीं मिली है।

सभापतिजी, मैं समझता हूं कि यह सरकार की नीति में एक बुनियादी तौर से गलती है। जहां सरकार ने जागीरदारों के बड़े बड़े एस्टेट्स लेते वक्त उनको खुद काश्त जमीन देने का ऊसूली ख्याल रखा, यहां तक कि बड़ा भारी झगड़ा हुआ, भूस्वामियों का झगड़ा चला, परन्तु पंत साहब का फैसला चला और सरकार ने ऊसूलन स्वीकार किया कि अगर उस जगह पर जमीन मौजूद नहीं है तो एक नई कॉलोनी के अन्दर उनको खुद काश्त की जमीन दे दी जायगी। जरूरत है इस बात की कि जो किसान चार चार, पांच पांच, आठ आठ, दस दस बीघा जमीन में काश्त कर गुजारा कर रहे हैं और खास तौर पर जो कस्बों में छोटे छोटे किसान हैं, उनकी जमीन ले लें और गारन्टी न करें ऑल्टरनेटिव होल्डिंग की तो सिवाय आपके पास पुलिस और फौज है अपने उस कानून को लागू करने के लिए, इसके अलावा कोई सामाजिक न्याय इसके पीछे नहीं है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो आपने लैंड एक्वीजिशन के तहत कीमत किसानों को देना तय किया है, वह सीधी तौर पर आपकी क्लास-पॉलिसी को नंगे रूप में सामने रखती है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि अलवर शहर में जिस जमीन को लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी कीमत लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर ने पन्द्रह सौ एक बीघा की कूंती है और उसके अन्दर गवर्नमेंट प्रायोरिटी रेट्स में ७५ परसेन्ट बचता है। आप एक किसान को ७५० रुपये देते हैं जब कि वह किसान प्राइवेटली उस जमीन को बेचे तो आज तीन हजार, साढ़े है। इस तीन हजार रुपया पर बीघा उसकी जमीन बिकती तरह कितनी जमीन बिकती है जो किसान ने साढ़े तीन हजार, तीन हजार रुपये में लोगों को बेची है ? तो सीधी तौर से अपने कानून के बल पर, अपनी ताकत से किसान की जेब से पौने तीन हजार, तीन हजार रुपया निकाल कर अपने स्टेट के खजाने में डाल दिये, क्योंकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसान असंगठित हैं। आप खयाल कीजिये कि क्या राज्य के विकास के लिए या समाज में और विकास के लिए इस प्रकार की कुर्बानी करने के लिए क्या दूसरे तबकों को आप कह रहे हैं? आज आपके जयपुर शहर में कितने ही लोगों को मकान नहीं मिलते हैं। क्या आप तैयार हैं इस प्रकार के बड़े बड़े मकान मालिकों के मकान एक्वायर करके मामूली मामूली किराये पर लोगों को देने के लिए ? क्या आपने जयपुर के अन्दर राजधानी होने की वजह से जो इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई है जमीनों की, मकानों की, उनको राज्य के विकास के लिए, धन प्राप्त करने के लिए या किसी दृष्टिकोण से एक्वायर करके आप उसको जनता के काम में ला रहे हैं ? यहां तक कि इस प्रकार के राजाओं के जो महल खाली पड़े हैं जिनके जंगलों में ऐसे महल हैं जिनकी वे मरम्मत नहीं करा सकते उनको आप ऊंचे ऊंचे किराये दे रहे हैं। जो जनता के हमेशा से काम में आये उनके लिए हमारे अलवर के कलेक्टर महाराजा अलवर को किराया देते हैं और आप उनसे ऐसे तय करते हैं जैसे मालिक मकान से तय करते हैं। उनको दर्ख्वास्त देकर उनका किराया तय करते हैं। लेकिन किसानों से जमीन लेते वक्त आप किसान से पूछते नहीं हैं कि वह क्या कीमत लेना चाहता है और घर में बैठ कर अपने कानून की ताकत पर कीमत तय करके उस जमीन को ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह क्लीयर कट आपकी क्लास पॉलिसी है और एक क्लास की कीमत पर आप दूसरी क्लास को फायदा पहुंचा रहे हैं, एक क्लास को दबा कर दूसरी क्लास की जेब में आप पैसा पहुंचाना चाहते हैं। तो सभापतिजी, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं ऐसे इन्स्टान्सेज दे सकता हूं। अलवर में यह जो रोडवेज का ऑफिस बनाया है उसके बिल्कुल बराबर में, ऐडजेसेन्ट एक जमीन जागीरदार की है, जो लवे सड़क है, तो बीच की उस जमीन को एक्वायर न करके लिसोड़ा वाले कुंए की जमीन, मामूली किसानों की जमीन को एक्वायर कर लिया है। इसके साथ ही जो हाई स्कूल के लिए जमीन एक्वायर करने का सवाल है, उसके लिए आप दो, चार बीघा वाले कुए की जो जमीन है, उसको एक्वायर कर रहे हैं और जो जमीन खाली पड़ी है, या सरकार की है या जो ऐसे लोग हैं जो खुद काश्त नहीं करते हैं और आपकी महरबानी की वजह से जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, तो गर्ल्स हाई स्कूल के लिए, जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं एक्वायर करते है ? बल्कि उसको डिक्लेयर करके इलेक्शन के दिनों में रुकवाया गया है एक्वीविशन से । तो आप मामूली आदमियों की जमीन को एक्वायर कर रहे हैं और आपका जो कानून है वह कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुंचानेवाला कानून है और कुछ लोगों को नाजायज नुकसान आपकी नीति से पहुंच रहा है। क्या मैं समझ सकता हूं कि लैंड एक्वीविशन की पॉलिसी में यह बुनियादी कमी है जिससे उसे कीमत को बहुत नीचो रख रहे हैं ? जिन लोगों की जमीन एक्वायर कर रहे हैं साधारण आदमियों की, मैं समझता हूँ कि उनकी हालत को देख कर करनी चाहिए और आपको गारन्टी देनी चाहिए कि जहां तक हो सकता है जमीन जोतने वाले किसान को, खुदकाश्त करने वाले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसान को आपको गारन्टी करनी चाहिए कि आप ऑल्टरनेटिव होल्डिंग देंगे। अलवर के किसानों के लिए यह प्रश्न पैदा हुआ था कि महाराजा अलवर के इंटाराडा रूंद को एक्वायर कर लें और उसको प्लान्ड करके किसानों को उस पर बसा दिया जाय। लेकिन अफसोस है कि गरीब लोगों पर सरकार का कानून चल जाता है, सरकार की ताकत चल जाती है और चूंकि वे महाराजा साहब हैं इसलिए उस जमीन को एक्वायर करने का मामला खटाई में पड़ गया है। लेकिन किसान की जमीन पर पुलिस भेज कर कब्जा कर लिया है और आज वे बुरी हालत में पड़े हैं, उनको आप जमीन नहीं देते। आपके पास जमीन है, मोतीडूंगरी के इर्दगिर्द सरकार की जमीन है, जिस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्त करता है। उस पर पैदावार नहीं होती, जितना कि बीज आप उसमें डालते हैं; लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट अपनी आमदनी दिखाने में दिलचस्पी लेता है इसलिए उस जमीन को वह डिपार्टमेंट देने को तैयार नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि केटल ब्रीडिंग फार्म बनाना है अलवर में. उसके लिए आप सताईस किसानों की जमीन ले रहे हैं। जो बेचारे पांच, सात बीघा वाली जमीनों के लोग हैं, उनकी जमीन को आप ले रहे हैं। आपके डेयरी फार्म के ऑफिसर कहते हैं कि अगर हमको दस, पन्द्रह मील दूर पर जमीन मिल जाय तो वहां अपने मवेशियों के लिए चारा कर सकते हैं लेकिन आपका वन विभाग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी जमीन नहीं दें, आपके पास जो खाली जमीन पड़ी है वह जमीन नहीं दें, लेकिन अपनी ताकत के बल पर किसानों की जमीन लें। मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति चलने वाली नहीं है। किसान पहले आपको दस्तबस्ता हाथ जोड़ कर कहते हैं दर्ख्वास्तें देते हैं और दर्ख्वास्तें देकर कहते हैं कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस बात को स्वीकार नहीं किया तो मजबूर होकर किसानों को संगठित शक्ति से इस शक्ति का मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी लैंड एक्वीजिशन की यह जो नीति है उसमें आप बुनियादी तौर से परिवर्तन करिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रेट्स के बारे में जो आंकड़े आपने दिये वे आपने अपने स्टेटिक्स से प्रस्तुत किये हैं। उसमें हमने देखा कि राजस्थान की लैंड रेवेन्यू पर कैपिटा सबसे ऊंची है। अगर आप फाइनेन्शियल कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ कर आसपास की रियासतों से इसका मुकाबला करें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में मध्यप्रदेश, पंजाब आदि आसपास की रियासतों के मुकाबले में यहां की लैंड रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप उन रियासतों के आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहां की चाहे आप बारानी की रेट लें, चाहे चाही की रेट लें, वहां की ऊंची से ऊंची रेट्स भी हमारी रेट्स के मुकाबले में बहुत नीची हैं; जबकि वहां पर उपज ज्यादा होती है और हमारे यहां पर एकड़ इल्ड भी बहुत कम होती है। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि हमारे यहां जो रेट्स की दरें बहुत ऊंची हैं उनको नीची की जाए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिस समय राजस्थान का मर्जर हुआ था उस समय अलग अलग रियासतों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट्स थीं और अब जरूरत उन सब को समान स्तर पर लाने और सब का रीजनल समानीकरण करने की है। दूसरी जगह जहां पर रेट्स ऊंची हैं उनको नीचे लाने की जरूरत है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ और मेरी यह मांग है कि अगर आप एडहोक तरीके से सारे किसानों की लैंड रेवेन्यू जो ले रहे हैं, उसमें २५ प्रतिशत कट कर देंगे तो भी मध्यप्रदेश और पंजाब की लैंड रेट्स से हमारे यहां की लैंड रेट्स ज्यादा ही रहेंगी। इसलिये आप लैंड रेट्स को एसेस करने की कोशिश करें।

दूसरा, आपने कानून बना कर जागीरदारों और बिश्वेदारों को समाप्त किया। यह बहुत अच्छा किया। इस कानून के द्वारा आपने जागीरदारों और बिश्वेदारों की मुनाफाखोरी को खत्म करने की कोशिश की मगर इससे जो किसानोंको राहत मिलनी थी वह नहीं मिल सकी और जो फायदा किसानों को मिलने वाला था उसको आपने अपने में ले लिया और किसानों को मिलने से रोक दिया। आज उसको आप अपनी सरकार में ले रहे हैं। आपने हमारे इलाके में बिश्वेदारी एक्ट लागू किया। जब आपने बिश्वेदारी कानून लागू किया तो आपको सरकारी रेट से लैंड रेवेन्यू लेनी चाहिये थी। मगर आप लेते क्या हैं, आप लेते हैं डबल रेट्स और जहां शहर का मामला हो तो आप तीन गुना लगान वसूल करते हैं।

आपने किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है। किसानों को कोई जागीरदारों से या बिश्वेदारों से दुश्मनी नहीं थी। वे लोग, उन पर उन लोगों की मुनाफाखोरी से इकोनोमिक बर्डन पड़ता था, उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मगर आज आपकी जो पॉलिसी है वह उन किसानों पर उसी तरह से बैठे रहने की है जिस तरह से जागीरदार और बिश्वेदार उन पर बैठे थे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जहां जहां रेट्स सरकारी रेट्स से ज्यादा हैं उनको घटा कर कम की जावें और किसी भी जगह एसेसमेंट रेट्स से ज्यादा लगान किसी से भी नहीं लिया जाना चाहिये।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बावजूद १९५५ में आपके टीनेन्सी एक्ट पास हो जाने के आज तक उसकी दफा १५ को सही तरीके से इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसमें साफ है कि जो जून, १९५५ में जमीन पर काबिज था उसको खातेदारी राइट्स इस कानून के अन्तर्गत इपसो-फैक्टो मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड ने एक सरक्यूलर द्वारा रेवेन्यू ऑफिसरों को यह हिदायत भी की कि किसानों को, जिनका मामला इस सेक्शन में आता है, उनको बिना एप्लीकेशन्स के ही रेकॉर्ड्स ऑफ राइट को देख कर उनको खातेदार बना दिया जावे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि आज तक उन लोगों को सरकार की तरफ से खातेदार दर्ज नहीं किया है और कहा यह जाता है कि वे दर्खास्तें दें, वकील करें और फिर डिक्लेरेशन करावें और फिर खातेदार बनें! इस प्रकार जब-

Page No. 84

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दस्ती किसानों पर यह एक प्रकार का बर्डन डालने की कोशिश की जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपने अभी बताया कि सरकार भी बिश्वेदारों की तरह लैंड रेवेन्यू ले रही है; मैं यह जानना चाहूँगा कि आप इस पर कुछ ज्यादा प्रकाश डालें. तो अच्छी तरह समझ में आ सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो बिश्वेदारों के टीनेन्ट्स थे उनको रेन्ट केवल इसी वजह से डबल दी रेट्स देना पड़ता है कि वे बिश्वेदारों के टीनेन्ट्स थे। अब अपने बिश्वेदारी एबोलिशन के बाद उनसे उतना ही रेन्ट लिया जाना चाहिये जितना दूसरों से लिया जाता है, मगर उनसे डबल दी गवर्नमेंट रेट लिया जाता है, यह सही बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो गैर मौरूसी थे उनसे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको मौरुसी अधिकार तो आपने दे दिये हैं इस कानून की तहत और वे मौरूसी बन गये हैं, मगर उनको डबल रेट देनी पड़ती है। यह एक एनोमली सी ऐसी हो गई है कि जागीरदार के टीनेन्ट को तो एसेसमेंट रेट देने पड़ते हैं और वे लोग दे रहे हैं और बिश्वेदारों के टीनेन्ट्स हैं उनको डबल रेट देना पड़ता है। अमल में यह बात हो रही है ! जो किसान पहले सिंगल रेट से रेन्ट देता था उससे भी तहसील के लोगों ने जबर्दस्ती रेवेन्यू बढ़ा कर डबल किया है, क्योंकि उसके पास इन्दराजात नहीं मिलते कि वह सिंगल रेन्ट देता था।

श्री सभापति : आप अब दो मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे ५ मिनट दिये जावें, क्योंकि यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम है, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां अलवर और भरतपुर जिले की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तमाम राजस्थान से भिन्न हैं और विशेष तौर पर इवेक्यू लैन्ड की प्रोब्लम है वह भरतपुर, अलवर और गंगानगर में है। इनमें इतनी इनटेन्सिटी है कि ३३ परसेन्ट लैन्ड एवेक्यू लैन्ड बन गई। काश्तकार जो मुसलमान थे वे पाकिस्तान चले गये और डी. पीज़. आये। इस लैन्ड पर अब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का कन्ट्रोल है और लैंड प्रोविन्शियल सबजेक्ट होने के नाते इसका इम्पलमेन्टेशन राजस्थान सरकार के जरिये करा रहे हैं। इसलिये हमारा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस लैंड के बारे में यह कह कर पीछा छुड़ाना चाहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह केन्द्र के कब्जे में है, मैं समझता हूं कि यह एक टालनेवाली बात है। १५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनोमिक कन्डीशन को सुधारने की बात है। इसलिये इसकी सीरियसनेश को देखते हुए इसको सिरीयसली लिया जाना चाहिये।

दूसरा यह कि हमारी यह भी शिकायत है कि हमारे यहां इन दोनों जिलों में फ्यूडेलिज्म भी नहीं था, जितना दूसरे हिस्सों में था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहुत ज्यादा जागीरदार नहीं थे, इसलिये जहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जागीरदारों को मुआवजे के रूप में रकम देने के लिये एक्स-चेकर को ५० करोड़ रुपये तक बर्डन किया और हम भी उसके हिस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं तो सरकार को चाहिये कि हमारे यहां पर जो प्रोब्लम है उसको सोल्व किया जावे। यह ठीक है कि राजस्थान की सारी रियासतों को इससे फायदा हुआ। यह बहुत अच्छी बात है कि लैंड के संबन्ध में हमारे जिले में एक विशेष तरह की प्रोब्लम होने की वजह से स्टेट एक्सचेकर पर किसी तरह का बोझा नहीं आया। अब अगर इवेक्यू लैन्ड के कारण किसी तरह का बोझ आता है तो राजस्थान सरकार हमको पीछे छोड़ने की कोशिश करके यह कह कर टालना चाहती है कि इसका संबन्ध डाइरेक्टली सेन्ट्रल गवर्नमेंट से है क्योंकि वह इस लैन्ड को होल्ड करती है, तो यह न्यायसंगत बात नहीं है। मैं यह कहूँगा कि सरकार लैन्ड होल्डर है। दूसरे जो लैन्ड पर खेती करते हैं वे टीनेन्ट्स हैं। आप उनको खातेदार मान सकते हैं। आज आप गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लैन्ड होल्डर मान लें और टीनेन्ट्स को टीनेन्ट्स और टीनेन्ट्स को उनके राइट्स दे दें। मैं यह कहूँगा कि ये जो नये जागीरदार in the name of Central Government बन बैठे हैं यह secularism के खिलाफ है। इसके लिये आप कुछ न कुछ अवश्य करें, चाहे आपको पंतजी को आरबीट्रेटर बनाना पड़े, चाहे नेहरूजी को आरबीट्रेटर बनाना पड़े। लेकिन हमारे किसान यह चाहते हैं कि जो खातेदारी राइट्स किसानों को हैं वे उन्हें भी मिलें, जो मौरूसी बन गये हैं।

मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप खयाल करें कि एक हिन्दू की जमीन को ५० वर्षों से काश्त करता है और दूसरा दो वर्षों से एक मुसलमान की जमीन को काश्त करता है। दो साल वाले को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और ५० वर्ष काश्त करनेवाले से ४५०) रु० लिये जावेंगे। तो यह secularism के खिलाफ है और discrimination भी है। इसलिये यह कहना कि यह dispensation है, यह न्याय संगत नहीं है। जो डी. पीज. आकर वहां बस गये हैं वे आपकी रिआया हैं और आपसे समान अधिकार चाहते हैं। आपको यह चाहिये कि उनको पड़ी जमीन का अधिकार पाने में कोई कीमत नहीं देनी पड़े। इसके लिये प्रबन्ध करना चाहिये। इस नाते या तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर करिये। आपका लैंड रिफॉर्म कानून न्याय संगत होना चाहिये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे ४५०) रु० पर एकड़ लेकर उनको जमीन की मालिक बनाती है, यह उनसे नहीं लिये जाने चाहिये।

जैसे बिश्वेदारी एक्ट लागू होता है और वहां खातेदार रह जाता है और आप कहेंगे कि आप कम्पेन्सेशन ले लें तो यह कितनी इन-जस्ट बात है। तो इसलिये राज्य में डिस्पेन्सेशन करना चाहते हैं वहां आपकी लैंड पॉलिसी अनुकूल होनी चाहिये। अलवर-भरतपुर जिलों में रिफ्यूजीज पट्टेदारों के साथ जो हो रहा है वह इन तमाम लैंड पॉलिसीज के विपरीत किया जा रहा है। टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट को इन पर लागू कर दें तो सब ठीक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान सरकार इस समस्या पर विशेष ध्यान देकर

Page No. 86

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विचार करेगी और उन लोगों को उस जमीन को जोतते १५ साल हो गये हैं तो इनके मामले को भी उसी आधार पर तय करने की कोशिश करेगी, जिस आधार पर कि दूसरे लैंड रिफॉर्म्स तय हुए हैं। हमारी लैंड प्रोब्लेम्स को हल करने के लिये, पट्टेदारों को मुआवजा देने के लिये गवर्नमेंट को दो करोड़ रुपया खर्च करना पड़े तो कर देना चाहिये। ३७ हजार बीघा जमीन ऐसी है। प्री-पार्टीशन और ७० हजार बीघा जमीन ऐसी है जिसको लोग पार्टीशन के बाद से काश्त कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा करके इन लोगों को बुलाया कि आओ, तुम लोगों से सिर्फ रेंट रेट लेंगे और कोई मुनाफा नहीं लेंगे। ये लोग अपनी जमीनों को छोड़ कर यहां आये और इस जमीन को काश्त करना शुरू किया। अब वे गरीब न इधर के रहे और न उधर के रहे, इधर इन्हें बेदखल कर रहे हैं या इतना पैसा मांग रहे हैं जो बहुत ज्यादा होने से वे दे नहीं सकते और वे लोग टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी पुरानी जमीनों पर जा नहीं सकते।

तो हमारी मांग है कि जहां तक पट्टेदारों का सवाल है, जो प्री-पार्टीशन टीनेन्ट्स हैं उनको बगैर जमीनों की कीमतें लिये खातेदारी राइट्स दे दिये जावें और जो पार्टीशन के बाद के टीनेन्ट्स हैं उनको जितनी कीमत रिफ्यूजीज से ली गई उतनी ही कीमत लेकर खातेदारी राइट्स उनकी जमीनों के दे दिये जावें। जहां तक रिफ्यूजीज का सवाल है एक तबके का तो सवाल हल हो गया है, पर जो छोटे छोटे हैं उनकी बड़ी एनोमोलस कन्डीशन हो गई है। उनको साढ़े बाइस सौ रुपया १६ बीघा का देना पड़ेगा, जिनके कि क्लेम्स हैं और जिनके कोई क्लेम्स नहीं हैं उनको ४०० रुपया देना पड़ेगा। किसी का एक पैसे का भी क्लेम नहीं तो उसको १६ बीघा का ४०० रुपया देना पड़ेगा और किसी का ५०० रुपये का क्लेम है तो उसको १६ बीघा के साढ़े बाइस सौ रुपया देना पड़ेगा। वे बेचारे कहने को तैयार हैं कि हमारा ५०० रुपये का क्लेम बट्टे खाते में लिख दो और ४०० रुपये में जमीन दे दो, पर सरकार कहती है कि १६ बीघा जमीन का २,२५०) रुपया वसूल करेंगे। यह एनोमोलस पोजीशन है जिसको अगर सरकार एग्जामिन करायेगी तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनके क्लेम जमीन की कीमत से थोड़े पड़ते हैं।

सरकार इन सब बातों पर पूरा ध्यान दे कर इस समस्या को सुलझायेगी, यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह !

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय,

श्री सभापति : आपका नम्बर हो तभी बोलिये। श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, मैंने अपना कट मोशन भाखरा क्षेत्र में एक साला आरजी अलॉटमेंट नहीं करने से हजारों एकड़ जमीन पड़ी रहने से सरकार और किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इस बारे में रखा है। इसके साथ साथ ४ और कटमोशन्स रखे हैं। भाखरा क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, सरकार की ४,२२,६२२ एकड़ जमीन थी। वहां के पुराने

(श्री श्योपतसिंह)

काश्तकार जो सदियों से उस पर काश्त करते थे या कुछ जमीन बंजर थी। भाखरा की नहर आने के बाद १ लाख एकड़ जमीन सरकार ने रिर्जव कर ली. मेकेनाइज्ड फार्म, सूरतगढ़ के लिये, सैनिकों के लिये, जागीरदारों के लिये, लोहारों के लिये। इस तरह एक लाख एकड़ जमीन जो सबसे बढ़िया जमीन थी उसको सरकार ने रिजर्व कर लिया। इसके बाद ३,५३५ भूमिहीन किसानों को ४७ हजार बीघा जमीन दी। ५० हजार बीघा जमीन पिछले दो सालों में सरकार नीलाम कर चुकी है। यह नीलामी मई, १९६० में शुरू की और आजतक ५० हजार बीघा खरीफ जमीन नीलाम की गई।

इस कटमोशन के जरिये मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि नीलामी से बाकी रही १,२८,७६६ बीघा जमीन को इस इलाके के किसानों को ४ रुपया फी बीघा के हिसाब से साल दर साल दी जाती थी.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): भाखरा कमान्ड की ?

श्री श्योपतसिंह : जी हां, भाखरा कमांड की, जो आपको नीलाम करनी है।

मेरी शिकायत है कि इस भूमि को न नीलाम किया गया, न किसानों को दिया गया, न सरकार ने एक पैसा वसूल किया, हजारों बीघा जमीन भाखरा क्षेत्र में बिना पैदा, बिना सरकार को आमदनी दिये, बिना किसानों को मिले, वह जमीन बंजर पड़ी है। यह जिम्मेदारी किस पर आती है ? वहां का किसान जमीन के लिये मारा मारा फिरता है.......

(३.४८ म० प०)

(श्री केसरीसिंह (पाली), सभापति, पदासीन)

सरकार से मिन्नतें करता है और कहता है कि मुझे जमीन दो। इसके लिये उन लोगों ने पंचायत समितियों के जरिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दरख्वास्तें दीं और बहुत कोशिश की कि उन्हें ये जमीनें काश्त के लिए दी जायं। सरकार को भी गुजारिश की कि नीलाम करना है तो नीलाम करिये, लेकिन जैसे पिछले सालों में किसानों को देते रहे उसी तरह दे दीजिये। ४) रुपया फी बीघा के हिसाब से हमेशा से देते आये हैं उसी तरह हमें दे दीजिये। जिस वक्त आपको इसे नीलाम करना है कर दीजिये, लेकिन इस तरह जमीन को पड़ा रखेंगे तो इससे तो सरकार को नुकसान होगा। हम लोग इस पर कब्जा नहीं करेंगे। हमने सरकार के अलावा बड़े २ अफसरों और भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर से भी अर्ज किया कि आप जिस वक्त जमीनें नीलाम करें, जो किसान एक साल की फसल के लिए मांग रहा है, फसल के बाद नीलाम कर दें, तो जो आदमी नीलाम में लेगा उसको उस समय कब्जा दे देंगे। यह उनसे किसानों की ओर से कहा गया था। लेकिन क्या पता किस नीयत से माननीय सभापति महोदय, उनको नहीं दिया गया। और इससे लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को हुआ। उन किसानों को जमीन नहीं मिली। जहां सरकार यह नारा देती है कि 'अधिक अन्न उपजाओ', विदेशों से अनाज मंगाते हैं वहां उस इलाके की जमीन को बिना बोए ही पड़े रखा और उन किसानों को नहीं दिया गया।

(श्री श्योपतसिंह)

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह है कि भाखरा क्षेत्र के कुछ आर्जी काश्तकार और भूमिहीन किसान हैं उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है, जिनको जमीन दी गई उनकी भी जमीन खाली हो रही है। संवत् ८५ से पहले के काश्तकारों के लिए सरकारने एक कानून बनाया था और कहा था कि उनको पचास बीघा जमीन सरकार देगी और पुराने काश्तकार थे जिनके पास ज्यादा जमीन थी उनकी सरकार ने छीन ली । यह बात सही है कि हमने इसका स्वागत किया। संवत् ८५ से उनको मोल दी और आज यह हालत है उन जमीनों की कि वे काश्तकार किश्तें नहीं भर सकते। उन भूमिहीनों और उन किसानों के सामने एक बड़ी भारी विकट समस्या है। पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जितनी जमीनें हैं, पुराने काश्तकार हैं और आरजी काश्तकार हैं, सदियों से जिनका उन जमीनों पर कब्जा है, जमीदारों ने नहीं दी, मुख्य मंत्रीजी ने आंकड़े दिये हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सदन को यह जानकारी देने से वंचित रखा गया है और मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि उन भूमिहीन किसानों को वह जमीन कीमत पर दी गई थी, आरजी काश्तकारों को वह जमीन कीमत पर दी गई थी। २००)रु० लाइट लूम का है, इस तरह से सैंड लूम और नाली सेकिन्ड और नाली फर्स्ट । इस प्रकार से चार तरह की जमीनें हैं। भूमिहीन किसानों को निकम्मी से निकम्मी जमीनें दी गई। आरजी काश्तकारों को लाइट लूम जमीनें दी गई । लाइट फर्स्ट और लाइट सेकिन्ड एक भी किसान को नहीं मिली है। आंकड़े तो सरकार पेश कर देती है कि इतने एकड़ जमीन सरकार ने किसानों को दी, भूमिहीनों को दी। लाखों बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिये, यह तो कह देती है। लेकिन समाजवादी सरकार गरीबों के लिए नारे तो खूब लगाती है, हरिजनों की परवरिश का ऐलान करती है लेकिन उस जगह की हालत यह है कि उन भूमिहीन किसानों को, हरिजनों को २००),२८०),४८०)रु० फी बीघा के हिसाब से उनको जमीनें दी है । मैं इस सवाल को बाद में लूंगा। हजारों किसानों के सामने जो मसला है वह यह है कि सरकार ने उनको जमीने दी है और उन जमीनों की कीमत सरकार को १५ किश्तों में वसूल करना है। जो जमीन उनको कमान्ड मान कर देते हैं उन जमीनों में अब तक भी पानी नहीं लगा है और वे आरजी किसान और भूमिहीन किसान जिनको १५, १५ बीघा जमीन दी है किश्तें भरने में कतई असमर्थ हैं, उनसे भी किश्तें वसूल हो रही हैं और....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरे पांच कट मोशन्स हैं।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये।

श्री श्योपतसिंह : इससे अधिक संक्षेप में क्या कहूँ ? बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है।

श्री सभापति : तीन-चार मिनट में ही कह लीजिये।

श्री श्योपतसिंह : तो उनके सामने बड़ी भारी विकट समस्या है। सरकार कहती है कि किश्त लाओ और वह भी नहरी काश्त की। उस निकम्मी जमीन में से लायें क्या जिस जमीन में पानी ही नहीं लगा है ? माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायें कि उन भूमिहीन और आरजी काश्तकारों का क्या फैसला करेंगे ? मुझे उम्मीद है और मैं आशा लेकर खड़ा हुआ हूँ कि मुख्य मंत्रीजी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस पर हमारे भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर चले थे और गरीब किसानों के साथ बड़े रहम और हमदर्दी का व्यवहार करेंगे। मेरी एक अपील है कि उन लोगों से जो किश्तें वसूल की जा रही हैं तो सिर्फ उन्हीं आदमियों से ली जावें जिनकी जमीनों में पानी लग चुका है, बाकी से नहीं ली जावें। उस गरीब किसान को नोटिस दिया जा रहा है किश्त नहीं भरता है उसके लिए। दो बार, चार बार नोटिस दिये जा चुके हैं। बड़ी मुसीबत है उनके सामने। वह कहता है कि मेरी जमीन में पानी ही नहीं लगा। नहर की किश्त लेते हैं और वह मैं नहीं दे सकता, पानी नहीं लगेगा तब तक नहीं दे सकता। उन हालतों पर मुख्य मंत्रीजी जरा ध्यान देंगे।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मेरा एक कट मोशन और है। सन् १९५५-५६ में राजस्थान सरकार ने कुछ लोगों को 'ग्रो मोर फूड' केम्पेन के तहत जमीनें दी थी और ऐसे लोगों को दी थी जिनके कभी बाप-दादाओं ने भी हल पर हाथ नहीं रखा और न कभी खेत देखा। खैर। उनको खातेदारी हकूक उस समय नहीं दिये गये थे लेकिन हनुमानगढ के पास एक बहुत बड़ी कम्पनी है श्यामसुन्दर एन्ड को-जिसने वे सारी की सारी जमीनें ली, कोई भाई उसका बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है और कोई वकालत करता है, खेती से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज तक उन्होंने झूठी गिरदावरियां करवा करके कब्जा रखा। १५० बीघा जमीन दी गई 'ग्रो मोर फूड' के तहत, किसी को खातेदारी हकूक नहीं मिले। सिर्फ ६ मुरब्बा जिसकी १॥ लाख रुपया कीमत होती है, सरकारी अफसरों के साथ सांठगांठ करके खातेदारी हकूक हासिल किये। मैं इस उम्मीद के साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि वे इस ओर जरूर ध्यान देंगे और एक अच्छी परम्परा कायम करेंगे।

इसके साथ साथ मेरा एक कटौती प्रस्ताव और रह गया है तबादलों के बारे में। यह तो एक ऐसा मामला है....

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहिये।

श्री श्योपतसिंह : एक ही रह गया है।

यह तो ऐसा मामला है कि जो भाखरा क्षेत्र की बढिया बढिया जमीनें थी, उस इलाके के बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े नेताओं ने और भूतपूर्व नेताओं ने जो आज इस असेम्बली में नहीं हैं, उनके रिश्तेदारों ने साजबाज करके हमारे भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर से उस इलाके को उन बढिया २ जमीनों की, जहां किसान उनकी कीमत दे रहा था उनको वे नहीं मिली, कीमत में मांगते थे उनको वे जमीनें नहीं दी गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चुरु से या पचास, पचास मील से दूर लोगों को सौ, सौ, पचास, पचास बीघा

(श्री श्योपतसिंह)

जमीनें, लाइट जमीनें उनको दे दी। मैं इस प्रकार की परम्परा नहीं चाहता कि यहां सदन में किसी का नाम बताऊं। राजस्व मन्त्रीजी यदि पूछेंगे तो मैं लिस्ट देने के लिये तैयार हूं कि किन किन लोगों ने उस इलाके में हजारों बीघा जमीन जो बढ़िया थी ले ली और सरकार को नुकसान पहुंचाया और साजबाज करके उनको ले लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इसके तबादले का जहां तक सवाल है हनुमानगढ़ जंक्शन के इर्दगिर्द आसपास के गांवों से कुछ जमीनें गवर्नमेंट ने मंडी और बागात के लिए एक्वायर की। हनुमानगढ जंक्शन के सामने मंडी पड़ रही है वहां जो आसपास में गांव पड़ते हैं उन किसानों की जमीनें सरकार ने एक्वायर कर ली और आज उनको पन्द्रह, पन्द्रह, बीस, बीस मील दूर फैंका जा रहा है, जब कि उस इलाके के पास, जंक्शन के पास बढ़िया २ जमीनें पड़ी थी। इस सरकार ने उनको नीलाम किया। मगर गरीब किसान को मंडी की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। वहां के लोगों ने मनौती की, प्रार्थना की कि हमें किसी दूसरे नजदीक गांव में जमीन दें। बढ़िया जमीन जो सदियों से उस जमीन पर बैठे थे उनको तो बीस, बीस मील दूर उठा कर फैंका गया और इसके साथ साथ वहां के कुछ लोग हैं जो समाजवादी नारा लगाने वाले हैं, जो सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, वह समाजवाद दरअसल किसके लिये है; उस किसान के लिये, उस गरीब के लिये, मजदूरी और मेहनत करनेवाले के लिये नहीं; बल्कि चन्द लोगों के लिये ही सुन्दर सपना है।

हनुमानगढ जंक्शन के पास बागात के लिये कुछ जमीन एक्वायर की गई और इस लिहाज से एक्वायर की गई कि सरकार बागात लगायेगी और किसानों को देगी। इस तरह से किसानों से वह जमीन छुड़ाई गई और उनको जमीन वहां देते हैं जो फील्ड एरिया में आती है। इस गरज़ से किसानों से जमीन ली थी कि यहां सरकार बागात लगायेगी। लेकिन उस जमीन को सरकार नीलाम करती हैं। मगर आज उस भूमि के मालिक कौन हैं? कोई वकील है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, बड़े बड़े चौधरी हैं जिनके बाप-दादाओं ने कभी जमीन पर काश्त नहीं की है। इस तरह के मालियों को, बागवानों को वह जमीन दे रहे हैं। ये सब बातें मैंने अपने कट मोशन के जरिये सदन के सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्य मन्त्री महोदय जो बातें मैंने ईमानदारी से रखी हैं उनका जरूर जवाब देंगे।

(४.० म. प.)

श्री घासीराम यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह यह है कि लैंड रेकॉर्ड्स में जो इन्द्राज होते हैं उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे सारे राजस्थान का पता नहीं, अलवर और भरतपुर जिले में जो पटवारी कर देता है उससे लोगों को तकलीफ होती है और उसको वापिस ठीक कराने में बहुत समय लगता है। जब से इजेक्टमेन्ट की पाबन्दी हो गई, टीनेन्सी एक्ट लागू हो गया

(श्री घासीराम यादव)

तो उसमें जो इन्द्राज किसी का होता है, पटवारी जिस किसी के नाम से करता है उसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। पटवारी किसी का नाम दर्ज कर देता है किसी का नहीं । गांव में रहने वाला किसान इस तरह की हरकतों से बहुत परेशानी में है। गांव में पटवारी एक प्रकार से राजा बना हुआ है। पटवारी चाहे तो गांव वालों पर सौ मुकदमे बना सकता है और खसरा टीप को शुद्ध कराने में कई साल लग जाते हैं। मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं। अगर पटवारी गलत टीप कर दे उसका सूट हो, दावा हो, एस० डी० ओ० को अपील हो उसके बाद असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास जाय, यह तरीका गलत है।

मान लीजिये संवत् २०१२ या १६५६ में खसरा टीप हुई उसको यदि ठीक कराना हो तो उसमें पांच, छ साल लग जाते हैं। आज इस तरह के मुकदमे रेवेन्यू बोर्ड में मौजूद हैं छ-छ साल पहले के, जिनका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, यह बात नहीं कि ऊपर के ऑफिसरों को ऑर्डर्स न हों कि वे इसको ठीक न करें। उनको अधिकार है, नायब तहसीलदार, एस० डी० ओ० इनको आज्ञा है कि वे पांच हजार, छः हजार नम्बर तक इन्सपेक्शन करें। लेकिन होता क्या है कि वे मोटरों में उनको देख कर आ जाते हैं। जो लोग दरख्वास्त दें कि पटवारी गलती करता है उनको तहसीलदार खुद जाकर देख कर आये। एस० डी० ओ० को दरख्वास्त दी जाय तो वह खुद देख कर आये । इसके अलावा यह भी गलत है कि दो साल तक मुकदमेबाजी होती रहे और खसरा टीप शुद्ध न हो। मेरे खयाल से एक महीने के अन्दर अन्दर खसरा टीप ठीक हो जानी चाहिये। आखिर पटवारी करता है, यह हो नहीं सकता कि इसके लिये महीने, दो महीने की मियाद रखनी चाहिये। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तहसीलदार पन्द्रह दिन में देख लें। आज देखने में यह यह आया है कि इससे गांवों में पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं कर सकता क्योंकि खसरा टीप उसके हाथ में है। खसरा टीप में यदि कोई पटवारी गड़बड़ करता है तो दंड मिलना चाहिये। अगर साबित हो जाय तो तहसीलदार और एस० डी० ओ० इन्क्वायरी करके उसको सजा दें। लेकिन आज तक एक भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला जिसमें किसी पटवारी को इसलिये मोअत्तिल किया गया हो कि उसने जानबूझ कर गलत खसरा टीप कर दी। ऐसे केसेज हैं जिनमें पटवारियों ने जानबूझ कर लोगों को तंग करने के लिये उनके घरों को बरबाद कर दिया। सरकार समझती होगी कि यह छोटी सी बात है, लेकिन यह तो किसान के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। इससे किसानों को बड़ा कष्ट है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरा टीप के इन्द्राजात मौके पर शुद्ध करवावें एक्जीक्युटिव ऑर्डर्स के तहत और इसमें भी कुछ देरी होती है तो उसको बन्द करवाना चाहिये कानून के जरिये; यही मेरा निवेदन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कट मोशन सदन में प्रस्तुत किये हैं उनमें से एक मुख्य पक्की अलॉटमेन्ट भूमि की कीमत रखी गई गंगानगर जिले में वह बहुत अधिक है इस सम्बन्ध में है। दूसरा है सरकार की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जमीन अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में जनरल पॉलिसी के संबन्ध में और तीसरा है सीलिंग कानून को लागू न करने के कारण पेचीदगियां पेश हो रही हैं, इस संबन्ध में।

सरकार द्वारा भूमि अलॉटमेन्ट नीति का जहां तक संबन्ध है उस नीति से जो कि गंगानगर जिले में अलॉटमेन्ट की समस्या है वह दूसरे जिलों की समस्याओं से भिन्न है; क्योंकि गंगानगर जिले में जो सेटलमेन्ट चला आ रहा है वह बहुत पुराना है, वह गंग केनाल कॉलोनी का सेटलमेंन्ट चला आ रहा है तीस साल से। राजस्थान केनाल, भाखरा केनाल के अन्दर भी कुछ इस रूप में, कुछ नये रूप में लैन्ड अलॉटमेन्ट के कानून लागू किये गये हैं।

सन् १६४६ से पहले जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, रियासतों के समय में सरकार की जमीन जो पड़ी रहती थी उसको उस इलाके के रसूकदार आदमी ले लिया करते थे और काश्त कर लिया करते थे। यही हालत केनाल क्षेत्र के अन्दर भी चली आ रही थी। सन् १६४६ के बाद में इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ, कुछ नियम बने और धरती का अलॉटमेन्ट आरम्भ हुआ। टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद इन नियमों में सुधार हुआ और नियम पहले पहल बने कि यह जो धरती सरकार की है वह किस प्रकार से दी जाय। पहली बार विचार आया कि यह धरती है वह भूमिहीन काश्तकारों को दी जाय; सिर्फ टेम्परेरी अलॉटमेन्ट के आधार पर इसका वितरण आरम्भ हुआ। सभापति महोदय, मैं सदन के सामने अर्ज कर दूं सन् १६५६-५७ के बाद सरकार ने पहले पहल विचार किया कि इस धरती का परमानेन्ट अलॉटमेन्ट कर दिया जाय। यह धरती सालद र साल अलॉट होती आयी। इस धरती का उपयोग कांग्रेसी सरकार ने लगातार इलेक्शन के अन्दर किया और गंगानगर में विशेष रूप से किया। जब इलेक्शन्स समीप आये तो उस समय कमेटियां बैठाई गई और उसके सन् ५६ में और उसके बाद परमानेन्ट अलॉटमेन्ट का खुला उपयोग कांग्रेस सरकार ने वोट प्राप्त करने के लिये किया। परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के संबन्ध में तीन दफा घोषणा की गई। हजारों और लाखों की तादाद में दर्ख्वास्तें आयीं लेकिन उन दर्ख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अभी तक परमानेन्ट अलॉटमेन्ट की कार्यवाही चल रही है, गंग केनाल क्षेत्र के अन्दर अभी यह समाप्त नहीं हुआ। बहुत सी तहसीलें ऐसी पड़ी हैं जिनमें परमानेन्ट अलॉटमेन्ट का कार्य अभी आरम्भ ही नहीं हुआ और हुआ भी तो बहुत थोड़ा हुआ है और बहुत अधिक जमीन खाली पड़ी हुई है।

मैं अर्ज करूं अलॉटमेन्ट के उनके तरीके इतने कठिन हैं कि साधारण किसान को इस अलॉटमेन्ट के करीब तक पहुंचने में बड़ी भारी कठिनाई होती है।

गिरदावरियां और मालशुमारियां प्राप्त करने के लिये किसान को पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार के पास जाना पड़ता है और वहां किसान अच्छी तरह से नोंचा-खसोटा जाता है और इस बुरी तरह से नोंचा-खसोटा जाता है कि उसके बदन पर मांस नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रहता बाकी और तब वह अलॉटमेन्ट के करीब पहुंचता है। इसके लिये हमारी यह समान्य सी, छोटी सी मांग कि अलॉटमेन्ट के समय सारा रेकॉर्ड टाइम पर मेज पर रखा जावे। पर यह छोटी सी मांग भी मंजूर नहीं की जाती। फिर नियम के रूप में यह चला जाता है कि जब अलॉटमेन्ट के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं तो गिरदावरी पहले प्राप्त करनी पड़ती है और यही कारण है कि कोई भी पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर गंगानगर में जाने के लिये, अपना ट्रान्सफर वहां कराने के लिये तड़पते हैं। इसमें पैसा बरसता है। किसान का रक्त और मांस इसी वक्त पर मजे से नोचा जा सकता है। यह वे अच्छी तरह जानते हैं और इस रक्त और मांस से अपने अपने घर इसी वक्त भरे जा सकते हैं, यह वे जानते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मौके पर यही वह मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है और इसके कारण कोई भी रेवेन्यू-अधिकारी गंगानगर में जाने के लिए।

वेन्टो है। फिर इस अलॉटमेन्ट के लिये नियम है कि जून, १९४७ से लगातार जिसकी गिरदावरी चली आ रही है वह २५ बीघा जमीन के पाने का हकदार है। मालशुमारी का सम्बन्ध हरिजनों से है और नॉन हरिजनों को गिरदावरी जरूरी है। जिनकी गिरदावरी ५२ से चली आ रही है उनको १२।। बीघा सिंचित और २५ बीघा बारानी जमीन का हकदार समझा जाता है और ४७ से चले आने वाले को २५ बीघा और ५० बीघा बरानी का हक है। अब ४७ से आज तक बीच में एक बार भी गिरदावरी टूट गई तो वह सेकन्ड लिस्ट में आ जाता है। अगर ५२ से आज तक एक भी वर्ष की गिरदावरी या मालशुमारी दे नहीं सकता तो उस रूप में वह १२।। बीघा का हकदार नहीं रहता। मैं अर्ज करूं कि ४६ में टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना था। उससे इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा हुई कि जमींदार ने काबिज किसान और मजदूर के नाम गिरदावरी दर्ज नहीं होने दी। दर्ज खुद अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम से कराली। अभी जैसे कांग्रेसी बैंचों से एक साथी ने कहा कि गिरदावरी करेक्शन का ढंग इतना पेचीदा है कि गरीब के लिये तो सपने में भी यह विचार नहीं आ सकता कि वह गिरदावरी में करेक्शन करा ले, अगर उसकी गिरदावरी गलत दर्ज हो गई है तो।

हजारों भूमिहीन किसान जो वास्तव में हकदार थे, सन् ३० से लगातार काश्तकार थे, आज भी इसी हालत में हैं। वे गिरदावरी हासिल नहीं कर सके। जागीरदारों ने उनको कभी गिरदावरी हासिल नहीं करने दी। मुख्य मन्त्री महोदय ने भाषण के दौरान में यह कहा कि गंगानगर में इतने किसानों को धरती अलॉट कर दी है। मैं उनके इस कथन को चुनौती देता हूँ। आप एक एन्क्वायरी कमेटी बैठाइये जो यह जांच करे कि गंगानगर क्षेत्र की जमीन का अलॉटमेंट किस तरह से किन किन को हुआ है। मैं यह सिद्ध करके बता दूंगा कि बड़े बड़े चौधरी, सरदार और नेता लोग हैं उनको वह धरती अलॉट हुई है, जो पचास-पचास, साठ-साठ मुरब्बा धरती दबाये बैठे हैं और वह भी ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर कि जिनका जन्म भी इस संसार में कभी नहीं हुआ जो बिल्कुल फरजी हैं। वे आज उस धरती पर काश्त कर रहे हैं। हजारों दरख्वास्तें और अर्जियां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किसानों की, गरीब किसानों की आई पर जो रेवेन्यू अधिकारी थे वे तो सोने की मुर्गी को अण्डे के लालच में चुग्गा चुगाने में मशगूल रहे, पर किसान की, गरीब किसान की नहीं सुनी, उस किसान की विपत्ति को दूर नहीं किया।

इसके अतिरिक्त मैं और अर्ज करूं कि राजस्थान केनाल की भूमि का अलॉटमेंट हुआ इसके सम्बन्ध में। ८० लाख बीघा क्षेत्र राजस्थान केनाल का बनने जा रहा है, कुछ लिफ्ट इर्रिगेशन, कुछ डाइरेक्ट इर्रिगेशन और अगर लाइन्ड केनाल बनाएं तो हजारों बीघा जमीन और जुड़ जावे। इस राजस्थान केनाल क्षेत्र में सूरतगढ़ का मैकेनाइज्ड फार्म बना हुआ है, जैतसर का फार्म बनने की बात चल रही है जो चालीस हजार एकड़ में होगा। राजस्थान केनाल क्षेत्र में मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में फिगर दिये गए हैं वहां ८००।९०० भूमिहीन किसान और मौरूसी किसान बसे हैं। मैं बताऊं वे फिगर वास्तविकता से कतई दूर हैं, बहुत दूर हैं। राजस्थान केनाल का जो क्षेत्र रायसिंहनगर, अनूपगढ़ तहसीलों में आता है उनमें मंगलगढ़, निजामपुर और इसी तरह के अन्य २५, ३०, ४० मौजे हैं जो १५, २०, ४० सालों से चले आ रहे हैं; जिनमें बारह-बारह, तेरह-तेरह और चौदह-चौदह साल के पुराने काश्तकार बैठे हुए हैं और काफी संख्या में बैठे हैं। मैं अर्ज करूं वहां एक साल से अलॉटमेंट बन्द है, पर तीन साल पहले दो साल के लिये दिया गया था और इससे पहले राजस्थान केनाल की धरती साल दर साल दी जाती थी। पर अब उस धरती को देना बन्द कर दिया है। बहुत लम्बी चौड़ी वह धरती है, लाखों बीघा फैली हुई है। रायसिंहनगर की धरती लाखों बीघों में और अनूपगढ़ की तहसील का क्षेत्रफल इतना है जितना सारा गंगानगर जिले का क्षेत्रफल है।

श्री सभापति : Three minutes more, please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच मिनिट्स, सर।

श्री सभापति : As short as you can.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज यह समस्या अहम है। दो लाख बीघा धरती का प्रश्न है और लाखों मन अनाज पैदा करने का प्रश्न है।

इस क्षेत्र में सरकार की जो नीति है वह स्पष्ट तौर से किसान को धरती जोतने से निरुत्साहित करने की है। लाखों बीघा धरती वहां पड़ी है, पर इसका अलॉटमेंट इतना कठिन है कि किसान के लिये उसे प्राप्त करना लगभग असम्भव है। इस अलॉटमेंट का हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में ऑफिस है। जो आसपास के खेती योग्य इलाके से साठ सत्तर और अस्सी मील दूर है वहां से, जहां धरती काश्त करने की और अलॉट होने की है। साल के साल हजारों की तादाद में किसान को सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जाना पड़ता है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अलॉटमेंट कितना कठिन और खर्चीला है और इसके पीछे किस तरह का भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि उन मुकामों पर ही तहसीलदार, नायब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तहसीलदार आदि जावें और अलॉट कर दें। अब जिनको वह धरती अलॉट हुई है उसकी दशा यह है कि वह जमीन बारानी है। राजस्थान केनाल का पानी पहुंचा नहीं है वहां और फिर वह अलॉटमेंट भी इन अधिकारियों की दया पर निर्भर है और खास कर पटवारी की दया पर। अगर ऐसी धरती में भी किसी ने हल नहीं जोता तो उसका अलॉटमेंट काट दिया जाता है। दरअसल पटवारी पैसा मांगता है-अगर उसका पैसा पहुंचता रहता है उसके पास तो ठीक, नहीं तो अलॉटमेंट तुड़वा दिया जाता है। इस तरह सारी आबादी वहां के गांवों की उजड़ रही है और सरकार देख रही है। वह चाहती भी है कि वह बस्ती उजड़ जावे ताकि वहां जैतसर फार्म बने, सरकार उन गांवों को उजाड़ कर जैतसर फार्म बनाना चाहती है वहां पर।

आप मैकेनाइज्ड फार्म बनाइये, मैं इसकी तैयारी में विश्वास करता हूं। इससे निश्चित रूप से उपज बढ़ेगी, यह मैं मानता हूं। इनसे आप सारे प्रदेश को और सारे राष्ट्र को अच्छा बीज दे सकेंगे, अनाज दे सकेंगे। पर इसके लिये मेरा आपको एक सुझाव है, आप इसे बोर्डर पर बनाइये ताकि यह रक्षक के रूप में भी कार्य कर सके। इसके पीछे की धरती में आप कोऑपरेटिव के जरिये काश्त कराइये और उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा रखिये। पर आप इस मैकेनाइज्ड फार्म को अनूपगढ़ की बोर्डर पर बनाइये तो इसकी सूरतगढ़ फार्म से हद मिलेगी और रक्षा के रूप में यह मैकेनाइज्ड फार्म भी सुन्दर बन सकेगा।

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करूं कि इन क्षेत्रों में डबल अलॉटमेंट के भी मामले हैं। बहुत सी जगह कर्मचारियों की कारस्तानी के कारण डबल अलॉटमेंट हुए हैं और इससे ऐसी स्थिति हुई है कि मारपीट हुई है, कत्ल हुए हैं। टेल है कि बारह-तेरह साल से जो वहां काबिज थे उनकी धरती फौजियों को अलॉट कर दी; फौजी कब्जा लेने गये तो वहां झगड़े हो गये, कत्ल हुए, मर्डर हुए लड़ाइयां हुई। नहर पर गरीब सांसी लोग जो बसे थे वहां पर सरकार ने जागीरदारों को जमीन अलॉट कर दी, कर्मचारियों ने अपना रोल अदा किया। उन्होंने जागीरदारों को कबाड़ियों से लड़ाया, बन्दूकें चली, गोलियां चली, जिसमें पुलिस ने भी हिस्सा लिया। पुलिस के थानेदार ने स्वयं ने गोलियां चलाई, जिसमें कई मारे गये, कई जख्मी हुए।

इस प्रकार के डबल अलॉटमेन्ट की दुर्घटनायें बहुत सारी उस क्षेत्र में हुई हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : Cut it short.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Two minutes sir. मैं अर्ज करूं कि यह परमानेन्ट अलॉटमेंट जब नहीं हो जाते तो एक तरीका वहां पर रखा गया है कि धरती को नीलाम कर दिया जाये। राजपुरावाला एक गांव है। वहां पर तहसीलदार गये। उन्होंने धरती नीलाम करनी चाही। गांव के लोगों ने कहा कि हम धरती नहीं लेना चाहते और धरती हमें सरकारी रेट पर दे दो। गांवों ने मिल कर इसको मान लिया उनमें एका था, इस कारण कोई भी बोली देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन तहसील-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दार ने एक बड़ी रकम बोली के नाम पर लगा दी । उसके लिए अपील की गई । कलक्टर ने ऑर्डर जारी किया कि बोली की रकम को स्टे कर दिया जावे लेकिन तहसीलदार की इतनी जुर्रत थी कि उसने अपनी पॉवर को कलेक्टर से भी ज्यादा समझ लिया और सरकारी बोली की वसूली की । इस तरह की चीज उस जगह पर हुई ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अब तो अन्तिम लाइन है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो अंत काल आ चुका है आप निश्चिन्त रहें । अगर किसानों की यही हालत रही तो मैं सूचित करूंगा कि वह दिन दूर नहीं है जब इस सरकार का अंत काल आ जायेगा ।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, इन कटमोशन्स के जरिये मुझे यह मौका मिला है कि मैं गंग केनाल के एरिया के काश्तकारों के बारे में और शरणार्थियों के बारे में, जो अधिकांश उन्हें दिक्कतें हैं हमारे लैण्ड रिफार्म्स से, अलॉटमेन्ट के कायदे-कानूनों से वे मैं आपके सामने अर्ज करूं । मुझे इस बात को ऐलान करते हुए संकोच नहीं कि जहां तक लैण्ड रिफॉर्म्स की बुनियादी पॉलिसी और उसके फण्डामेन्टल्स का सवाल है, हम सरकार के साथ सहमत हैं । फण्डामेन्टल्स क्या क्या हैं बिचौलियों को समाप्त करना, लाभदायक जोत पैदा करना, सीलिंग को इम्पलीमेन्ट करना और साथ ही साथ भूमिहीनों को बसाना । मैं सोचता हूँ कि जो लैण्ड रिफॉर्म्स लागू हुए, उनसे जिस हद तक फायदा मिलना चाहिए था वह उस इलाके के काश्तकारों को नहीं मिल सका । शिकायत हमारी इतनी है कि सरकार की ढिलाई के बारे में, कुछ अलॉटमेन्ट के कायदे-कानूनों के बारे में और यह जो नया जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ उसके बारे में एक सेक्शन ५ है उसके बारे में मैं सोचता हूं कि इस सेशन के दौरान हम एक बार माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मिले, इन शिकायतों को लेकर और उन्होंने आश्वासन पूरा दिलाया कि यह तकलीफें दो, चार साल से चलती आ रही हैं इनको हम पूरी तरह गौर से देखेंगे, सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे । मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी होती है कि जो शरणार्थियों के ऊपर नॉन—क्लेमेन्ट और क्लेमेन्ट के ऊपर एक बेटरमेंन्ट लेवी लागू की गई थी वह सरकार ने माफ कर दी । मैं समझता हूँ कि यह बड़ा भारी कदम सरकार ने उस इलाके लिए लिया । आखिर इस इलाके को क्या दिक्कतें हैं ? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उस इलाके के काश्तकारों के दिमाग को, उन लोगों की कठिनाइयों को आप नहीं समझ सके । आपने समझने की काफी कोशिश की । मगर वहां का काश्तकार, वहां की जमीन के कायदे-कानून-क्योंकि वहां का इलाका पंजाब के साथ मिलता है वहां पंजाब में जो लैण्ड रिफार्म्स हुए, जो सीलिंग एक्ट

(श्री केदारनाथ)

बना, जो अलॉटमेन्ट के रूल्स बने जब यहां का काश्तकार अपने यहां के कायदे-कानूनों को वहां के काश्तकारों के कायदे—कानूनों से मिलाता है तो उसके मन में शंका होती है, राजस्थान सरकार हमारी दिक्कतों को नहीं समझ सकी।

सबसे पहले जो हमारे यहां जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना उसका असर अगर कहा जाये तो हमारे वहां यह हुआ है कि हमारे समूचे जिले में न तो कोई जमीदार है, न जागीरदार है; सिवाय ४५ गांवों के जिसको पैंतालिया कहते हैं जो हनुमानगढ़ की तहसील में है। इसके अलावा सारा का सारा इलाका ऐसा मिलेगा कि स्टेट के समय में या तो हक मौरुसी का प्राप्त किया या खातेदारी वर्ग या वे लोग हैं जिन्होंने पंजाब से आ कर जमीन खरीदी या इन्टीग्रेशन के पहले राजस्थान के कर्मचारियों ने जमीन की सारी कीमत अदा करके खरीद ली। इसलिए आज उन्हें बिस्वेदारों की तारीफ में लायें, जागीरदारों की तारीफ में लायें और उनको सख्ती के साथ, रिगरस पॉलिसी के साथ लागू करें और सारी जमीन खोस लें, मैं नहीं समझता कि हम उनके साथ इन्साफ करने जा रहे हैं। अगर आज से पहले सीलिंग लागू हो जाती है और लोगों को ट्रान्सफर करने का मौका नहीं मिले और अपनी जमीन को सेल करने का मौका नहीं मिले लेकिन यह टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डीनेन्स के बाद जो फायदा एक टीनेन्ट को होना चाहिए था, जो फायदा पॉलिसी से होना चाहिए था वह नहीं मिला।

मैं दुबारा हाउस के सामने ऐलान करता हूँ कि ४०-४५ हजार के करीब वहां पर टीनेन्ट्स थे, अगर आप रेकॉर्ड्स देखें, अपने आंकड़े देखें तो आज एक भी टीनेन्ट नहीं है, सारे के सारे बेदखल हो गए। अभी थोड़े समय पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया था कि ऑक्शन के सिवाय भूमिहीनों को ६१ हजार बीघा जमीन अलॉट की। लेकिन जो जमीन देनी थी लोगों को, जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्हें लैण्ड रिफार्म्स की सूचना पहले मिली इसलिए उन्होंने सारी गिरदावरी अपने नाम करा ली और आज तक एनुअल रजिस्टर में एन्ट्री उनके नाम है। ट्रैक्टर्स से काम करते हैं, आज खुदकाश्त के नाम से कोई भी जमीन इस सीलिंग एक्ट के तहत मिलनेवाली नहीं है। अगर बहुत सख्ती से इम्प्लीमेन्ट किया तो पांच सौ, हजार बीघा जमीन सरेण्डर करेंगे। कारण यह है कि हमारे कायदे—कानूनों के जरिये से, ऑफिसरों से मिल कर उन्होंने इस ढंग से एडजस्टमेन्ट कर लिया, ट्रान्सफर कर दिया, सेल कर दी और एक आदमी के पास इतनी जमीन है जितनी आपने सीलिंग एक्ट के तहत तय की है। इसलिए आप इससे पहले कि यह बिस्वे-दारी जमींदारी एक्ट लागू करें, सीलिंग को लागू करें तो इस तरीके से करें कि उससे काश्तकारों को थोड़ा फायदा हो सके। जिनके पास जमीन है, कहीं ऐसा न हो कि उनको बिस्वेदार कह कर भूमिहीन बना दें और वह दुबारा कहें कि मुझे लैण्डलैस के नाम से आप जमीन अलॉट करो और मैं कीमत दूंगा। और वह आदमी जिसने उस जमीन की कीमत सरकार को अदा कर दी मैं समझता हूँ कि आप सेक्शन ५ देखिये। गिरदावरी के दुरुस्त करवाने के लिए हजारों दावे अभी

(श्री केदारनाथ)

वहां पेश हैं और जिनके पास पैसा है और जो चाहते हैं वह करेक्ट करवा लेते हैं। जिनके पास साधन थे, सिफारिशें थीं, अपनी बुद्धि थी उन्होंने समय पर गिरदावरी को करेक्ट करा लिया और जिनको बाद में मालूम हुआ कि मेरा नाम सन् ५९ की गिरदावरी में नहीं है और क्योंकि यह एक्ट लागू होगा १४-१-६० से और एन्ट्री मेरे नाम नहीं है इसलिए यह जमीन सरकार के पास वैस्ट होगी और वह लोग दावा करते हैं, नोटिस मिलता है और आज तक जिले में सिर्फ २ केसों में ही गिरदावरी तय हुई है वर्ना सारे केसेज पेन्डिंग हैं। उस इलाके की सारी समस्या यह है कि वह किसान जिसने जमीन अपने पैसों से खरीदी, जिनके पास ६ बीघा, १० बीघा या १५ बीघा है सिर्फ किसी कारण से एक्सीडेन्टल और अदरवाइज अगर ५९ की ईयर की गिरदावरी उसके पास नहीं है तो वह जमीन अपने हाथ से खो बैठता है और जमीन सरकार में वैस्ट करती है। जब मैंने और मेरे दोस्तों ने मुख्य मंत्री साहब को बतौर डेपुटेशन के यह शिकायत पेश की तो हमें उनसे आश्वासन मिला कि इसके बारे में लाजिमी उचित कदम उठाया जायगा।

इसके अलावा एक समस्या और है कि वहां शरणार्थी हैं, जिनमें से कुछ तो क्लेमेन्ट्स हैं और कुछ नॉन-क्लेमेट्स हैं। क्लेमेन्ट्स वे हैं जिनको आज तक फ़िजीकल पजेशन जमीन का मिला है। लेकिन फ़िजीकल पजेशन इस तरह का मिला है कि एक हिस्सा उनके क्लेम का एक गांव में दिया गया और दूसरा हिस्सा दूसरे गांव में दिया गया। इसलिए यह बड़ा मुश्किल था कि वे खुद काश्त करते या उस पर पर्सनल सुपरवीज़न करते। इसलिए उन्होंने वह जमीन दूसरे को काश्त करने के लिए दे दी। लेकिन इस कानून के सेक्शन ४५ में जो दिया है उसके अनुसार सारी जमीन वैस्ट कर जाती है सरकार में। इसके बारे में आश्वासन दिलायें कि कायदे-कानून को देखते हुए प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ को सामने रखने के बाद उसका हल निकालेंगे।

दूसरी चीज यह है कि वहां पर भाखरा नहर के पानी की रेग्युलर सप्लाई नहीं है। साल में २ महीने वह चलती है। जिनको वहां पर जमीनें दी हैं वे किश्तों पर दी हैं। नीलाम से जिनको जमीनें मिली हैं वे मिली हैं किश्तों पर। लेकिन पूरा पानी नहीं आने के कारण फसलें नहीं होती हैं, पैदावार नहीं होती है और वे समय पर इतनी बड़ी किश्त की रकम नहीं भर सकते। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो काफी प्रगतिशील सरकार है, ठीक तरह से सोचनेवाली सरकार है वह उनके साथ में लीनियेन्सी बरते। वे लोग पानी की सप्लाई पूरी नहीं मिलने के कारण एक किश्त नहीं भर सकते और एक किश्त नहीं भरने से, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं, सरकार उनकी जमीन कैन्सिल कर दे तो एक नये लैण्डलैस टीनेन्ट्स वहां पर पैदा कर देगी। पहले जिनको वहां बसाया गया और एक किश्त नहीं भरने से सरकार उनकी जमीनो को कैन्सिल कर दे तो वे अपने आपको उसी फेट में फिर पायेंगे जो कि फेट वे पहले फेस कर रहे थे। उसी फेट पर सरकार उनको छोड़ दे, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। सरकार उनके साथ काफी लीनियेन्सी का इस्तेमाल करेगी।

(श्री केदारनाथ)

तीसरी चीज ऑक्शन के बारे में है। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और बड़ी बड़ी स्कीम्स के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आप नीलाम पर आते हैं और वहां पर जमीनें नीलाम करने जा रहे हैं। मगर जो आज तक वहां पर काश्तकार हैं, लेकिन जिनका नाम गिरदावरी में अगर नहीं है और किसी कारण से वे अपने नाम लैण्ड अलॉटमेंट की कार्यवाही पूरी नहीं करा सके लेकिन वे वहां पर २५-३० साल से बासिन्दा हैं और हर इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया है। पंचायतों के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है और चूंकि वे कागजी कार्यवाही पूरी नहीं करा सके इसलिए लैण्ड का अलॉटमेंट उनके नाम नहीं हुआ, लेकिन वे वहां पर काश्त कर रहे हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा राजस्थान गवर्नमेंट से कि जो जमीनें दी जा रही हैं, उसके लिए जो नियम बनाये जा रहे हैं तो ऐसे कानून-कायदे बनें कि उस जगह के जो लैंडलेस टीनेन्ट्स हैं और जिन्हें गंगानगर केनाल के एरिया में और भाखरा प्रोजेक्ट के एरिया में जमीन नहीं मिली है वह जमीन राजस्थान केनाल में ले ले। अगर उसके अलावा जमीन बचती है तो ऑक्शन की जाय। मगर ऑक्शन किस जमीन को किया जाय? मैं समझता हूं कि वह जमीन नहीं हो जो कि फर्टाइल है और जिस पर आम गरीब किसान काश्त कर सकता है। इसके अलावा वह जमीन हो जो कि इन्वेस्टमेंट चाहती हो कल्टीवेशन के लिए, पैदावार के लिए, आमदनी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वह पॉलिसी बरती जाय तो ठीक होगा।

एक सवाल आखीर में रहता है। मैं समझता हूँ कि समय हो रहा है और बाकी बातें दोस्तों ने कह दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। बॉर्डर के इलाके की जमीन का जो सवाल है जिसके एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जवाब भी दिया था। मैं सोचता हूँ कि जितने भी मिलिट्री के लोगों को बसाना है, जागीरदारों को बतौर खुदकाश्त के जमीन देनी हो, उनको वहां बसायें जहां आज जमीन पड़ी है, फिर लैण्डलेस के रूप से जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के रूप में अगर जमीन काश्त करें तो उनको दी जाय। ऐसे बहुत से लोग तैयार हैं जिनके हल कन्धे पर हैं और बैल पीछे हैं, जिन्होंने दफ्तरों में सोसाइटी बनाने के लिए एप्लाई किया है लेकिन उनकी सोसाइटीज़ को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्राथमिक रूप से उनकी सोसाइटी को रजिस्टर किया जाय, उन लोगों को पैसा दिया जाय, ट्रेक्टर्स दिये जायं और उन्हें सहयोग दिया जाय ताकि वे सहकारी के नाम पर जो बॉर्डर के ५ मील की रेडियस में जितनी जमीन है उसको काबिले-काश्त बनायें। वह प्रोडक्शन की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से दोनों हालतों में ठीक होगा। मैं नहीं समझता हूं कि रावतसर के रहनेवाले को, सूरतगढ़ के रहनेवाले को, गंगानगर के रहनेवाले को अनूपगढ़ के टीलों में जाकर जमीन अलॉट की जाय। ऐसा करेंगे तो जिनके पास सीमित साधन हैं, जिस शख्स ने ३-४ साल अपनी दरख्वास्त मंजूर करवाने के लिए एक बड़े ऑर्डियल में पास किये और न उसके पास ऐसे साधन हो सकते हैं कि वह टीलों को, बंजड़ और गैर-आबाद

(श्री केदारनाथ)

जमीन को समतल कर सके और पैदावार, कल्टीवेशन के काबिल कर दे । यह मैं नहीं सोचता । इसलिए मैं समझता हूँ कि उस इलाके में, कुछ यह कहते हैं कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती, लेकिन हजारों की तादाद की ऐसे लोगों की गिनती है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई किया है । वहां उनको लैण्ड दें, जमीनें अलॉट करें । यह सबसे बड़ा एक्सपेरीमेंट होगा, जहां मैकेनाइज्ड फार्मिंग या दूसरी तरह के कोआॅपरेटिव फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा ग्राउन्ड होगा । लोग देखने आयेंगे । गंगानगर हमेशा नये आॅर्डर का स्वागत करता है और राजस्थान में नये निर्माण को देखना चाहता है । उसने आज तक भावावेश से लड़ाई नहीं लड़ी । अगर लड़ाई लड़ी है तो इकॉनोमिक प्रिन्सिपल्स पर लड़ी है, सोशियल प्रिन्सिपल्स पर लड़ी है । यह बड़ा लैण्ड रिफार्म अगर कहीं ला सकते हैं तो वहां ला सकते हैं । यह जो प्लानिंग में कोआॅपरेटिव मूवमेंट का आप कर रहे हैं तो कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज वहां पर बनायें और काश्त की जमीनें जो अलॉट हों बोर्डर के पास तो वे लोग लेने को तैयार हैं ।

इन सब के साथ, इस आश्वासन के साथ कि माननीय मुख्य मन्त्री साहब इस तरफ ध्यान देकर जो सही हालात हमने पेश किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ कदम ऐसे उठायेंगे जिससे वहां के किसानों को, काश्तकारों को, भूमिहीन लोगों को, शरणार्थियों को राहत मिलेगी ।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व पर मैं एक रुपये की कटौती चाहता हूं । बात यह है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो कि भूमिहीन हैं उनको भूमि नहीं मिलने के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, एक समय था जब कि आदिवासी और हरिजनों की जातियों पर बहुत बड़े बड़े अत्याचार होते थे और वे इतने नीचे दबे हुए थे कि उनकी छातियों के ऊपर कुछ लोगों ने अपने महल बना रखे थे । वे नींव के नीचे दबे पड़े थे । उनको साँस लेने का अधिकार नहीं था । मगर ज्योंही हम आजाद हुए तो सांस लेने का थोड़ा सा अधिकार मिला और आजादी के बाद हम यह सोचते थे कि आजादी के बाद जब हम उनको इस आजादी का सन्देश देने के लिए जाते थे तो यह कहते थे कि "धन धरती बंटकर रहसी और भूख गरीबां की मिट कर रहसी" तो उनको ऐसा लगता था कि जब धन और धरती बंटेगी तो हमारी पांती में भी आयेगी और जो भूख और गरीबी उस जमाने में उन पर पड़ी हुई थी वह भूख और गरीबी भी मिटेगी । मगर १०-१० साल हो गये, तीसरी पंचवर्षीय योजना जा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आज भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है ।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं हाउस को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां उस जमाने में आदिवासियों पर जरायमपेशा जैसे गन्दे कानून लदे हुए थे । जरायमपेशा कोई पेशा नहीं होता लेकिन यहां की

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

सरकारों ने वह पेशा रजिस्टर्ड कर रखा था। उन लोगों का काम था कि उस पेशे से उनको मुक्ति मिले। आजाद सरकार बनी तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि उन लोगों को भूमि देकर धन्धे से लगाये, उनको रोज़गार दे ताकि वे बेचारे कमा कर खा सकें और यहां की जनता भी सुख से सो सके। मगर हमारी सरकार ने इस ओर नहीं सोचा और चम्बल, राजस्थान केनाल और दूसरी दूसरी जगह उन लोगों को भूमि दी जाती है जो कि हाथ से हल चला नहीं सकते। हम पहले कहा करते थे–'राजाजी ने कदै हल के हाथ नीं लगायो और महारानी सेजां गाड़ी में बैठ बैठकर बाहर निकले जो म्हां के ऊपर राज करे।'

यह कह कर हमने राज्य लिया। उन भूमिहीनों, गरीबों को भूमि नहीं दी जाय और उन लोगों को भूमि दी जाती है जिन्होंने कभी हाथ से हल नहीं चलाया। हम कहते थे कि धन और धरती बंटकर रहेगी तब गरीबी और भूख मिटेगी। जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि आदिवासी लोग बैठे हैं। हमारी सरकार उनको ऊंचा उठाना चाहती है और करोड़ों रुपया उनकी भलाई के लिए खर्च करना चाहती है, लेकिन फिर भी ऐसे कई कांग्रेसी हैं जो कि उस पैसे को, उन साधनों को उन तक पहुंचने देना नहीं चाहते और बीच में ही खा पी जाते हैं। सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों की जो कि गरीबों के लिए दिये हुये हैं, उन साधनों को उन तक नहीं पहुंचने देना चाहते, जांच की जाय और यह पता लगाया जाय कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि भूमिहीन और गरीब आदिवासियों और उन हरिजनों को उन साधनों का उपयोग नहीं कराना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, सरकार जांच करे तो मालूम होगा। कि आज आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, जब मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ तो वे निराशा प्रकट करते हैं। ठीक है, मन्त्री लोग को कहते होंगे कि राजा राज और प्रजा चैन, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोग पूरी निराशा की बातें करते हैं। आज भी सरकार हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देती है, जमीन नहीं देती है, किसी प्रकार का सहयोग सरकार नहीं देती है, बीच में ही रुक जाती है। माननीय सभापति महोदय, गंगाजी तो आगई आदिवासियों के लिए लेकिन उसका पानी ठेठ तक नहीं पहुंचा। यह बात श्री ढेबर भाई, चेयरमैन आदिवासी ने कही थी। सरकार इस प्रकार आदिवासियों को उठाना चाहती है, हरिजनों को उठाना चाहती है, गंगाजी ऊपर से आगई लेकिन बीच में शायद भागीरथ ने रोक ली....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : भागीरथ तो लाया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : गंगाजी को लाने वाली राजस्थान सरकार है, लेकिन बीच में ऐसे लोग मिल गये शिवजी जैसे जिन्होंने बीच में जटा में रोक ली। ऐसे बीच में रोकने वाले लोगों की जांच करनी चाहिये। जो मंडल बनाकर शुरूआत में रोक लेते हैं। उनको खत्म करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं। आदिवासी ऐसे लोग हैं जो कुचले गये थे राजाओं के राज्य में, उनको भूमि देनी चाहिये और जो बीच में रोकने वाले हैं उनको हटाना

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

चाहिये । आदिवासी लोगों को भूमि मिलनी चाहिये ।

श्री सभापति : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कट मोशन भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाने की सुविधा पर है और इस विषय में मैं मेरे इलाके की बात करूंगी ।

सभापति महोदय, नहर से जल पहुंचने के बाद स्वाभाविक है कि पीढ़ियों से बसने वाला किसान चंबल से होने वाले लाभ के लिए पूर्ण रूपेण लालायित हो । लेकिन वह देखता है कि अन्य अन्य लोग जो वहां के निवासी नहीं हैं वहां आकर ऑक्शन में भूमि प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, पूंजी का मामला है, दौलत की बाजी है; वह गरीब कतराई आंख से अपनी पूंजी को लुटते हुए देख कर रह जाता है क्योंकि उसके पास ऑक्शन से प्राप्त करने के लिए रकम नहीं है । सरकार ऑक्शन करने के लिए मजबूर है क्योंकि करोड़ों रुपये प्रोजेक्टस् पर खर्च होंगे । ऐसी स्थिति में उस जमीन के उत्तराधिकारी किसान के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो वह आने वाले व्यक्ति का हाली बनकर अपना जीवनयापन करे या गांव छोड़कर मजदूरी के लिए कहीं अन्यत्र चला जाय । क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपये चम्बल बांध पर लगाये हैं उनका भुगतान चाहिये । पूंजी और व्याज वापिस देने के लिये ।यह सही है कि जो रुपये लगाये हैं उसके बदले में वाजिब रुपये वापिस मिलने चाहिये । लेकिन क्या ऐसा हल नहीं है कि जिससे सरकार को रिटर्न मिले और भूमिहीनों को भूमि भी । मैंने पहले भी निवेदन किया था । सरकारी एजेन्सी खास तौर से लैंड मोरगेज बैंक कर्जे के रूप में लोंग टर्म बेसिस पर भुगतान करे जिससे सरकार को रिटर्न मिल जाय और हकदार किसानों को जमीन । यह भी ज़रूरी है कि कर्ज़े की किश्त लंबे समय के लिये होगी लेकिन उसके लिये लैंड मोरगेज बैंक उचित ब्याज ले सकता है ।

कई जगह जहां नहरें नहीं हैं वहां दूसरी प्रकार की कठिनाई है । शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में लोगों को जमीन नहीं प्राप्त हो रही है और जो दी जाती है वह ऐसी बेडौल होती है कि काबिले काश्त नहीं होती । जिनका आर्थिक स्तर उठाने के लिये सरकार चाहती है लेकिन वे गरीब भूमि लाभ से महरूम हैं । कई ऐसी मिसालें हैं जो लोग ६-७ वर्षों से निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं उनकी भूमि को पड़त लिखा जाता है और उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है । कई हजार बीघा जमीन पड़ी है जो काबिले काश्त है, उस पर बसाने की बात करते हैं तो लोगों को डराया धमकाया जाता है; यह पेड़ क्यों काटा, सरकार की जमीन है । सभापति महोदय, सरकार की जमीन पर नहीं बसेंगे तो भगवान् की जमीन कहां से लावें ? सन् १९६० में विनोबाजी ने मुख्य मन्त्रीजी से काफी जोर देकर इसके बारे में कहा था, मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिया था ; लेकिन इसकी चर्चा स्वीकृति के रूप में नहीं आई । मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि भूमिहीनों को भूमि मिलने में कठिनाई नहीं होनी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

चाहिये। यदि कानूनी कठिनाई हो तो कानून सरल होना चाहिये। मंत्री महोदय सोचते होंगे कि इन सारी बातों को बार बार दोहराया है, यह सच भी है। इसका कारण है 'भूखे भजन न होत गोपाला'। भूखे किसान को जमीन चाहिये। मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहती हूं, न तो मुझे दोहराना है न सदन का समय लेना है। बार बार सरकार को ध्यान दिला कर सूचित करना चाहती हूं कि भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिये, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिये। जो भी कमी हो उसको सरलता से सार्वजनिक हित में पूरी करनी चाहिये। यही कहती हुई मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव, वसूली व छूट के सम्बन्ध में अनियमितता से जनता में व्याप्त असन्तोष की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जिस इलाके से मैं आया हूँ पुरानी कोटा रियासत से इसका सम्बन्ध था। जो लैंड सिस्टम कोटा रियासत में था मर्जर से पहले का वह मेरी समझ में जितनी २२ रियासतें राजस्थान में थी उनमें सबसे अधिक प्रगतिशील था। वहां के काश्तकार सम्पन्न थे, सुखी थे और उनका राज्य से, राज्य कर्मचारियों से निकट का सम्बन्ध था। उनको अगर कोई तकलीफ होती थी तो उसकी जानकारी सरकार को, उस समय की सरकार को फौरन हो जाया करती थी और उसका इन्तज़ाम भी बिना किसी तकलीफ के हो जाया करता था। मैंने यह भूमिका आपको इस वजह से दी है कि वहां के काश्तकार एक ऐसी पद्धति के आदी थे जिसमें सरकार और जनता का सीधा सम्बन्ध था और उसके मुकाबले में जब हम कहते हैं कि प्रजा का राज्य हो गया है, समाजवादी समाज बनने जा रहा है, जब वह सम्बन्ध इस समय नहीं रहा हो तो एक तरह की तकलीफ होती है कि जनता के राज्य में तो जब पहले से ज्यादा सुख होना चाहिये था, आसानी से राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिलती है। इससे इसके दिमाग में विघ्न होता है। इसकी वजह से मैं आपके द्वारा सरकार के सामने इस ओर ध्यान दिलाने के लिये कटौती प्रस्ताव रखता हूँ।

लगान के सम्बन्ध में जो अनियमितता है वह यह है कि काश्तकार से अब उनालू और सियालू में सर्टेन परसेन्टेज के बेसिस पर वसूली की जाती है। यदि काश्तकार के पास १०० बीघा खेती है तो उसका सर्टेन पर्सेन्टेज विन्टर क्रॉप पर लिया जाता है और बाकी बचा हुआ दूसरे टाइम पर लिया जाता है। जब कभी ऐसा होता है कि जो पर्सेन्टेज एक सीजन में लिया जानेवाला होता है, उस सीज़न में उसके पास इतनी खेती नहीं होती, इतनी उसके पास उपज़ नहीं होती कि काश्तकार उस पर्सेन्टेज को भुगत सके। इसकी वजह से उसको तकलीफ होती है और राज्य को लगान देने में उसको आम तौर पर आपत्ति महसूस होती है। कि यह

(श्री जुझारसिंह)

पर्सेन्टेज का बेसिस है, सही चीज नहीं है, इससे कभी कभी काश्तकार को लगान भुगताने में तकलीफ हो जाया करती है। जो विन्टर क्रॉप है, उसमें करीब ६६ पर्सेन्ट रकबा विन्टर क्रॉप के अन्दर में आता है राजस्थान में और ४४ पर्सेन्ट या ४० पर्सेन्ट के करीब रबी के टाइम में आता है। अब जो लगान विन्टर के टाइम पर लिया जाता है वह छः आना है और जो रकबा काश्त किया जाता है वह ६६ पर्सेन्ट के करीब होता है। तो स्वभाविक है कि रबी के टाइम का जो रकबा है उसमें करीब दस आना फी रुपया देना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि काश्तकार को लगान चुकाने में आपत्ति आये। इसलिये यह नियम है, यह वाज़िब नहीं है। काश्तकार से उतनी ही जमीन पर लगान लेना चाहिए जिस पर वह काश्त करे। न तो पर्सेन्टेज के बेसिस पर लें और न हिस्सा, बांट के बेसिस पर कि इतना इस सीजन में ले लिया और इतना इस सीजन में ले लिया। इसके अलावा जो ब्याज लेते हैं कि अगर लगान टाइम पर नहीं दे पाता है फरवरी के अन्त तक, तो उसको ६ या साढ़े छः के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। यह भी उचित नहीं है क्योंकि एक तो पैदावार पूरी न होने की वजह से और दूसरे समय पर लगान नहीं दे सकने की वजह से उस पर डबल मार पड़ जाती है, यह उचित नहीं है।

एक बात हांलाकि इससे प्रसंग नहीं रखती है, पर मैं बता देना चाहता हूं, वह है कि लैंड रेवेन्यू वसूल करने के टाइम पर अक्सर यह होता है कि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के नाम से रकम वसूली होती है और वह लैंड रेवेन्यू की तरह, जब कि वह वाल्यून्टरी कान्ट्री-ब्यूशन होता है वह कम्पल्सरिली लिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट का रुपया लगान में से काट लिया जाता है और लैंड रेवेन्यू में डयू बता कर जुर्माना किया जाता है। ऐसी घटनायें हमारे इलाके में हुई हैं, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सस्पेन्शन या रेमीशन का सवाल है, पिछले दस या पन्द्रह साल में बहुत कम अवसर आये हैं, जब कभी हमारे इलाके में छूट या थाम मिली हो। जैसा मैंने रियासतों के ज़माने का अर्ज़ किया था, इस तरह का नियम था कि फील्ड टू फील्ड पटवारी हरएक काश्तकार के खेत पर दौरा करते थे और फसल का नुकसान देखा करते थे और बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी दर्ख्वास्त के रियासत के टाइम पर काश्तकारों की जितनी उपज होती थी उसके हिसाब से बिना तकलीफ या दिक्कत के रियायत मिल जाया करती थी। उसको ऐसा महसूस नहीं होता था कि छूट या थाम दिलाने के लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा या राज्य के कर्मचारियों की खुशामद करनी पड़ेगी, उस चीज को लेने के लिए जो कि उसका खुद का हक है। यह चीज है, तो इन दस या पन्द्रह साल में आप राजस्थान के आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि हमारे इलाके में मुश्किल से एक या दो मौके वहां के पांच, सात गांवों में आये होंगे कि जब किसी गांव के काश्तकार को किसी तरह की छूट मिली हो। जहां तक अकाल का या फसल में नुकसान का सवाल है, खेती का धन्धा ही ऐसा है कि

(श्री जुझारसिंह)

जिसमें दूसरे या तीसरे साल कोई न कोई ऐसी बात उत्पन्न हो जाती है कि इससे काश्तकार की खेती में नुकसान हुआ करता है। इसी साल हमारे इलाके में वर्षा अधिक होने की वजह से फसल में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन छूट या थाम का कोई अब तक सवाल नहीं उठा है कि कोई छूट मिले। अभी तक कोई छूट नहीं मिली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी के सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा पोइन्ट और निवेदन कर दूं कि हमारे इलाके में बहुत सी नहरों और सिंचाई के सम्बन्ध में काम चल रहे हैं। जगह जगह पर उस इलाके में नहरें खोद रहे हैं और उसकी वजह से जो काश्तकार के फील्ड्स हैं वे कभी कभी दो दो हिस्सों में भी बंट गये हैं। ऐसे खेत, जिन पर पीवट हुआ करती थी, कुंए से उनके खेत में नहर बीच में पड़ जाने की वजह से पीवट का रकबा कट गया है, आधा हो गया है और नहर का दूसरे हिस्से में पानी नहीं जा सकता है। ऐसी सूरत में उस काश्तकार का, उस जमीन का जो हिस्सा नहर में आ गया है, जो हिस्सा नहर खुद जाने की वजह से पीवट में गया है व उसका उसको मुआवज़ा मिलना चाहिए और उसके ऊपर लगान भी सरकार को कम करना चाहिए। परंतु अभी तक यह बात नहीं हुई है और करीब करीब हर काश्तकार से उस नहर का जिस पर वह खेती नहीं करता है, लगान लिया जा रहा है और उस फील्ड का जो पीवट में नहीं रहा है, पीवट का लगान लिया जा रहा है। इसका रिप्रेजेन्टेशन कई बार सरकार के पास हो गया है, उसके बावजूद भी न लगान कम हुआ है और न नहर में आनेवाले हिस्से का मुआवज़ा ही मिला है। तो इस तरह....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वन, टू पोइन्ट्स और हैं। हमारा मध्य प्रदेश का आया हुआ सुनेल का हिस्सा है। सुनेल का इलाका झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है और पुरानी मध्य प्रदेश रियासत से राजस्थान को मिला है। वहां पर कुछ जमीन, जो खातेदारी हक में नहीं थी, जेली टीनेन्ट कह सकते हैं, उनके कब्जे में थी और उन लोगों को खातेदारी हक इस वजह से नहीं दिये गये थे क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके चम्बल से डूब में आने वाले थे और वहां की सरकार की इस तरह की योजना थी कि चम्बल की डूब में आने वाली जमीन के काश्तकार जो डिसप्लेस्ड हों उनको जेली काश्तकारों की जमीन पर किसी तरह आबाद किया जाय। अब मध्य प्रदेश में चम्बल की डूब में आने वाला हिस्सा जो राजस्थान के अन्दर चला गया है और वहां के काश्तकार को कम्पेन्सेशन देने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की नहीं रही है। इसलिए सुनेल में आया हुआ हिस्सा है, जिसके जो काश्तकार हैं, उनको कब्जे के हिसाब से, दस पन्द्रह साल के कब्जे के हिसाब से, खातेदारी हक मिल जाने चाहिये। उनको हक नहीं दिये गये हैं और इस वजह से उनका उस जमीन पर, जिस पर वह कानून के माफिक मालिक हो जाने चाहिए; कब्जा पन्द्रह साल का हो गया है और जो डबल लगान लिया जा रहा है ये सब ऐसी चीजें हैं, जिनका जल्दी से इन्तज़ाम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपके

(श्री जुझारसिंह)

सामने इस कटौती प्रस्ताव को रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब चूंकि समय में दो-तीन मिनट बाकी रह गये हैं और शायद आगे बोलने वाले माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त न कर सकें, इसलिए क्या सदन की राय है कि सभा की कार्यवाही दो मिनट पहले खत्म कर दी जाय।

('हां,' 'हां,' की आवाज)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : कन्टीन्यू करें तो क्या हर्ज है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ऐसा हो सकता है कि माननीय सदस्य दो मिनट में भाषण समाप्त कर दें।

श्री सभापति : सभा की कार्यवाही १४ तारीख के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४ बज कर ५८ मिनट पर शनिवार, दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १२ अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३५३५

चम्बल की बिजली का वितरण ।

जल बोर्ड ।

जल-प्रदाय योजना, बीकानेर ।

नगरपालिकाओं में प्रशासकों को नियुक्तियां ।

विद्युत वितरण ।

नगरपालिका, बीकानेर ।

सड़क–निर्माण ।

अस्पताल की स्थापना ।

पाटन से डिप्टी कलेक्टर का हैड-क्वार्टर चला जाना ।

हनुमानगढ़–सूरतगढ़ बस रूट ।

ड्रेनेज योजना ।

टोंक–लाखेरी रोड ।

हिन्डौन में अस्पताल की स्थापना ।

विद्युत वितरण ।

आय-व्ययक १९६२–६३

द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर ३५७०

उपरोक्त मांग पर आज सरकार की ओर से वित्त मंत्री श्री बालकृष्ण कौल ने बहस का उत्तर दिया । तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

स्कम्भ

(२) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाड़ियों पर कर ३६०९

उपरोक्त मांग श्री हरिश्चन्द्र, यातायात मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई जो सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

(३) मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर ३६१०

उपरोक्त मांग श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई । इस पर कुल ६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

वित्त मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

(४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व ३६४९

उपरोक्त मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई । इस पर आज २९ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

सदन की बैठक ४ बज कर ५८ मिनट पर शनिवार, दिनांक १४ अप्रैल, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक १४ अप्रैल, १६६२ की कार्य-सूची

१. मांग संख्या १-भू-राजस्व

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या।	मोहल्ला	कनेक्शन करने की तारीख
१)	अमरसिंहपुरा हरिजन बस्ती	१४–२–६२
२)	माजीसाहब का बास-हरिजन बस्ती	१४–२–६२
३)	डीडू सिपाहियों का मोहल्ला	१६–२–६२
४)	डीडू सिपाहियों का मोहल्ला	१६–२–६२
५)	भुट्टा मोहल्ला	२०–२–६२
६)	फड़ बाजार	२३–२ ६२
७)	गैरसरियों का मोहल्ला	२३–२–६२
८)	घावाड़ियों का मोहल्ला–पुरानी गिनानी	२३–२–६२
९)	खातियों का मोहल्ला) ,, ,,	२३–२–६२
१०)	घोषियान मोहल्ला	२३–२–६२
११)	सिक्कों का मोहल्ला	२३–२–६२
१२)	धोबी तलाई	२३–२–६२
१३)	मुड़िया मा–ली मोहल्ला	२४–२–६२
१४)	गूजरों का मोहल्ला	२४–२–६२
१५)	नायकों का मोहल्ला, गंगाशहर रोड़	२४–२–६२
१६)	धोबी मोहल्ला, गंगाशहर रोड़	२४–२–६२
१७)	कसाई मोहल्ला	२४–२–६२
१८)	चौ खुंटी मोहल्ला	२४–२–६२
१९)	गुजर मोहल्ला	२५–२–६२
२०)	नथानियों की पिरोल	२५–२–६२

—

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १२ अप्रेल, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३५३६	७	श्री मुरलीघर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
३५३६	१०	सस्दयं	सदस्य
३५४०	१३	(सकराय	(सिकराय
३५४१	१६	स्थिगित	स्थगित
३५४३	१४	ओंब्जेक्शन्स	ऑब्जेक्शन्स
३५४५	३	theree has been ne	there has been no
३५४७	६	positien	position
३५४८	६	ठर्न	टर्न्
३५४६	६	वेड्स	ब्रैड्स
३५७२	२३	ए क्रॉस	एक्रोस
३५७६	४	asprsion	aspersion
”	६	Honble	Hon'ble
”	७	mean'by	mean by
”	अंतिमसे २	objectonable	objectionable
३५७७	३	मेन्बर्स	मेम्बर्स
३५६२	१५	विचारों	विचारों की
३५६६	२	माहर	महार
३६१५	२२	शासनरूढ	शासनारूढ़
३६१६	१२	baking	backing
३६३०	१३	क्लर्कस	क्लर्क्स
३६३५	२८	व्यापारीयों	व्यापारियों
३६४१	२१	श्री बालकष्ण	श्री बालकृष्ण

१	२	३	४
३६५२	१३	भ-राजस्व	भू-राजस्व
३६६७	२२	जो	उनको बदलना चाहिये।
३६७७	१२	जावें	जावेंगे
,,	अंतिम पंक्ति	सचास	पचास
३६७८	२०	श्री मौहनलाल	श्री मोहनलाल
३६७९ से ८३	शीर्ष	(श्री हरीराम	(श्री हरिराम
३७०२	१९	इम्पलमेन्टेशन	इम्प्लीमेन्टेशन
३७१४	२६	रेकोर्डस	रेकॉर्ड्स
३७१५	२१	आॅडर्स	ऑर्डर्स
३७१९	२	समान्य	सामान्य
,,	२०–२१	के लिए। बेचो है	के लिए बेचने हैं।
३७२०	४	टोनेन्ट्स	टीनेन्ट्स
३७२१	६	श्री योगेन्दनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
३७२४	५	रिथति	स्थिति
३७२८	१६	इम्लीमेन्ट	इम्प्लीमेन्ट
३७३३	६	बड्रा	बड़ा